षष्टम् माला, खण्ड 2, अंक 4, बुधवार, 15 जून, 1977/25 ज्येष्ठ, 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. II, No. 4, Wednesday, June 15, 1977/Jyaistha 25, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th

LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. ...105...(?)...
Date. 15-12-77........

[खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. II contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : **Four Rupees**

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी / हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी / अंग्रेजी में अनुवाद है।
This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

2LSS/77—1

विषय सूची/CONTENTS

अंक 4, बुधवार, 15 जून, 1977/ 25 ज्येष्ठ, 1899 (शक)
No. 4, Wednesday, June 15, 1977/Jyaistha 25, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41, 42, 44, 45, 47 और 49	*Starred Questions Nos. 41, 42, 44, 45, 47 and 49	1—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 43, 46, 48, 50 से 54, 56 से 58 और 60	Starred Questions Nos. 43, 46, 48, 50 to 54, 56 to 58 and 60 . . .	14—20
अतारांकित प्रश्न संख्या 377 से 379, 381 से 431, 433 से 451, 453 से 490, 492 से 523, 525 से 554 और 556 से 568	Unstarred Questions Nos. 377 to 379, 381 to 431, 433 to 451, 453 to 490, 492 to 523, 525 to 554 and 556 to 568	21—117
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the table . .	118—125
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	125—128
आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादियों की हत्या तथा उन पर अत्याचार	Murder and Torture of Naxalites in Andhra Pradesh	125
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee . .	125
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh . . .	125
श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर	Shrimati Ahilya P. Rangneker .	127
श्री गंगाधर अप्पा बूरांडे	Shri Gangadhar Appa Burande .	127
जम्मू तथा काश्मीर में हाल में हिंसा और अत्याचार की घटनाओं के बारे में वक्तव्य	Statement *Re*. recent Incidents of Violence and Attrocities in Jammu and Kashmir	127

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh . .	127
रेल बजट, 1977-78 सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1977-78—General Discussion	128—147
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand .	128
श्री दारुर पुलय्या	Shri Darur Pullaiah	129
श्री एच० एल० पटवारी	Shri H. L. Patwary .	129
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar . .	130
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . .	131
श्री नानू भाई एन० पटेल	Shri Nanubhai N. Patel .	132
श्री डी० बी० पाटिल	Shri D. B. Patil	133
डा० हेनरी ग्रास्टिन	Dr. Henry Austin .	134
श्रीमती मृणाल गोरे	Shrimati Mrinal Gore .	135
श्री ग्रार० डी० राम	Shri R. D. Ram . .	136
श्री पी० राजगोपाल नायडू	Shri P. Rajagopal Naidu	137
श्री दाजीबा देसाई	Shri Dajiba Desai .	138
प्रो० ग्रार० के० ग्रमीन	Prof. R. K. Amin .	138
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George .	139
श्री चरण नरजरी	Shri Charan Narzary	140
श्री बी० के० नायर	Shri B. K. Nair	140
श्री ग्रनन्त दवे	Shri Anant Dave . .	141
श्री बापू साहिब परुलेकर	Shri Bapusaheb Parulekar	142
श्री जी० एस० रेड्डी	Shri G. S. Reddy .	142
श्री यशवन्त बोरोल	Shri Yashwant Borole .	143
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी	Shri G. Narsimha Reddy .	143
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate .	145
कई राज्यों में विधि ग्रौर व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के संबंध में चर्चा	Discussion *Re*. Deterioration in Law and Order situation in Several States.	147—151
श्री बी० पी० मण्डल	Shri B. P. Mandal .	147
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . .	148
श्री कवंर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta .	149
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . . .	149
श्री समरेन्द्र कुन्डु	Shri S. Kundu . .	149
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	150
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . .	150
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh . .	150

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 15 जून, 1977/25 ज्येष्ठ, 1899 (शक)

Wednesday, June 15, 1977/Jyaistha 25, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Elevan of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Opening of Intensive Production Centres in U.P. by K.V.I.C.

*41. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the total number of Intensive Production Centres opened in Uttar Pradesh by Khadi and Village Industries Commission so far;

(b) out of them, how many have been closed down; and

(c) the way by which the property and buildings, etc. of the closed Intensive Production Centres are being utilised at present?

The Minister of Industry (Shri Brij Lal Verma): (a) to (c) A statement is placed on the Table of the House.

Statement

The Khadi and Village Industries Commission does not, and has not directly set up in U.P., any Intensive Production Centres, and functions through State Khadi and Village Industries Boards. However, its predecessor agency, the All India Khadi and Village Industries Board started an Intensive Area Scheme in 1954-55, which was discontinued in 1960-61. During this period, 31 Intensive Area Schemes were started in Uttar Pradesh, out of which 13 were closed and 18 were working at the time of the discontinuance of the Scheme. With regard to the 13 closed schemes, 9 Intensive Area Centres were closed in the formative stage and had not acquired or created any property assets. Out of the remaining 4, the properties of three were disposed off to Khadi or Cooperative Institutions. Some properties/assets are yet to be disposed of.

Shri Mahi Lal : May I know from the Hon. Minister the amount of grant given to Khadi and Gramodhyog Board, Uttar Pradesh, from 1954-55 to 1976-77 and the manner in which this grant was utilised.

Shri Brij Lal Varma : 31 units were opened and an amount of Rs. 4500 was given to each unit.

Shri Mahi Lal : What is the total grant given to Uttar Pradesh and the property purchased with this grant and the manner in which it was utilised? My information is that this amount was utilised for air flights, construction of private houses and same people utilised the money given for the people of weaker sections for their own purposes. An enquiry may be made into all these allegations so that nobody could misappropriate the funds in future.

Shri Brij Lal Varma : This is a state subject the funds are allocated by the State Government and Central Government has no account of these funds.

श्री समरेन्द्र कुंडु : सरकार की इच्छा ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग बढ़ा कर नये रोज़गार बढ़ाने की है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग को पुनर्गठित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं। सरकार इसके साथ हमेशा सौतेली मां का-सा व्यवहार करती आ रही है। आगामी वर्ष में इस प्रकार के कितने सघन उत्पादन एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है।

श्री बृजलाल वर्मा : इस योजना को छोड़ दिया गया है। यह राज्य का विषय है । बोर्ड प्रत्येक काम करता है। केन्द्रीय सरकार इससे सीधे संबंधित नहीं है।

श्री ए० सी० जार्ज : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को केन्द्रीय सरकार चलाती है।

Shri Gauri Shankar Rai : My information is that main function of U.P. Khadi and Village Industries Board is to disburse money. Rs. 60 lakhs out of the grant of Rs. 90 lakhs given to that state has been spent on establishment. Will the Government think over re-organising such institutions and make them more useful. The Government should also see that such a huge amount is not spent on establishment.

Shri Brij Lal Varma : We will look into this suggestion. This is an autonomous body both in the state and centre. Both have different functions. We will consider as to how these bodies can coordinate their functions.

Shri Gauri Shankar Rai : I never meant coordination. I wanted to know about establishment expenditure Rs. 60 lakhs out of total grant of Rs. 90 lakhs are spent on establishment. Will the Government consider the entire set up of autonomous bodies and make them more useful, so that they could be run on useful policies.

Shri Brij Lal Varma : If you give more useful suggestions we will consider them.

Shri Motibhai R. Chaudhary : The Janta Government believes in Gandhian philosophy. We have promised to the people that unemployment can be removed through Village Industries. Is the Government thinking over running the closed production centres?

Shri Brij Lal Varma : The production centres are run by the Board and same of them are running efficiently and we are trying to bring about more efficiency.

Shri Om Prakash Tyagi : The Khadi and Village Industries Commission was constituted with noble objectives but do you know that the former Government used it as an

instrument to help their kith and kin and crores of Rupees spent on it was misused. According to my information an intensive area scheme regarding handlooms was prepared but no handlooms were installed and they continued to purchase the Khadi from individuals and sold the same and maintained false records. I want to know whether you have a report regarding utilisation of grant by the states so that you could investigate the matter, is not, the reasons therefor.

Shri Brij Lal Varma : We have no agency to investigate the same. We will consider specific charges against them.

Shri Om Prakash Tyagi : Do you feel that enquiry is needed ?

Shri Brij Lal Varma : We will consider the allegations sent to us.

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी : क्या इन बोर्डों के लेखों की लेखा परीक्षा होगी ?

श्री बृजलाल वर्मा : जी हां।

'मटका', व्यापार पुनः आरम्भ किया जाना

*42. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद 'मटका' व्यापार पुनः आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बुराई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) (क) और (ख) गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमण व दीव में 'मटका' नामक जुआ खेलने के कुछ मामले ध्यान में आए हैं। राज्य सरकारों ने बताया है कि इसके चलन को रोकने के लिए वे पुलिस गश्त बढ़ाने, छापा मारने तथा पकड़े गये अपराधियों के विरुद्ध काननी कार्रवाई करने जैसे उपाय कर रहे हैं।

संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक 1972 में एक धारा है जिससे वर्तमान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294-क को अधिक व्यापक उपबन्ध से बदलने का प्रस्ताव है ताकि लाटरी संबंधी अपराधों से निपटा जा सके।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह बात स्वीकार की गयी है कि जनता पार्टी के सतारूढ़ होने के बाद 'मटका' व्यापार शुरू कर दिया गया है। अपराध भी बढ़ रहे हैं। जनता पार्टी के सतारूढ़ होने तथा अपराध तथा तस्करी वृद्धि और 'मटका' व्यापार शुरू होने के बीच क्या संबंध है। जनता पार्टी तथा इस प्रकार के समाज विरोधी तत्वों के बीच क्या संबंध है ? क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1977 को पारित किये जाने के लिये लिया जायेगा ? इसे दोनों सदन कब पास करेंगे और क्या इसे वर्तमान सत्र के दौरान लिया जायेगा और क्या इसके अन्तर्गत तस्करी, अपराध तथा 'मटका' व्यापार भी आयेगा ?

श्री चरण सिंह : मेरे विचार में प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके बारे विभिन्न राय हो सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में कोई अन्य सदस्य इसका उत्तर देगा?

श्री चरण सिंह : दूसरे भाग के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि संशोधन करने वाले विधेयक को इस सत्र में लाने का प्रयास किया जायेगा।

Shrimati Mrinal Gore : Will the Hon. Minister state that whether it is a fact that Matka business has increased in the formerly and also presently congress ruled states? Is it a deliberate attempt to defame the Janta Party?

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये मैंने कहा कि इसका उत्तर कोई न कोई अवश्य देगा।

श्री एडुआर्डो फलीरो : गोआ में मटका अपराध सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं दण्ड संहिता के अन्तर्गत नहीं। मेरे विचार से सारे दक्षिण भारत में ही मटका अपराध दंड संहिता के अन्तर्गत नहीं आते। सार्वजनिक जुआ अधिनियम पिछली शताब्दी में बनाया गया था जब कि मटका अपराध नहीं चले थे। इसीलिये मटका संबंधी जब भी कोई अपराध न्यायालय में जाता है तो उसमें दोष सिद्ध नहीं हो पाता। क्या सरकार मटका अपराधों की रोक-थाम के लिए कोई आदर्श कानून बनाकर उन्हें दण्डनीय करार देगी?

श्री चरण सिंह : वास्तव में हम जुआ और अन्य अपराधों के संबंध में कानून में व्यापक संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि लोक सभा चुनाव परिणाम आने से पहले मार्च के महीने में मटका से संबंधित बहुत-से लोग जेल से रिहा किये गये थे।

श्री चरण सिंह : यह सत्य है।

श्री रतन सिंह राजदा : क्या मंत्री जी को यह पता है कि बम्बई नगर में और महाराष्ट्र राज्य में जनता सरकार को बदनाम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार लोगों को मटका के लिये उत्साहित कर रही है? मैं साहस के साथ यह बात कह सकता हूं कि जब हम लोगों ने बम्बई में मटका व्यापार के के विरुद्ध प्रदर्शन किया तो कुछ मटका राजाओं ने हमें बताया कि पुलिस ने ही हमें इस व्यापार को चलाने के लिए प्रेरित किया है। क्या मंत्री जी इस की जांच करायेंगे?

श्री चरण सिंह यदि मुझे ऐसा जान पड़ा कि कुछ प्रमाण मिल सकते हैं तो मैं जांच कराने में झिझकुंगा नहीं।

डा० बसन्त कुमार पण्डित : मटका तीन व्यक्ति बालू, कालू और रतन खत्री चलाते हैं। इनकी पुलिस के साथ मिली भगत है। पुलिस को प्रति माह राशि दी जाती है और उनका व्यापार न केवल सारे देश में बल्कि देश से बाहर लंका, नेपाल और अन्य देशों में भी चलता है। एक आंकड़ा खोलने और एक समापन आंकड़े के लिए करोड़ों रुपये दिये जाते हैं। जो बात मैंने कहीं हैं क्या सरकार को उनकी जानकारी है और क्या सरकार महाराष्ट्र सरकार और मटका राजाओं की मिली-भगत की जांच करायेगी?

अध्यक्ष महोदय : वह उसका उत्तर पहले दे चुके हैं।

श्री यशवन्त बोरोले : मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि टेलीफोन द्वारा तत्काल सन्देश भेजने की सुविधा न दी जाये तो मटका बंद हो सकता है। खोलने और बन्द करने के आंकड़े तत्काल टेलीफोन द्वारा बताये जाते हैं।

श्री चरण सिंह : यह कार्य के लिए सुझाव है।

Increase in crime in Union Territories

*44. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there has been an increase in the incidents of looting, theft, cheating, stabbing and kidnapping in the Union Territories during the last three months ; and

(b) the effective steps taken by Government to check them and the result thereof ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) There has been no increase in the incidence of crime in the Union territories of Andaman & Nicobar Islands and Goa, Daman & Diu. In the Union territories of Arunachal Pradesh, Dadra & Nagar Haveli and Lakshadweep, the quantum of crime in negligible. There has been some increase in the incidence of crime in the Union territories of Delhi, Chandigarh and Pondicherry. Information from the Union territory of Mizoram has not been received so far.

(b) The following measures have been taken to curb crime:—

(i) Patrolling has been intensified;

(ii) Surveillance over bad characters has been tightened to check their activities and preventive action has been taken under relevant sections of the Code of Criminal Procedure against a number of criminals;

(iii) Police pickets have been established on strategic points to check late night robberies; and

(iv) Plain clothes detectives are being deployed at crowded places with a view to detecting pick-pockets and robbers.

In addition, in the Union territory of Delhi Home-Guards are being used to assist the police in patrolling the city. Cases have been prepared for the externment of bad characters under the Bombay Police Act, as in force in the Union territory of Delhi.

These measures have resulted in bringing down the rate of crime in May, 1977 as compared to the preceding month of April, 1977 in the Union territories of Delhi and Chandigarh.

Shri Yagya Datt Sharma : Sir, whether it is a fact that many politicasters have been rendered unemployed after the recent Lok Sabha elections and these people are largely responsible for the increased incidents of looting and cheating. I also want to know if the crime branch has any such information ?

Shri Charan Singh : I have placed in the Table whatever figures I had with me. If the hon'ble Member is able to pass on some special information, I shall ask the C.B.I. to enquire into the matter.

Shri Yagya Datt Sharma : May I know whether Government propose to take certain concrete steps to check these incidents ?

Shri Charan Singh : Every Government tries to check incidents of looting etc. The Government has to face many practical difficulties which can not be disclosed here. Within that limit and within the scope of available sources, we are making all possible efforts. I shall be glad if the hon'ble Member makes some suggestions in this regard.

डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद : क्या मंत्री जी बताएंगे कि जिस प्रकार बम्बई में तस्करों के मामले में शपथ निर्धारित की थी क्या वैसी ही शपथ संघ राज्य क्षेत्र में डाकुओं के लिए निर्धारित की गई है ?

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know the previous figures regarding the incidents of looting, cheating, stabbing and kidnapping as compared with the latest figures as also the number of policemen arrested in connection with crimes during the last 3 months.

Shri Charan Singh : I have got details in regard to Delhi for the last 3 months of 1977 and for three months of 1975. These figures show some increase in the incidents of looting, theft, cheating and kidnapping. On the other hand the incidents of stabbing have decreased.

I think the biggest crime is murder and incidents of murder have also decreased. No doubt certain crimes have increased in number but infact reporting of the incidents has increased. We have issued order to the effect that every complaint should be registered. It is an offence not to write the report. I have got figures regarding serious crimes committed during the one and half month of Janta Government i.e. from the 26th March to 10th May and it has been found that actually the number is less as compared with the same period during the year 1975.

Shri Kanwar Lal Gupta : What is the number of policemen arrested for murder during this period this year as well as in the last year ?

Shri Charan Singh : I have no information in this regard.

श्री के० लक्कप्पा : महोदय, गृह मंत्रालय ने सच्ची बात नहीं बतायी है। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में विशेष कर दिल्ली में ऐसी भावना व्याप्त है कि दिल्ली तथा उसके पास के क्षेत्रों में गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे अनुदेश दिये गये कि गुंडों, बदमाशों और अपराधियों के साथ नरमी का व्यवहार किया जाये और यह बात सारे देश में फैल गयी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात ठीक है और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से अपराध बढ़े हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि अनुदेश दिये भी गये हों तो क्या वे अब स्वीकार करेंगे ।

Police officers in Delhi belonging to Scheduled Castes

*45. **Shri Shiv Narain Sarsonia :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to Scheduled Castes among I.P.S. officers, D.S.Ps. and Inspectors in Delhi; and

(b) the number of officers belonging to Scheduled Castes who were appointed to the posts of S.P., D.S.P. and S.H.O. in various districts and police stations of Delhi during the last three years ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) There are 3 I.P.S. officers, 2 Dy. S.Ps. and 23 Inspectors belonging to Scheduled Castes in the Delhi Police at present.

(b) The number of Scheduled Caste officers posted as S.Ps., Dy. S.Ps. and S.H.Os. in various districts and police stations of Delhi during the relevant period is given below :—

S.Ps.	Dy. S.Ps.	S.H.Os.
4 (including 3 addl. S.Ps.)	2	4

Shri Shiv Narain Sarsonia : Sir, May I know whether it is a fact that policy of discrimination is being constantly followed against the scheduled castes. Should we hope for a change in this policy. May I know whether it is fact that out of 50 S. Ps., about 150 D.S.Ps. and 500 inspectors, only a few are posted in Police Stations and districts. Is corruption the main reason behind all this ?

Moreover during emergency people just released used to be arrested right on the gates of jails. An enquiry against the officers had been started in this connection. May I know the results thereof and what are the reasons for discontinuing the enquiry ?

Shri Charan Singh : I can assure the hon'ble Member that there is no question of persuing the policy of discrimination. If there is any such case where job was denied simply on the basis of caste, action will be taken against the concerned officer after instituting an enquiry.

I am not aware if any enquiry is going on but if the hon'ble Member supplies any information, the enquiry will certainly be instituted.

Shri Chand Ram : May I know whether there is any case of supersession i.e. one S.P. due for promotion to the post of D.I.G. was superseded and if so will such cases be reviewed ?

Shri Charan Singh : If any injustice has been done, then we shall definitely look into that.

Dr. Bapu Kaldate : May I know whether any percentage of posts has been reserved or proposed to be reserved for Scheduled castes ?

Shri Charan Singh : No doubt percentage has been fixed but the whole percentage can not be completed at once. It is being increased gradually.

Shri Shiv Narain Sarsonia : May I know whether the 18 percent quota for posts of D.I.G., S.P., D.S.P. and other officers is being filled or not ?

Shri Charan Singh : I have already replied to that question.

आपातकालीन स्थिति के दौरान नजरबंद किए गए व्यक्तियों की रिहाई

*47. **श्री गौरी शंकर राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकालीन अवधि के दौरान मीसा, डी०आई०एम०आई०आर० अथवा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत नजरबंद किये गये व्यक्तियों में से अब तक राज्यवार व वर्गवार कितने व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है ;

(ख) इस समय नजरबंद व्यक्तियों का राज्यवार और वर्गवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) आपातकालीन अवधि के दौरान कितने नजरबंद व्यक्तियों की मृत्यु हुई अथवा दुर्घटना/बीमारी से मर गये ; और

(घ) प्रत्येक राज्य में सभी नजरबंद व्यक्तियों की रिहाई के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) आपातस्थिति के दौरान आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम 1971 के अधीन अधिनियम की धारा 16-क को लागू करके 29795 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था। उनमें से 19 मार्च, 1977 तक 18892 बन्दी रिहा किए गये थे और शेष उक्त तिथि के बाद रिहा किये गये थे।

उसी अवधि के दौरान उक्त अधिनियम के सामान्य उपबन्धों के अन्तर्गत 6244 व्यक्ति नजरबन्द किये गये थे जब कि 25 जून, 1975 को 6010 व्यक्ति पहले से ही बन्दी थे। उनमें से 25 मार्च, 1977 को 6851 व्यक्ति नजरबन्द थे। 4 जून, 1977 को केवल 1796 व्यक्ति नजरबन्द थे। अधिनियम के सामान्य उपबन्धों के अधीन तथा अधिनियम की धारा 16-क को लागू करके नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या के राज्यवार तथा श्रेणी वार आंकड़ों के दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं।

भारत रक्षा एवं आन्तरिक सुरक्षा नियमों में किसी व्यक्ति को नजरबन्द करने की व्यवस्था नहीं है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निरोध अधिनियम 1974 के अधीन 25 जून, 1975 से 20 मार्च, 1977 के दौरान 2015 व्यक्ति नजरबन्द किए गए थे। नजरबन्दी रिहाई की संख्या तथा 4 जून, 1977 की स्थिति का राज्यवार विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी० 341/77]

(ग) 59 नजरबन्दियों की मृत्यु हिरासत के दौरान तथा 14 व्यक्तियों की मृत्यु पैरोल के दौरान हुई।

(घ) राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे आन्तरिक सुरक्षा अनुसरण अधिनियम के अधीन नजरबन्दों की रिहाई के बारे में विचार करें। इसके अनुसरण में राज्य सरकारों ने बड़ी संख्या में नजरबन्दियों को रिहा किया है।

Shri Gauri Shankar Rai : Sir, I could not hear the reply given by the hon'ble Minister. May I know the number of deaths while in detention ?

Shri Charan Singh : 59 persons died while in custody and 14 died while on parole. We consider detention as the reason of death because they fell ill in jails.

Shri Gauri Shankar Rai : May I know whether the hon'ble Minister is aware of the fact that in previous week as well as this week many more persons released from jails have died because they were ailing when they were released and could not recover. Will they be included in the list of persons who died while in detention.

Shri Charan Singh : The persons who have died with in three months of their release will be treated as died while in detention.

Shri Gauri Shankar Rai : May I know whether Government are giving or propose to give compensation to the families of the deceased ?

Shri Charan Singh : The Government have decided recently that compensation be given to the families of these 73 deceased persons if their financial position is not satisfactory.

श्री चित्त बसु : मैं मंत्री जी का ध्यान दी गई तालिका की ओर दिलाना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के संबंध में कालम 2 में बंदियों की संख्या 5,223 दिखाई गई है जबकि कालम 3 में यह संख्या 5,009 है। अब तक जो व्यक्ति जेल में हैं उनकी संख्या क्या है? आसुका की धारा 16क के अन्तर्गत पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या 311 है लेकिन रिहा केवल 217 व्यक्ति किये गये हैं। बाकी 94 व्यक्तियों को क्यों नहीं छोड़ा गया यद्यपि आपातस्थिति हटा ली गई है। बताया गया है कि 59 व्यक्ति जेलों में मरे हैं। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इनमें से बहुत से व्यक्ति पुलिस की यातना और असहनीय परिस्थितियों के कारण मरे। क्या मंत्री जी इस बारे में न्यायिक जांच का आश्वासन देंगे ?

श्री चरण सिंह : जेल में मृत्यु के बारे में मैंने कई आरोपों के बारे में सुना है लेकिन अभी तक विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। ये 73 व्यक्ति आसुंका के सामान्य उपबन्धों के अधीन गिरफ्तार नहीं किये गये उन्हें धारा 16क के अधीन पकड़ा गया था। 25 जून, 1975 को आपात स्थिति लागू किये जाने के बाद आसुंका में धारा 16क जोड़ दी गई। मैं धारा 16क के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के सन्दर्भ में कह रहा हूं। मुझे उन लोगों के आंकड़ों का कुछ पता नहीं है जिन्हें आसुंका के सामान्य उपबन्धों के अधीन नजरबन्द किया गया था।

श्री चित्त बसु : पश्चिम बंगाल में आसुंका के सामान्य उपबन्धों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये जाने वालों की कुल संख्या 5,223 है। उनमें से कितने अभी भी जेल में हैं और उनका क्या हुआ ?

श्री चरण सिंह : पता नहीं वह किस तालिका का उल्लेख कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जेलों में शायद 6,200 बंदी थे। उनमें से 4,900 को रिहा कर दिया गया है। शेष 1,300 व्यक्तियों के मामलों पर भी राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। मुझे आशंका है कि वे सभी नहीं छोड़े जा सकेंगे। इस मामले पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार ने ही लेना है।

प्रो० दलीप चक्रवर्ती : 30 जनवरी, 1977, को एक व्यक्ति को, जो कि बीमार था चिकित्स, सहायता नहीं दी गई और उसकी मृत्यु हो गई। मेरा विचार है कि श्री राय की सरकार ने केन्द्र सरकार को इसकी जानकारी ही नहीं दी। इसके अतिरिक्त श्री राय के साथ मिल कर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने प्रति हिंसा का सिद्धान्त तय किया जिस के फलस्वरूप 5,000 नक्सलवादी पश्चिम बंगाल की गलियों में मारे गये। क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है? तीसरे क्या मंत्री जी इन घटनाओं की जांच करायेंगे ?

श्री चरण सिंह : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। यदि सदस्य महोदय जानकारी देंगे तो मैं जांच कराऊंगा।

श्री चित बसु : क्या मंत्री जी जांच करायेंगे। यह एक बहुत आवश्यक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये मैंने आपको अनुमति दी है। यह बात न केवल आप के लिए वरन इस सभा तथा समस्त देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस लिए आप दूसरों को भी अवसर दो।

श्री चित्त बसु : लेकिन उन्हें प्रश्न का पूरा उत्तर देना चाहिए।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : वक्तव्य में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जिन संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था उनके बहुत से सदस्य जेलों में बन्द थे। उसी सिलसिले में नक्सलवादी भी आते हैं। जनता सरकार ने पदग्रहण के पश्चात् राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लगभग सभी सदस्यों को छोड़ दिया है लेकिन नक्सलवादियों को नहीं छोड़ा गया। इसका क्या कारण है? इस बारे में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है ?

श्री चरण सिंह : इस सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों और नक्सलपंथियों के बीच कोई भेद-भाव नहीं रखा है। हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पण : अध्यक्ष महोदय मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने पूछा था कि जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग छोड़े जा रहे हैं तो नक्सलवादियों को क्यों नहीं छोड़ा गया और अन्तिम निर्णय क्या है?

श्री चरण सिंह : मैं कह चुका हूं कि लगभग सभी नक्सलवादी रिहा कर दिये गये हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के संबंध में आंकड़े दिये हैं। इसके अलावा और सदस्य महोदय मुझ से क्या चाहते हैं? अन्तिम रूप से निर्णय राज्य सरकार ने ही लेना है। हम पहले ही उन्हें परामर्श दे चुके हैं कि सब बन्दियों को रिहा कर दिया जाये।

Shri Bhanu Kumar Shastri : Sir, the hon'ble Minister has furnished information only about the persons who were arrested under Section 16-A or died in detention. But has he any information about several persons detained under D.I.R. and who died while in custody because proper treatment was not given to them?

श्री चरण सिंह : प्रश्न यह पूछा गया है कि आपातस्थिति के दौरान कितने व्यक्ति दुर्घटना/बीमारी का शिकार हुए। मेरा उत्तर इसी प्रश्न से सम्बद्ध है। यदि कोई गिरफ्तार व्यक्ति मर गया तो उसका अर्थ यह नहीं कि वह भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत नजर बन्द था। वास्तव में इस सूची में सभी बन्दियों को शामिल किया गया है।

Shri Bhanu Kumar Shastri : But one man's name who was detained under D.I.R and had died in detention has not been included in the list. His name was Shri Om Prakash Lakha who was arrested in Udaipur, Rajasthan. This man died becuase he had not been discharged at the proper time.

Shri Charan Singh : I shall enquire if the name mentioned by the hon'ble member has been included in the list or not. If it is not there, the same will be included.

Shri Nirmal Chander Jain : Sir, full details in regard to the total number of persons arrested under D.I.R., MISA or other Acts during the emergency should have been provided. The reply should give information about the number of persons released Statewise.

Secondly, Section 16-A was added after 29th June. We also want to know the figures regarding the persons arrested on the 26th June.

Shri Charan Singh : I think Section 16-A was applied to those persons also who were arrested between the 26th & 28th June. All those have been included in this list.

श्री वापूसाहिब परुलेकर : 16 ए के अन्तर्गत हजारों व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। उस समय बंदी न्यायालय में भी नहीं जा सकते थे। क्या वर्तमान सरकार ऐसा कोई कानून बनायेगी जिससे यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से पकड़ा जाये तो वह न्यायालय के माध्यम से मुआवजा ले सके? क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को मुआवजा देने पर विचार कर रही है?

श्री चरण सिंह : 16 ए का पहले ही लोप कर दिया गया है और उसके अन्तर्गत गिरफ्तार सभी व्यक्ति रिहा कर दिये गये हैं। यदि हरजाने के लिए न्यायालय किसी मामले पर विचार करता है तो सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी।?

श्री जी० एम० बनतवाला : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बंदियों के संबंध में सरकार ने तत्परता दिखाई है और वे सभी रिहा कर दिये गये हैं परन्तु नक्सलवादियों के संबंध में सरकार केवल राज्य सरकारों को सलाह ही देती रही है?

श्री चरण सिंह : मैं इस आरोप का विरोध करता हूं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों से भी अधिक मैंने नक्सलवादियों की ओर ध्यान दिया है। स्वयं उनके नेता मेरी बात की पुष्टि करेंगे।

Shri Lalji Bhai : Sir, may I know the time limit fixed for releasing all the persons arrested during the emergency and by which time all of them will be released ?

Shri Charan Singh : All of them have already been released. Naxalites were arrested before the emergency. We have released 90 percent of total Naxalite detenues i.e. 4900 have been released out of 6200 prisioners. There are 1300 left in the prisons. The State Governments are of the opinion that old records show them as murderers or they had attacked the police officers etc. They think it will not be safe to release them. Some cases are being looked into but the final say in the matter will be of the State Governments.

श्री वयालार रवि : क्या मंत्री जी को जानकारी है कि पश्चिम बंगाल और केरल में 1968 से जो लोग बंदी बनाये गये थे, उनके साथ उन दिनों बड़ा बुरा वर्ताव किया गया। क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री चरण सिंह : मुझे तारीख या वर्ष का कुछ पता नहीं है। इस प्रश्न के लिए अलग से सूचना देनी चाहिये।

श्री पी०के० कोडियान : क्या यह तथ्य है कि नक्सलवादी बंदियों को छोड़ने के लिए सरकार इस बात पर आग्रह कर रही है कि वे यह लिख कर दें कि वे कानून का पालन करेंगे और लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास रखेंगे? क्या यह भी सच है कि कई नक्सलवादियों ने ऐसा करने से इंकार किया है ?

श्री चरण सिंह : यह तथ्य है कि नक्सलवादियों के कई ग्रुपों की केन्द्रीय समिति ने एक संकल्प पहले ही पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वे वर्ग-नाश या हिंसा में विश्वास नहीं रखते। इस संकल्प से लगता है कि वे हिंसा छोड़कर लोकतांत्रिक ढंग अपनायेंगे। लेकिन नक्सलवादियों के कुछ ग्रुप इस संकल्प से सहमत नहीं। वे अपनी पुरानी हिंसात्मक गतिविधियों और वर्ग-नाश में विश्वास रखते हैं।

श्री पद्माचरण सामंत सिंहार : जेल में जिस कैदी की मृत्यु हो जाती है उसके लिए कौन उत्तरदायी है, पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारी। दूसरे, मृतक के परिवार को कुछ मुआवजा भी दिया जाता है जो उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से होता है। पर भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन देने के मामले में ऐसी कोई शर्त नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्य चाहे लखपति हो या करोड़पति उसे भी पूरी पेंशन मिलेगी। फिर आप मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर मुआवजा क्यों देते हैं?

श्री चरण सिंह : जहां तक जेलों में मृत्यु के लिए उत्तरदायित्व का प्रश्न है, इसका उत्तर तो विपक्ष में बैठने वाले सदस्य ही दे सकते हैं। वास्तव में यही लोग जेलों में कैदियों की मृत्यु के लिए अपरोक्ष रूप से जिम्मेदार हैं।

मुझे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि जेल कर्मचारियों द्वारा पीटे जाने पर या दुर्व्यवहार के कारण किसी आदमी की मृत्यु हुई हो।

जहां तक मुआवजे के ढंग का प्रश्न है, मुझे ठीक राशि तो याद नहीं। शायद यह 150 से 250 रुपये तक है। जिला मजिस्ट्रेट या किसी भी अधिकारी को आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए कहा जाता है, उसकी रिपोर्ट मिलने पर राशि दी जाती है। कई व्यक्तियों की हालत बहुत खराब होती है उन्हें अधिक राशि दी जाती है।

श्री विनोदभाई बी० सेठ : नक्सलवादी की वास्तविक परिभाषा क्या है? नक्सलवादियों तथा अन्य अपराधियों में अंतर कैसे किया जाता है? क्या नक्सलवादियों के प्रति पुलिस के रवैये में कोई परिवर्तन आया है?

श्री चरण सिंह : परिभाषा यह है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु कोई अपराध नहीं किया। वे लोकहित की दृष्टि से काम कर रहे थे हालांकि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने गलत ढंग को चुना।

केरल के विपक्षी नेताओं द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

*49. **श्री समर मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 19 अप्रैल, 1977 को केरल के विपक्षी राजनैतिक दलों के नेताओं से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) मुख्य बातें ये हैं कि (1) राजन कन्नन और विजयन, जो पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद से लापता है, के मामलों, (2) आपातस्थिति समाप्त होने के बाद त्रिचुर तथा त्रिवेंद्रम जिलों में पुलिस हिरासत में मृत्यु के दो मामलों, (3) पुलिस द्वारा कैदियों पर की गई ज्यादतियों और उनको दी गई यातनाओं और (4) जिन राजनैनिक कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों ने लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के चुनावों में सत्तारूढ़ दलों के मंत्रियों तथा नेताओं के विरुद्ध नामांकन पत्र दाखिल किये थे उनको डराने, धमकाने तथा भयभीत करने के लिए पुलिस के दुरुपयोग की जांच करने हेतु केरल के लिए एक पृथक आयोग नियुक्त किया जाय।

राजन् के बारे में एक मामला जिसमें हत्या का आरोप शामिल है दर्ज किया गया है। इस सम्बन्ध में दो उप महानिरीक्षक और दो पुलिस अधीक्षक गिरफ्तार किये गये हैं। राज्य सरकार ने सर्वश्री कन्नन, विजयन नायर और वणुगोपालन के लापता होने की जांच करने के लिए केरल उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश का एक जांच आयोग नियुक्त किया है। एक अन्य जांच आयोग पुलिस की हिरासत में मृत्यु के दो मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस ज्यादतियों के उन विभिन्न विशिष्ट आरोपों की भी जांच पड़ताल की जा रही है, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं।

श्री समर मुखर्जी : मैंने प्रश्न (क) में पूछा है कि क्या 19 अप्रेल को उन्हें केरल के विपक्षी राजनीतिक नेताओं की ओर से कोई ज्ञापन दिया गया था। लेकिन मंत्रीजी ने किसी अन्य ज्ञापन के बारे में उत्तर दिया है। मैंने जिस ज्ञापन की बात कही थी वह केरल में हुए पिछले चुनावों के बारे

में है। वहां संसद के लिए चुनावों के साथ ही विधान सभा के चुनाव भी कराये गये। सभी विपक्षी दलों ने ज्ञापन में कहा है कि भारी संख्या में जाली मत पत्र छापे गये जिन मुद्रणालयों में वे जाली मत-पत्र छापे गये उनके नाम भी ज्ञापन में दिये गये हैं। एक कांग्रेस विधायक के घर में मतपत्रों के बंडल पाये गये और भी तथ्य दिये गये है। चूंकि मंत्रीजी को ज्ञापन का पता नहीं है अतः मैं उन्हें अभी जानकारी देने के लिए नहीं कह रहा। लेकिन विपक्षी दलों ने उन सभी तथ्यों की जांच की मांग की है। क्या मंत्री जी सत्य बात का पता लगाने के लिए जांच करायेंगे। इसके साथ ही विपक्षी दलों की मांग है कि यदि ज्ञापन में लगाये गये आरोप ठीक सिद्ध हो जायें तो केरल में पुनः चुनाव कराये जायें। ये आरोप बहुत गंभीर हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे शिकायतें सिद्ध करने के लिए और भी तथ्य देने को तैयार हैं।

श्री चरण सिंह : जैसा कि सदस्य महोदय ने स्वयं माना है मेरा उत्तर 19 अप्रैल को दिये गये ज्ञापन से ही संबन्धित है। हो सकता है और भी ज्ञापन दिया गया हो। यदि केन्द्रीय सरकार इस विषय में कुछ कर सकती है तो अवश्य किया जायेगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि उनके हाथ में जो ज्ञापन है उसका सम्बन्ध विधान सभा में की गयी गड़बड़ियों से है।

श्री समर मुखर्जी : नहीं, विधान सभा और लोक सभा दोनों के लिए है।

श्री चरण सिंह : इसका समाधान तो चुनाव याचिका दायर करना है। सरकार द्वारा जांच आवश्यक नहीं।

श्री समर मुखर्जी : ज्ञापन सरकार को और गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। भ्रष्टाचार, कदाचार और चुनाव घोटालों सम्बन्धी कुछ तथ्य सरकार के ध्यान में लाये गये हैं। सरकार को कम से कम तथ्यों की जानकारी लेकर यह तसल्ली करनी चाहिए कि क्या ये बातें सही हैं। यह चुनाव में घोटाले का केवल एक मामला नहीं है, समस्त निर्वाचन ही घोटाला था। हजारों और लाखों की संख्या में जाली मत-पत्र छपवाये गये।

श्री चरण सिंह : इस समस्या का समाधान तो उच्च न्यायालय अथवा चुनाव-न्यायाधिकरण के पास है, सरकार के पास नहीं। मुझे पता नहीं है कि जो उत्तर दिया है, वह उचित है या नहीं? जहां तक आपातस्थिति के दौरान अत्याचारों का प्रश्न है, केरल सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से हम संतुष्ट हैं।

श्री समर मुखर्जी : मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि केरल में कुछ यातना कक्ष बनाये गये थे।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से उसका कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री ए० सी० जार्ज : क्या यह सत्य है कि एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है कि चुनाव में तथाकथित घोटाले सम्बन्धी सभी शिकायतों की जांच करने के बाद केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि चुनाव में कोई घोटाला नहीं हुआ है?

Shri D.N. Tiwary : The information regarding printing of bogus ballot papers has been received not only from Kerala but from Bengal, Bihar and other places also whether it affected the election prospects or not is a separate question. The Janta wave was so powerful that Janta Candidates won despite rigging of elections. But the fact remains that crime has been committed. It is, therefore, proper to enquire into this affair. May I know whether the Government are contemplating any such enquiry.

Shri Charan Singh : As I have said earlier, election petition is the only remedy for challenging rigging of elections.

2 LSS/77—2.

Shri D.N. Tiwary : An election petition is filed only when rigging has any bearing on the election result. But the fact remains that crime has been committed.

श्री कंवल लाल गुप्त : महोदय, मेरे प्रश्न संख्या 59 को 22-6-77 के लिए स्थगित किया गया है। मेरा अनुरोध है कि उस दिन की कार्यसूची में मेरा प्रश्न सबसे ऊपर रखा जाये अन्यथा शायद उस दिन उसे न लिया जा सके।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Government's powers to make an enquiry against Chief Minister of a State

*43. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Karnataka has charged the Central Government that Central Government have no consitutional power to order an enquiry against the Chief Minister;

(b) if so, whether a clarification has since been given by Central Government; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Home Minister (Shri Charan Singh) : (a) While furnishing his comments on the allegations, which had been referred to him in accordance with the settled procedure, the Chief Minister of Karnataka did raise the question of legal competence of the Central Government. Subsequently, a suit, under Article 131 of the Constitution has been filed by the State of Karnatak in the Supreme Court raising, *inter alia*, this issue.

(b) and (c) Replies were sent to the communications received from the Chief Minister of Karnataka regarding this matter. The question of giving any clarification on the issue of legal competence raised by him does not arise, as the matter is *sub judice*.

भारत में कोयले का उत्पादन

*46. **श्री अरबिंद बाला भजनोर :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कोयले का उत्पादन कितना है और आगामी पांच वर्षों में कितना उत्पादन होने की संभावना है ;

(ख) कोयले की कुल बिक्री की वर्तमान स्थिति क्या है तथा आगामी पांच वर्षों में क्या स्थिति रहने की संभावना है ;

(ग) क्या कोयले का उत्पादन स्थापित किये जाने वाले नये बिजली घरों के हिसाब से योजनानुसार बढ़ रहा है ; और

(घ) निर्धारित समय से पीछे चल रही योजनाओं के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कितनी क्षति पहुंची है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) 1976-77 के दौरान भारत में कोयले का उत्पादन 101.27 मी० टन हुआ तथा 1977-78 के लिए उत्पादन का प्रस्तावित लक्ष्य 105 मी० टन है। पांचवीं योजना में, जिसे अगस्त 1976 में अन्तिम रूप दिया गया है, उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य इस प्रकार रखा गया है कि 1978-79 में 124 मी० टन तथा 1983-84 में 185 मी० टन की अनुमानित मांग को पूरा किया जा सके।

(ख) 1976-77 के दौरान कोयले की कुल खरीद 98.51 मी० टन हुई जिसमें कोलियरी में उपयोग में लाया गया कोयला शामिल है। चूंकि 1976-77 की वास्तविक कुल खरीद कोयले की प्रत्याशित मांग की अपेक्षा कम हुई इसलिए 1976-77 तथा 1977-78 की प्रथम तिमाही के वास्तविक उपभोग को ध्यान में रखते हुए 1977-78 तथा 1978-79 की परियोजित मांग की विस्तृत पुनरीक्षा की जाएगी। अगले पांच वर्षों के लिए प्रत्याशित कुल खरीद का और भी सही निर्धारण इस पुनरीक्षा के बाद हो सकेगा।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Nationalization of Maruti Small Car Project

*48. **Shri G.S. Tohra** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government propose to nationalize Maruti Small Car Project of Shri Sanjay Gandhi; and

(b) if so, by what time ?

The Minister of Industry (Shri Brij Lal Verma) : (a) There is no proposal under the consideration of the Government for the nationalization of the Maruti Small Car Project.

(b) Does not arise.

सीमेंट की कमी

50. **श्री एफ०पी० गायकवाड** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में सीमेंट की कमी है ;

(ख) क्या सीमेंट विक्रेता प्रत्येक बोरी पर प्रीमियम कमा रहे है ;

(ग) क्या आपात स्थिति हटाये जाने के कारण सीमेंट की कीमतों में वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो सीमेंट की कमी दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) से (घ) वर्ष 1976 में सीमेंट का उत्पादन 187.60 लाख मी० टन रहा और 1977 की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च) में 49.50 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन हुआ। यह उत्पादन अब तक हुआ सबसे अधिक उत्पादन है। इसके बाद यह समझना ठीक नहीं होगा कि देश में सीमेंट की किसी प्रकार की सामान्य कमी है। किन्तु अप्रैल, 1977 में खुले बाजार में सीमेंट उपलब्ध न होने की रिपोर्ट देश के विभिन्न भागों में प्राप्त हुई थी जिसके प्रमुख कारण मार्च, 1977 में किए गये भारी निर्यात, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि जैसे प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों, राज्य सरकारों द्वारा बिजली में की गई 30 से 50 प्रतिशत तक की कटौती तथा सरकार की मांग जो 1976 में 34 प्रतिशत थी उसका 1977 की पहली तिमाही में बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाना रहे हैं।

अतः देश के कुछ भागों में सीमेंट उपलब्ध न होने संबन्धी रिपोर्ट का कारण आपातकालीन स्थिति उठा लेने का प्रतिफल नहीं है ;

कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सरकार द्वारा अनिर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सीमेंट बेचने संबन्धी शिकायतें सरकार को मिली हैं। सीमेंट उत्पादकों पर इस बात पर जोर डाला गया है कि यह सुनिश्चित करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि डीलर और स्टाकिस्ट खुदरा स्तर पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य न लें। उत्पादकों से सीमेंट के डीलरों और स्टाकिस्टों द्वारा की जाने वाली सीमेंट की बिक्री की जांच करने के लिए भी कहा गया है।

राज्य सरकार से अर्धशासकीय स्तर पर अनुरोध किया गया है कि वह राज्य में सीमेंट के मूल्य पर कड़ी निगरानी रखे, यदाकदा जांच आदि करके अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक तत्वों के संबन्ध में उपयुक्त कार्यवाई करे तथा यह सुनिश्चित करे कि विक्रेता तथा स्टाककर्ताओं द्वारा खुदरा बिक्री स्तर पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये गये मूल्य से अधिक मूल्य तो नहीं लिये जाते। राज्य सरकारों का ध्यान अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जारी किये गये लाइसेंसीकरण तथा नियंत्रण आदेशों के विभिन्न उपबन्धों की ओर भी दिलाया गया है जिसके माध्यम से उन्हें बिक्री मूल्य निश्चित करने, माल अधिकार में लेने अथवा स्टाक बेच देने, प्रविष्टियां करने, तलाशी करने, जब्त करने आदि की शक्तियां मिली हुई हैं। सरकार के निर्देशों के बारे में अनुशासन संहिता का अनुपालन करने के लिये सीमेंट उत्पादनकर्ता एसोसियेशन ने भी पूरा पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। सरकार के ध्यान में जो भी विशिष्ट प्रकरण लाये जाते हैं उनकी जांच की जाती है तथा अपेक्षित उपयुक्त कानूनी कार्यवाई की जाती है।

तमिलनाडु के सीमेंट कारखानों में जहां अधिकतम विद्युत कटौती लागू की गई थी अधिक विद्युत शक्ति देने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध करके इष्टतम उत्पादन बनाए रखने के प्रयत्न किये गये हैं। केरल राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि वह तमिलनाडु राज्य को अधिक से अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करे। सरकार से सीमेंट लेने वालों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी मांग स्थगित रखें अथवा वर्तमान तिमाही में अपना स्टाक बनाये रखने हेतु सीमेंट न लें तथा तभी स्टाक बनावें जबकि अगली तिमाही अर्थात् जुलाई से सितम्बर प्रत्याशित विद्युत कटौती उठा लिये जाने से उत्पादन में सुधार होने की आशा है। जून के उपरान्त मानसून आ जाने के फलस्वरूप आम जनता द्वारा भी निर्माण कार्य की गति भी धीमी किये जाने की आशा है। राज्य व्यापार निगम जिसके माध्यम से सीमेंट का निर्यात प्रणालीबद्ध किया जाता है, को भी परामर्श दिया गया है कि वे वर्तमान तिमाही में केवल आवश्यक न्यूनतम मात्रा में उसी सीमा तक निर्यात करें जो उनके अपने अपरिहार्य ठेकों के दायित्व का निर्वाह करने हेतु आवश्यक हो।

Power Shortage in U.P.

*51. **Shri Tej Pratap Singh :** Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) the reasons of sudden and acute shortage of power in U.P., and

(b) whether Government propose to take some immediate steps to make up this shortage ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) and (b) U.P. has been facing shortage of power from as early as March, 1976. Power cuts on peak demands were imposed on continuous industries. There were restrictions on re-rolling mills, arc furnaces and other non-continuous industries from 6.30 P.M. to 9.00 P.M. Holidays in some industries were staggered. The situation deteriorated from January, 1977 due to the addition of new connections into the system without taking into consideration the availability

of energy. The situation was aggravated due to outage of some of the thermal generating units on planned maintenance and high forced outage rate of other units during the months of February and March, 1977. All this resulted in depletion of hydro reservoirs. Availability of energy from the newly commissioned units was also below expectation. Generation from Yamuna and Ramganga Hydel station was poor due to low inflows in the river. Restrictions on consumption of energy were imposed from the first week of April, 1977, when the situation was already considerably aggravated. Assistance from Badarpur got affected because of outage of some of the units there. Bharat Heavy Electricals Ltd. and Uttar Pradesh State Electricity Board have taken vigorous steps to recommission all the units which are on forced outage and to recommission units which are on long outage and to stabilise the performance of newly commissioned units. Steps have also been taken to restore assistance partially to Uttar Pradesh State Electricity Board electrical system from Badarpur by the end of this month.

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को स्वायत्त निगमों में परिवर्तित करना

*52. **श्री आर० के० महालगी :**

श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को कब तक स्वायत्त निगमों में परिवर्तित करने का है ;

(ख) ऐसा शीघ्र करने में क्या कठिनाइयां है ; और

(ग) सरकार का उन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वयत्ता प्रदान करने के बारे में सिफारिशें सुझाने हेतु एक वकिंग पेपर तैयार करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों का एक दल गठित करने का विचार कर रही है ।

News Item "Tortured for Fake Confessions"

*53. **Shri Mritunjay Prasad Varma:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether his attention has been drawn to the news item published in the "Sunday Hindustan Times" on the 22nd May, 1977 under the caption "Tortured for fake confessions"; and

(b) If so, the steps being taken to make an inquiry into the misdeeds of those police and other government officials whose names are mentioned in the report sent by the under ground active workers to the United Nations Human Rights Commission ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have set up a Commission of Inquiry headed by Shri J. C. Shah, retired Chief Justice of the Supreme Court of India to enquire *inter alia*, into specific instances of mal-treatment and/or atrocities on persons arrested or detained during emergency. On receipt of the report of the Commission, suitable action will be taken against those found guilty.

पत्तन तथा गोदी श्रमिकों द्वारा हड़ताल

*54. **श्रीमती मृणाल गोरे :**

डा० बापू कालदते :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बहुत बड़ी संख्या में पत्तन तथा गोदी श्रमिक हड़ताल पर थे ;

(ख) श्रमिकों की क्या शिकायतें थी ;

(ग) पत्तन के अधिकारियों ने हड़ताल समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की ; और

(घ) हड़ताल की अवधि के दौरान पत्तन प्रशासन को कुल कितनी हानि हुई ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कुछ स्थानीय विवादों को लेकर कुछ समय के लिए मामूली छुटपुट हड़तालों को छोड़कर, बम्बई और कोचीन के अलावा किसी भी पत्तन में अभी हाल कोई हड़ताल नहीं हुई। पश्चादुक्त दोनों पत्तनों पर हड़ताल का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) **बम्बई :** अप्रैल, 1977 से लेकर विभिन्न अनुभागों में थोड़े-थोड़े समय के लिए पत्तन पर कुछ कर्मचारियों ने अचानक हड़ताल करना शुरू कर दिया । बाद में पत्तन के कुछ अनिवार्य श्रेणी के कर्मचारियों ने 9/10 मई की आधी रात से 21 मई, 1977 तक हड़ताल कर दी।

(2) **कोचीन :** कोचीन में गोदी कर्मचारी 4-5-77 की रात से 6-5-77 (इस दिन सहित) की दिन की पारी तक हड़ताल पर रहे।

(ख) (1) **बम्बई :** कर्मचारियों ने कर्मी तालिकाओं, विश्राम के अलग-अलग साप्ताहिक दिनों, समयोपरि भत्ते आदि संबन्धी 1975—77 में जो परिवर्तन करने का निर्णय किया था, उसे रद्द करने की मांग की।

(2) **कोचीन :** कर्मचारियों ने उन 7 कर्मचारियों के निलम्बन आदेशों को वापिस लेने की मांग की जिन्होंने आदेश मानने से इंकार किया।

(ग) (1) **बम्बई :** पत्तन न्यास से सीधी बातचीत की और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत मामला समझौते के लिए क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी) को भी भेज दिया।

(2) कोचीन : प्रबन्ध और कर्मचारियों के बीच बातचीत से समझौता हो जाने के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गयी।

(घ) हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

गोदी कर्मचारी मजूरी पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन

*56. **श्री के० ए० राजन :**

श्री एस० जी० मुरुगय्यन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी कर्मचारी मजूरी पुनरीक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पत्तन और गोदी कर्मकार वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ।

(ख) समिति ने संबन्धित कर्मकारों के लिए पुनरीक्षित वेतन ढांचे की सिफारिश की है । रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

(ग) रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है ।

बड़े तापीय बिजली घर

*57. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सरकार ने देश में चार बड़े तापीय बिजली घर बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है

श्री पी० रामचन्द्रन, ऊर्जा मंत्री : (क) और (ख) प्रारम्भ में देश के चार क्षेत्रों में नामशः उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में से प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

बड़े-बड़े ताप विद्युत केन्द्रों के लिए उपयुक्त स्थलों के संबन्ध में सिफारिशें देने और तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से उनकी उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए 1973 में एक समिति बनाई गई थी। चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक-एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र लगाने के लिए प्रारम्भ में निम्नलिखित स्थलों की जांच की गई:—

सिंगरौली (उत्तर प्रदेश)	उत्तरी
कोरबा (मध्य प्रदेश)	पश्चिमी
रामागुंडम (आन्ध्र प्रदेश)/	दक्षिणी
नैवेली (तमिलनाडु)	
फरक्का (पश्चिम बंगाल)	पूर्वी

सिंगरौली में सुपर ताप विद्युत केन्द्र संबन्धी कार्य हाथ में ले लिया गया है तथा परियोजना के प्रथम चरण, जिसमें 3 × 200 मै० वा० की यूनिटें हैं, की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा कार्य आरम्भ हो गया है । यह परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के जरिए निष्पादित की जा रही है और इस परियोजना की धन संबन्धी व्यवस्था के लिए विश्व बैंक से 150 मिलियन डालर का ऋण दिया जा रहा है ।

अन्य क्षेत्रों में भी परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाई की जा रही है ।

इडक्की परियोजना से कर्नाटक को बिजली की सप्लाई बन्द करना

*58. **श्री के० मालन्ना :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने इडक्की परियोजना से कर्नाटक को बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बन्द कर दिए जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है ;

(ख) क्या लोक सभा चुनावों के पश्चात् बिजली की सप्लाई में 50 प्रतिशत कमी की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री पी० रामचन्द्रन, ऊर्जा मंत्री : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने बिजली की अपनी मांग को पूरा करने के लिए केरल से बिजली की सप्लाई का प्रबन्ध करा देने के लिए कुछ समय पहले केन्द्रीय सरकार को लिखा था। तदनुसार, मामला तमिलनाडु सरकार के साथ उठाया गया और तमिलनाडु सरकार केरल से मिलने वाली बिजली का एक भाग जो प्रतिदिन अधिक से अधिक एक मिलियन यूनिट हो, कर्नाटक को सप्लाई करने के लिए सहमत हो गई थी। कर्नाटक को एक मिलियन यूनिट की सप्लाई 23-9-1976 से चालू की गयी थी और यह सप्लाई 26-3-1977 तक जारी रही। इस समय से 11-4-77 तक बिजली की यह सप्लाई कम करके 0.5 मिलियन यूनिट कर दी गई। एन्नौर के ताप विद्युत यूनिटों में जबरन बन्दी (फोर्सड आऊटेज) से तमिलनाडु में बिजली की कमी में बढ़ोत्तरी हो जाने के कारण तमिलनाडु में विद्युत की स्थिति बहुत खराब हो गई थी तथा कर्नाटक को बिजली की सप्लाई 11 से 21 अप्रेल, 1977 तक स्थगित कर दी गई थी। 22-4-1977 से सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई थी। 23-9-1976 से 17-5-1977 तक की अवधि में तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने कर्नाटक को लगभग 142 मिलियन यूनिट बिजली की सप्लाई की।

परमाणु सामग्री का आयात

*60. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस श्रेणी की परमाणु सामग्री आयात की गई है ;

(ख) क्या वे शर्तें जिनके अन्तर्गत इनका आयात किया गया है, निर्माण कार्यों में परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर किसी प्रकार प्रतिबन्ध लगाती है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन प्रतिबन्धों को समाप्त करने के लिए कदम उठाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) केवल समृद्ध यूरेनियम ;

(ख) करार की शर्तों के अनुसार आयातित नाभिकीय सामग्री का उपयोग केवल परमाणु रिएक्टरों के ईंधन के रूप में किया जायेगा ;

(ग) जी नहीं ;

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Facilities Provided in Jails

377. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the facilities provided to 'A' class, 'B' class and 'C' class prisoners in Central and State jails;

(b) the comparative position in regard to the facilities provided to detenus in Central and State jails; and

(c) whether Government have under consideration a proposal to bring about uniformity in the matter of provision of facilities to prisoners in all the jails in the country ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) & (b) The Central Government has no jail of its own and the prisoners detained, charged or convicted under all laws, including Central Laws, are lodged in State Jails. The classification of prisoners and the facilities to be provided to different categories of prisoners are governed under the provisions of the relevant jail Manuals of the States concerned. As regards detenus, each State is competent to issue rules/instructions regarding the conditions of detention under Section 5 of the MISA.

(c) "Prisons and persons detained therein...." are included in State List *vide* entry No. 4 of VII Schedule to the Constitution of India. However, a model Jail Manual was drafted and forwarded to the States for adoption in 1964. No proposal is at present pending with the Central Government for bringing about uniformity in the matter of provisions of facilities to prisoners in all the jails in the country.

पांचवी योजना में पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए धन का नियतन

378. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनरीक्षित पांचवीं योजना में पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए पर्याप्त धन का नियतन करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षित योजना में हिमाचल प्रदेश के लिए वर्षवार, कितनी राशि का नियतन किया जा रहा है और राज्य सरकार ने इस संबन्ध में कितनी राशि की मांग की है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त आवंटन निर्धारित किए गए हैं। पिछड़े क्षेत्रों का जहां तक संबन्ध है, निवेश सहायता और रियायती वित्त-व्यवस्था उन क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराई जाती है जिन्हें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किया गया है ।

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आवंटनों में ऐसे मामले भी आते हैं जहां किसी राज्य का कोई भाग पहाड़ी है। हिमाचल का जहां तक संबन्ध है, सम्पूर्ण राज्य ही पहाड़ी राज्य है। इसलिए उक्त राज्य की विशेष समस्याओं और उसके त्वरित विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण राज्य के लिए

ही आवंटन किए जाते हैं। पांचवीं योजना के आरम्भ से वार्षिक योजनाओं के संबन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव और अनुमोदित परिव्यय निम्नलिखित सारणी में बताए गए हैं:—

(करोड़ रु०)

	राज्य सरकार के प्रस्ताव	अनुमोदित परिव्यय
1974-75	32.40	30.66
1975-76	37.40	32.58
1976-77	53.90	37.84
1977-78	65.04	56.35

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बनाना

379. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बनाने की दिशा में हुई प्रगति से संतुष्ट है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस दिशा में संतोषजनक प्रगति न होने के क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड विकसित करने के लिए यह परम आवश्यक है कि न केवल राज्य तथा क्षेत्रीय स्तरों पर बल्कि अन्ततः राष्ट्रीय स्तर पर भार प्रेषण सुविधाओं से पूर्ण व भार केन्द्रों के साथ परस्पर संबन्ध स्थापित करने वाली पारेषण लाइनों का एक सुदृढ़ तार-जाल हो। तथा साथ ही अपेक्षित नियंत्रण और संचार सुविधाएं हों।

अखिल भारतीय आधार पर एक ऐसे समेकित विद्युत ग्रिड की स्थापना केवल चरण-बद्ध रूप में ही की जा सकती है।

अन्तर्राज्यीय लाइनों के निर्माण के साथ-साथ राज्य तथा क्षेत्रीय भार प्रेषण की व्यवस्थाएं करके समेकित क्षेत्रीय प्रणाली के लिए आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं ;

भार प्रेषण के लिए पारेषण तार जाल को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अधिक परिष्कृत तथा सुव्यवस्थित संचार सुविधाओं को स्थापित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से अभी कार्यान्वित किया जाना है।

Andaman Special Allowance

381. **Shri Manoranjan Bhakta** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Government employees in Andaman and Nicobar Administration who are not getting Andaman Special Allowance ;

(b) under what analogy the special allowance is denied to them;

(c) the present expenditure per year on account of granting Andaman Special Allowance; and

(d) what will be the financial requirement per annum if all these employees are granted Andaman Special Allowance ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) 11,344 Government employees are not getting Andaman Special Allowance.

(b) These Government servants are not entitled to Andaman Special Allowance since they are posted in their area of recruitment or at the place of their permanent residence.

(c) The present expenditure per year on grant of Andaman Special Allowance to the employees in Andaman and Nicobar Islands is Rs. 41,33,325.

(d) Financial requirement per annum if all employees are granted Andaman Special Allowance will be approximately Rs. 1,10,00,000 including present expenditure of Rs. 41,33,325 a year.

आगरा में लघु उद्योग एकक

382. **श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा में ऐसे लघु उद्योग एकक कितने हैं जिन्हें अनेक उत्पादों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है ;

(ख) उनमें से कितने एकक क्षमता से कम काम कर रहे हैं ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितने एकक बंद हो गए हैं :

(घ) उन एककों के बंद होने के वित्तीय संकट तथा सामग्री आदि के उपलब्ध न होने आदि के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क)

(क) इंजीनियरी/कृषि/ढलाई	670
(ख) जूते	270
(ग) खाद्य पदार्थ . .	60
(घ) रसायन/ग्लास	16
(ङ) विद्युत	22
(च) रबड़	17
(छ) लकड़ी	15
(ज) विविध .	283

(ख) 17

(ग) 310

(घ) (1) मांग का प्रभाव

(2) विद्युत की कमी

(3) कार्यशील पूंजी की कमी

(4) साझेदारों के बीच विवाद

(5) कुछेक वस्तुओं पर भारी उत्पादन शुल्क

(ङ) (1) उत्पादों का विविधीकरण

(2) चुने हुए उत्पादों के लिये विभिन्न निगमों द्वारा विपणन की व्यवस्था की जाती है ।

(3) कार्यशील पूंजी ऋण की व्यवस्था करने हेतु बैंकों से आग्रह किया जाता है ।

Compensation to M.I.S.A. Detenus

383. **Shri Rameshwar Patidar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government of India propose to give compensation to those MISA detenus whose family members died while these detenus were in jails during the Emergency; and

(b) If so, the amount thereof and the time by which it is likely to be paid ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) (a) & (b) : There is no proposal to give compensation to those MISA detenus whose family members died while these detenus were in jails during the Emergency.

However, the Government have finalised a scheme to grant monthly pension in deserving cases to dependents of those detenus held under MISA during the Internal Emergency who died in custody or within three months of their release from custody.

Bhagalpur Radio Station

384. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the development of Bhagalpur Radio Station s held up while other radio stations, which were set up after the establishment of Bhagalpur Radio Station have been developed;

(b) the time by which Bhagalpur Radio Station is likely to be converted into an independent broadcasting station;

(c) whtether Government have received certain memoranda against the Advisory Board of Bhagalpur Radio Station; and

(d) if so, whether Government propose to reconstitute this Board?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) Bhagalpur station of All India Radio is an auxiliary centre of the Patna Station. No auxiliary centre commissioned after Bhagalpur has been upgraded into a full-fledged radio station.

(b) There is no provision for this in the Fifth Plan. Its inclusion in future plans will depend upon the availability of resources.

(c) No, Sir. There is no Advisory Board for the Bhagalpur station, as it is an auxiliary station.

(d) Does not arise.

Stabbing incidents in Delhi

385. **Shri Kalyan Jain :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the facts of the stabbing incidents in Old Delhi which took place in the first week of May this year;

(b) the action taken to improve the law and order situation in this part of the Capital; and

(c) the steps taken against the elements creating anarchy and disturbance?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) According to information received from the Delhi Administration 10 cases of stabbing took place in Old Delhi during the relevant period. A note containing brief facts about these cases is attached.

(b) & (c) Various measures have been taken to improve the law and order situation in the area. These, *inter alia,* include intensification of patrolling in the city, setting up of police pickets at strategic points, preventive action under the Cr. P. C., deployment of plain clothes detectives and enlistment of public cooperation. The Home Guards are as!o being deployed to assist the police in patrolling the city.

STATEMENT

1. F.I.R. No. 268 dated 1-5-1977 u/s 307/34 IPC P. S. Hauz Qazi, Delhi.

Shri Firoj Khan was allegedly stabbed by one Rajwan with the help of two others when Shri Firoj Khan was going to Sadar Bazar on a rickshaw with his brother Abdul Rahim. Accused Abdul Hamid @ Gama and Rajwan have been arrested.

2. F.I.R. No. 265 dated 2-5-77 u/s 307/34 P.S. Lahori Gate, Delhi.

On 2-5-1977, two persons, Shri Barkat Ram and Shri Parmanand, were reportedly stabbed by three unknown persons at Nain Sarak, near Kucha Khan Chand. The case is under investigation.

3. F.I.R. No. 265 dated the 3-5-77 u/s 324 IPC P. S. Sadar Bazar, Delhi.

In this case, Shri Arun Kumar was stabbed in a bus on 3-5-77, when he reportedly asked a miscreant not to feel the pocket of a passenger. The culprit fled away when the bus stopped in front of Shop No. 122 Azad Market, Delhi. The case is under investigation.

4. F.I.R. No. 273 dated 4-5-77 u/s 307/324/34 IPC P. S. Lahori Gate, Delhi.

It is alleged that Shri Suresh Chand was stabbed by one Om Parkash and his accomplice at Naya Bazar at 3.30 p.m. on 4-5-77. Both the culprits were apprehended by the people.

5. F.I.R. No. 274 dated 4-5-77 u/s 324/34 IPC P.S. Subzi Mandi, Delhi.

On 4-5-77, Shri Prem Jit Singh was allegedly stabbed by Shri Gurcharan Singh and Shri Satpal in the area of P. S. Subzi Mandi due to a dispute over money. Accused Gurcharan Singh has been arrested and efforts are afoot to arrest his accomplice.

6. F.I.R. No. 269 dated 5-5-77 u/s 324134 IPC P. S. Sadar Bazar, Delhi.

On 4-5-77, at about 10-15 p.m., Shri Ahmed Hussain, S/o Mohamad Hussain, r/o 8949 Naya Mohalla Sadar Bazar, Delhi was allegedly stabbed at Bara Hindu Rao by one Ashok Kumar due to a dispute over money. The case is under investigation.

7. F.I.R. No. 405 dated 5-5-77 u/s 324/34 IPC P. S. Pahar Ganj, Delhi.

In this case, Shri Tilak Raj was allegedly stabbed by one Papoo and his friend, Jagdish on 5-5-77. The accused persons had reportedly teased a girl the previous day to which Shri Tilak Raj had objected. Both the accused have been arrested and the case is under investigation.

8. F.I.R. No. 217 dated 6-5-1977 u/s 307/342 IPC P. S. Jama Masjid, Delhi.

On 6-5-77, at about 6 p.m., one Sharda Singh, a labourer, was allegedly stabbed by one Fariduddin, S/o Hamid-uddin, r/o 2811, Pahari Bhojla, Jama Masjid, Delhi. It is reported that there was a dispute over the payment of old dues and re-employment. (The incident reportedly took place in the factory running in H. No. 2813, Gali Tehsildar Wali, Pahari Bhojla, Jama Masjid, Delhi.) Accused Fariduddin has been arrested. Further investigation is going on.

9. F.I.R. No. 247 dated 7-5-77 u/s 324 IPC P. S. Original Road, Delhi.

It was reported by Smt. Kali of Trilokpuri, Delhi that she had been injured with a knife by her husband, Kanhaya Lal, on 7-5-77 near Filmistan Cinema due to some domestic quarrel. Accused Kanhaya Lal has been arrested. The case is under investigation.

10. F.I.R. No. 455 dated 7-5-77 u/s 302/324/506 IPC P. S. Kingsway Camp, Delhi.

On 7-5-77, Shri Ashok Kumar S/o Shri Umrao Singh r/o H. No. 360, village Azadpur, was allegedly stabbed by the Rajender Parshad @ Rajju, a history sheeter of P. S. Roshan Area, due to some dispute over money and return of a watch. Accused, Rajender Parshad is also said to have inflicted injuries on his mother and brother Shri Ashok Kumar succumbed to his injuries in Hindu Rao Hospital on the same day. Accused Rajender Parshad is absconding. Vigorous efforts are afoot to arrest him.

छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के लिए पेंशन की योजना

386. **श्री दाजीबा देसाई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारत सरकार ने छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के लिए पेंशन की योजना का अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ;

(ग) क्या छोवनी बोर्डों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों ने रक्षा मंत्री को अभ्यावेदन दिया है कि इस योजना को सभी सेवा निवृत्त कर्मचारियों पर लागू किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के लिए पहली मई, 1976 से भविष्य निधि और बोनस के बजाय पेंशन सह उपदान योजना चालू की गई है। यह योजना उन सभी कर्मचारियों को लागू होती है जो पहली मई, 1976 से भर्ती किए गए हैं। जो

कर्मचारी पहली मई, 1976 को सेवा में थे उन्हें यह विकल्प है कि वे या तो योजना को चुने अथवा भविष्यनिधि और बोनस योजना के अधीन रहे।

(ग) और (घ) छावनी बोर्डों के कतिपय भूतपूर्व कर्मचारियों ने अभिवेदन किया है कि योजना के लाभ उन कर्मचारियों को भी दिए जाने चाहिए जो पहली मई, 1976 से पहले सेवा निवृत्त हो गये हैं। इस अनुरोध को स्वीकार करना व्यावहार्य नहीं पाया गया।

Progress of Electrification in States and Union Territories

†387. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the State-wise and the Union Territory-wise number of villages which have been electrified and of those which have not so far been electrified;

(b) the dates on which the target of complete electrification was achieved in each State; and

(c) the time by which the target of complete electrification in all the States and the Union Territories is proposed to be achieved ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) a statement showing the State-wise and Union Territory-wise number of villages electrified as on 31-3-77 and those remaining to be electrified is enclosed.

(b) The States of Haryana and Punjab and Union Territories of Delhi, Chandigarh and Pondicherry have attained 100% village electrification on the dates given below :—

Haryana	August, 1972
Punjab	May, 1976
Delhi	1966-67
Chandigarh	March, 1972
Pondicherry	March, 1972

(c) No target date has been fixed. However, State Electricity Boards have been advised to make an assessment of this in broad perspective.

STATEMENT

Statement showing State-wise and Union Territory-wise Total No. of Villages, Villages electrified and those remaining to be electrified as on 31-3-1977

Sl. No.	States/Union Territories	Total No. of villages	As on 31-3-1977	
			Villages electrified	Remaining villages to be electrified
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	27,221	13,496	13,725
2.	Assam	21,995	1,997	19,998
3.	Bihar	67,566	18,160	49,406
4.	Gujarat	18,275	7,108	11,167
5.	Haryana	6,731	6,731	Nil
6.	Himachal Pradesh	16,916	7,246	9,670
7.	Jammu & Kashmir	6,503	2,829	3,674

1	2	3	4	5
8.	Karnataka	26,826	14,703	12,123
9.	Kerala	1,268	1,212	56
10.	Madhya Pradesh	70,883	13,829	57,054
11.	Maharashtra	35,778	20,206	15,572
12.	Manipur	1,949	235	1,714
13.	Meghalaya	4,583	338	4,245
14.	Nagaland	960	199	761
15.	Orissa	46,992	13,055	33,937
16.	Punjab	12,188	12,126(*)	62(*)
17.	Rajasthan	33,305	8,361	24,944
18.	Sikkim	215	25(a)	190
19.	Tamil Nadu	15,735	5,516	219
20.	Tripura	4,727	290	4,437
21.	Uttar Pradesh	1,12,561	32,831	79,730
22.	West Bengal	38,074	10,981	27,093
	TOTAL (STATES)	5,71,251	2,01,474	3,69,777
1.	Andaman & Nicobar Islands	390	65	325
2.	Arunachal Pradesh	2,973	63	2,910
3.	Chandigarh	26	26	Nil
4.	Dadra & Nagar Haveli	72	35	37
5.	Delhi	243	243	Nil
6.	Goa, Daman & Diu	409	340	69
7.	Lakshadweep	10	9	1
8.	Mizoram	229	5(b)	224
9.	Pondicherry	333	333	Nil
	TOTAL (UNION TERRITORIES)	4,685	1,119	3,566
	TOTAL (ALL-INDIA)	5,75,936	2,02,593	3,73,343

(*) Punjab has already achieved 100% village electrification, 62 villages have been declared uninhabited.

(a) As on 31-12-1976.

(b) As on 28-2-1977.

कोचीन शिपयार्ड

388. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड में प्रथम जहाज के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या शिपयार्ड के निर्माण और प्रथम जहाज के निर्माण के कार्य में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पहले जहाज के हल के लिये लगभग 5,900 टन इस्पात का निर्माण किया गया है जो कुल इस्पात उत्पादन का लगभग 50% है। इसमें से, लगभग 4,200 टन अब तक संस्थापित किया गया है।

(ख) शिपयार्ड तथा पहले जहाज दोनों के निर्माण के कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से बढ़ाना पड़ा।

(ग) निर्माण मोदी पर कार्य से निर्माण संबंधी बहुत सी पेचीदा समस्याएं पैदा हो गई और उनसे निपटने के लिए स्थानीय ठेकेदार के पास समुचित साधन नहीं थे। इसके अलावा, स्थानीय ठेकेदार की और भी दूसरी कठिनाइयां थी। अब सभी कठिनाइयां कमोबेश ठीक कर ली गई हैं तथा शिपयार्ड व पहले जहाज के निर्माण का काम निर्विघ्नता से चल रहा है।

उड़ीसा सरकार द्वारा सड़कों और पुलों के लिए मांगी गयी राशि

389. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने सड़कों और पुलों आदि के लिए वित्तीय वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिए कितनी राशि की मांग की थी ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इन वित्तीय वर्षों के लिए कितनी राशि आवंटित की थी;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने आवंटित राशि का उपयोग किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) : निम्नलिखित सारणी में अंतिम आवंटन के समय विभिन्न केन्द्रीय सैक्टर सड़क योजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा दी गयी मांगों, स्वीकार्यतः जांच करने के बाद आवंटित धनराशि, और 1975-76 और 1976-77 के दौरान उड़ीसा में विभिन्न सड़क/पुल योजनाओं के संबंध में समायोजित/व्यय की गई धनराशि दिखाई गई है :—

(रु० लाखों में)

योजना	1975-76			1976-77		
	मांग	आवंटन	व्यय	मांग	आवंटन	व्यय (प्रारम्भिक)
1	2	3	4	5	6	7
(1) राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य जिनमें औजार और संयंत्र शामिल है	193.11	189.75	176.71	226.37	226.00	226.82
(2) राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत और उनका रखरखाव जिनमें मशीनरी की मरम्मत भी शामिल है	125.89	91.13	96.03	154.60	116.80	112.59

1	2	3	4	5	6	7
(3) अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कें	30.87	30.87	30.87	17.73	17.73	17.73
(4) केन्द्रीय सड़क निधि	20.00	20.00	20.00	3.95	3.95	3.95
(5) मशीनरी खरीद के लिए ऋण	—	—	—	19.50	17.08*	17.08

*मांगी गयी धनराशि का बकाया नहीं दिया गया क्योंकि राज्य सरकार क्रय आदेश नहीं भेज सकी।

(घ) इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार उपरोक्त केवल मद (1) की सम्पूर्ण आवंटित राशि 1975-76 में प्रयुक्त नहीं कर पाई। ऐसा इस कारण हुआ कि कुछ मामलों में खर्चे की राशि मूल स्वीकृत अनुदानों से अधिक बढ़ गयी है और राज्य सरकार ऐसे कार्यों के लिए संशोधित अनुमानों पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाई। 1976-77 के संबंध में व्यय के आंकड़े केवल प्रारम्भिक ही हैं और इसलिए इस समय स्वीकृत धनराशि पर किसी प्रकार की बचतों के बारे में सोचना उस समय तक समय पूर्व लगता है जब तक कि अंतिम लेखा परीक्षित आंकड़े प्राप्त नहीं हो जाते।

National Highway linking Delhi and Gwalior

†390. **Shri Laxmi Narain Nayak** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether there is a National Highway linking Delhi and Gwalior (via Agra);

(b) if so, whether Government contemplate to extend this National Highway upto Rewa via Jansi, Narrgaon, Chhatarpur, Khajuraho, Panna and Satna while there is already a national highway from Rewa to Mirzapur connecting Delhi with Mirzapur; and

(c) if so, facts thereof ?

Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir. Delhi is connected with Gwalior via Agra by National Highway Nos. 2 and 3.

(b) At present there is no such proposal under consideration of the Central Government.

(c) Does not arise.

आपात स्थिति हटायें जाने के बाद देश में अपराधों की संख्या में वृद्धि

391. **श्री के० राममूर्ति :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

श्री ब्रजभूषण तिवारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आंतरिक आपात स्थिति हटाये जाने के बाद अपराधों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि जेलों से रिहा किये गये सभी शरारती लोगों ने अपना धंधा फिर शुरू कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है या करने का विचार कर रही है।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) तक : यह सच नहीं है कि आन्तरिक आपात स्थिति समाप्त करने के बाद देश में अपराध दर में तेजी से वृद्धि हो रही है। किन्तु यह बताया गया है कि थोड़े से राज्यों में अपराधों में वृद्धि हुई है। राज्य सरकारें अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

तमिलनाडु में रामनादपुरम और धर्मपुरी जिलों का विकास

392. **श्री के० मायातेवर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के तत्वाधान में वृहद योजना में विकास के लिए तमिलनाडु में रामनादपुरम और धर्मपुरी जिलों का चयन करने में क्या कसौटी अपनाई गई;

(ख) उक्त जिलों के विकास पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है;

(ग) वर्ष 1977-78 के दौरान कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है; और

(घ) रामानादपुरम में किस प्रकार के उद्योगों का विकास तथा स्थापना की जाएगी तथा उनका वार्षिक उत्पादन कितना होगा और उनमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा।

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) केन्द्रीय सरकार की इस प्रकार की कोई वृहद योजना (मास्टर प्लान) नहीं है। अतः तमिलनाडु के रामानादपुरम और धर्मपुरी जिलों को केन्द्रीय सरकार के तत्वाधान वाली वृहद योजना में विकास के लिए चयन करने में कसौटी अपनाये जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

20-सूत्री कार्यक्रम का मूल्यांकन

393. **श्री चित्त बसु** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सरकार द्वारा प्रायोजित 20-सूत्री कार्यक्रम की सफलता का यदि कोई है, अब तक कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) माननीय सदस्य का ध्यान 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वियन के संबंध में अतारांकित प्रश्न सं० 120 के उत्तर में लोक सभा के पटल पर दि० 6 अप्रैल, 1977 को प्रस्तुत किए गए विवरण की ओर दिलाया जाता है। यदि उसका कोई मूल्यांकन किसी सीमा तक आवश्यक हुआ तो वह सुनियोजित आर्थिक विकास के लिए एकीकृत और व्यापक कार्यक्रमों को विस्तृत रूप देने के सरकार के प्रयत्नों का एक अंग ही होगा।

6 अप्रैल 1977 को पूछें जाने वाले प्रश्न का उत्तर 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन

120. **श्री के० ए० राजन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति रोकने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम स्पष्टत: तदर्थ प्रकार का है। इसमें न तो परस्पर प्राथमिकताएं नियत की गई हैं और न ही उनके पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस कार्यक्रम और योजनाबद्ध आर्थिक विकास के बीच क्या संबंध है। इसके परिणामस्वरूप ऐसे कितने ही विषय इस कार्यक्रम में नहीं हैं जो स्वीकृत राष्ट्रीय नीति के अंग हैं। इस प्रकार रह गए विषयों पर सरकार सावधानी से विचार करेगी और उसके बाद, हमारी योजना के आकार-स्वरूप के अन्तर्गत और कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए गए अभिभाषण में स्पष्ट किए गए सामान्य आर्थिक उद्देश्यों के अनुसार उन्हें एक व्यापक आर्थिक कार्यक्रम का अंग बनाया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पड़ौसी देशों में परमाणु ऊर्जा का विकास

394. **श्री विजय कुमार मंडल :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पड़ोसी देशों में परमाणु ज्ञान ऊर्जा तथा विनाशकरी प्रक्रियाओं के उत्तरोत्तर विकास के मुकाबले में भारत के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि कोई चुनौती आती है तो सरकार का उसको किस प्रकार सामना करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) भारत सरकार की रक्षा नीति अन्य देशों के साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए इच्छा से नियंत्रित होती है। हमने सदा यह विश्वास किया है कि अणु-शक्ति का केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। यद्यपि भारत सरकार को पड़ौसी देशों में अणु-शक्ति की क्षमता के विकास की जानकारी है परन्तु हम इस समय किसी अणु-खतरे की कल्पना नहीं करते। सरकार यह विश्वास करती है कि हमारे देश की रक्षा गैर-अणु अस्त्रों पर आधारित सैनिक तत्परता से सुनिश्चित की जा सकती है।

नागरिक अधिकार आयोग की स्थापना

395. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नागरिक अधिकार आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम और कृत्य क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) जी हां, एक आयोग नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इसका गठन सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

व्यास-सतलुज लिंक परियोजना सुन्दरनगर के श्रमिकों और कर्मचारियों की छंटनी

396. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजीकृत श्रमिक संघों की ओर से व्यास व सतलुज लिंक परियोजना सुन्दरनगर जिला मण्डी में नियुक्त श्रमिकों और कर्मचारियों की छंटनी रोकने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) (क) जी, हां।

(ख) फालतू घोषित किए गए और किए जाने वाले कर्मचारियों को अनुवर्ती रोजगार का प्रश्न पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के साथ उठाया गया था । पंजाब, हरियाणा की सरकारों ने रोजगार की कुछ शर्तों में व्यास परियोजना के कर्मचारियों के लिए छूट दे दी है और उनको प्राथमिकता देने का फैसला किया है । व्यास परियोजना में कार्य कर रहे जिन कर्मचारियों ने इस परियोजना में तीन साल से अधिक समय कार्य किया है उनको पुनः रोजगार देने के बारे में विचार करने के लिए उनके नाम रजिस्टर करने के लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग भी सहमत हो गया है। कुशल और अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों की तथा छंटनी किए जाने वाले कर्मचारियों की सूचियां रेलवे, परिवहन व जहाजरानी तथा निर्माण व आवास मंत्रालयों को उनके अधीन संगठनों तथा परियोजनाओं में खपा लिये जाने के लिए परिपत्रित कर दी गई है। महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय भी इन कर्मचारियों के लिए रोजगार ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं।

वैकल्पिक रोजगार ढूंढने में सहायता करने के लिए एक नियोजन एकक (प्लेसमेन्टसैल) 1974 से कार्य कर रहा है। व्यास परियोजना के यूनिट एक और दो से छंटनी किए गए 10,945 कर्मचारियों में से 5,842 कर्मचारियों को पुनः नौकरियां दी जा चुकी हैं और इस मामले पर पूरे तौर से ध्यान दिया जा रहा है।

बड़ौदा डायनेमाइट मामला

397. **श्री निहार लास्कर:**

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर:

श्री पी० के० कोदियान:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: .

(क) क्या सरकार बड़ौदा डाइनेमाइट मामले, जिसे सरकार ने न्यायालय से वापस ले लिया था, के सब दस्तावेज और तथ्यों को सभा पटल पर रखने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या बड़ौदा डाइनेमाइट मामले के वापस लिये जाने से जनता में भारी भ्रम व्याप्त है;

(ग) क्या अपराधियों को मुक्त करने से जनता को वर्तमान सरकार के विरुद्ध भी ऐसे कार्य करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा ; और

(घ) उक्त मामले को वापिस लेने की स्वीकृत दिये जाने के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) सरकार इस प्रकार की कोई आशंका मन में नहीं रखती ।

(घ) जी हां श्रीमान् । उक्त मामले को वापस लेने के लिये मुख्य मट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली द्वारा दी गई अनुमति के आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिकायें दिल्ली उच्च न्यायलय में विचारण के लिए लम्बित हैं ।

Closure of Road from Bahraich to Lucknow During Rainy Season

*398. **Shri Om Parkash Tyagi** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Bahraich district of Uttar Pradesh is situated on the border with Nepal which is a backward region;

(b) whether the road leading to Lucknow therefrom remains closed for six months as a result of floods in Ghaghara river during the rainy season and the people of this district have to undertake journey to Lucknow by train via Gonda causing great difficulty to the people; and

(c) if so, whether Government propose constructing a bridge across Ghaghara ?

Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) (a) to (c) : Presumably the Hon'ble Member is having in mind the Bahraich-Barabanki-Lucknow road along with a bridge over the Ghagra river at Ghagraghat. This bridge, when constructed, would fall on a State road. No report about the closure of the road for a part of the year due to floods has been received by the Central Government. However, the State authorities had included this bridge in their proposals for Central financial assistance under the Central Aid Programme of State roads/bridges of inter-State or economic importance during the Fifth Plan. Considering the varions proposals from the different States, including Uttar Pradesh on the basis of the *inter-se* priority of the various schemes on an All-India basis and the funds available for the purpose, the Government of India could approve financial assistance amounting to about Rs. 8.58 crores for certain such schemes only as had been assigned comparatively higher priority. The proposed bridge which had been assigned comparatively low priority (priority No. 13 out of 23 schemes) could not find a place in the list of approved schemes.

In addition, the State Govt. also, *inter-alia*, proposed inclusion in the National Highway System in the Fifth Plan of a road link to Nepalganj which might also cover this bridge. However, in view of the current financial stringency the Government of India have not been able to accede to this request also as due to financial limitations they are unable to expand the existing N. H. system at present.

"इण्डिया मीटर्स" का बन्द होना

399. श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया मीटर्स, मद्रास काफी समय से बन्द पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस कारखाने को फिर से चलाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां, नवम्बर, 1974 से ।

(ख) हाल ही में तमिलनाडु सरकार और सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं से मैसर्स इण्डिया मोटर्स मद्रास को पुनः चालू करने की संभावनाओं के पता लगाने के सम्बन्ध में अनेक बार विचार विमर्श किया गया है। किन्तु एकक की आर्थिक जीव्य क्षमता में कुछ सन्देह थे अतएव सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने इण्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इण्डिया के परामर्श से प्रयोजना की आर्थिक जीव्यक्षमता पर पुनः नये सिरे से विचार करना प्रारम्भ किया है। इन संस्थाओं के विचार प्राप्त होते ही निर्णय ले लिया जायेगा।

आकाशवाणी केन्द्र, त्रिचुर को एक पूर्ण तथा स्वतन्त्र केन्द्र के रूप में परिवर्तित करना

400. **श्री बी० एम० सुधीरन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

आकाशवाणी केन्द्र, त्रिचूर को एक पूर्ण तथा स्वतंत्र आकाशवाणी केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : आकाशवाणी का त्रिचूर केन्द्र पहले ही एक पूर्णरूपेण और स्वतंत्र रेडियो स्टेशन है और इसका प्रमुख एक केन्द्र निदेशक है। इस केन्द्र में 20 किलोवाट का एक मीडियमवेव ट्रांसमिटर है जो स्थायी टाइप एक स्टूडियो और श्रवण सुविधाओं से युक्त है। यह केन्द्र हर इतवार को 13 घंटे 40 मिनट और सप्ताह के अन्य दिनों को 10 घंटे 20 मिनट की कुल अवधि के सभी तीनों ट्रांसमिशन प्रसारित कर रहा है और प्रतिदिन लगभग 4 घंटे 10 मिनट की अवधि के कार्यक्रम मूलरूप से प्रसारित कर रहा है।

उत्तरी बंगाल में तापीय बिजली घर

401. **श्री खगेन्द्रनाथ दास गुप्त** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में उतरी बंगाल में एक तापीय बिजली घर बनाये जाने की कोई संभावना नहीं है;

(ख) क्या डालकोला स्थित बिजली घर में मूलतः उत्तरी बंगाल तथा बिहार के निकटवर्ती क्षेत्रों की बिजली की मांग पूरा होना निश्चित किया गया था;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिजली घर के लिए डालकोला के स्थान पर खजूरीया घाट अथवा फरक्का स्थलों का चयन किया था परन्तु केन्द्रीय सरकार ने यह योजना भी छोड़ दी है; और

(घ) क्या दार्जिलिंग जिले में रमन जल विद्युत परियोजना के राज्य सरकार के प्रस्ताव को लगभग 10 वर्षों से केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति नहीं मिल रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) उत्तरी बंगाल में एक ताप विद्युत केन्द्र के स्थान के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्टों की अभी जांच की जानी है ताकि ताप विद्युत केन्द्र के लिए सबसे उपयुक्त स्थान का तथा केन्द्र को चालू करने के लिए अपेक्षित समय का निर्धारण किया जा सके।

(ख) उत्तरी बंगाल में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए डालकोला में 120-120 मैगा-वाट के दो यूनिटें स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव की जांच की गई थी, परन्तु प्रारम्भिक रिपोर्टों के

आधार पर, विस्तार की सम्भाव्यता से युक्त एक बृहत ताप विद्युत केन्द्र के लिए फरक्का का स्थान अधिक उपयुक्त समझा गया था।

(ग) उपरोक्त दृष्टि से फरक्का के स्थान पर विचार किया जा रहा है तथा विस्तृत जांच अभी पूरी होनी है।

(घ) रमन जल विद्युत परियोजना चरण-दो केन्द्रीय सरकार ने अप्रैल, 1977 में स्वीकृत कर दी है।

पिछली सरकार से संबंधित फाइलों, दस्तावेजों और अन्य कागजात का कथित नष्ट किया जाना

402. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्ट हुई है कि हाल ही में हुए आम चुनाव की समाप्ति के शीघ्र बाद प्रशासन से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा पिछली सरकार से सम्बन्धित बहुत सी फाइलें, दस्तावेज और अन्य कागजात जला दिये गये अथवा अन्यथा नष्ट कर दिये गये अथवा इन्हें किसी दूसरे देश में गन्तव्य स्थल पर हवाई जहाज से भेज दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी रिपोर्टों पर किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

विद्युत् उत्पादन और वितरण के लिए एकल राष्ट्रीय प्राधिकरण

403. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विद्युत उत्पादन तथा वितरण के लिए एकल राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : देश में विद्युत उत्पादन तथा वितरण के लिए एकल राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Use of I.A.F. Planes by Shri Sanjay Gandhi

404. **Shri Dhanna Singh Gulshan :** Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether Shri Sanjay Gandhi used to make use of Air force aeroplanes while going on tours to the States during 1976-77 as a Youth Congress leader; and

(b) If so, in which capacity ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) (a) and (b) Shri Sanjay Gandhi was not given the facility of use of Air Force planes in his capacity as a youth congress leader. During the year 1976-77, Shri Sanjay Gandhi travelled in the Air Force Planes either as a party member of the Prime Minister and other Central Ministers, on whose indents the flights were arranged, or with State Chief Ministers for whom the flights were provided on

payment. A statement of the flights with Shri Sanjay Gandhi on board IAF planes is attached.

Statement

Sl. No.	Date	Type of aircraft	Places visited	Name of VVIP/VIP with whom accompanied	Flying hours
1.	1-1-1976 . .	HS 748	Chandigarh-Palam	Prime Minister	1 : 00
2.	2-1-1976 . .	TU 124	Dehi-Hyderabad	-do-	1 : 55
3.	3-1-1976 . .	HS 748	Hyderabad-Vizag	-do-	1 : 35
4.	3-1-1976 . .	HS 748	Vizag-Hyderabad	-do-	1 : 40
5.	3-1-1976 . .	TU 124	Hyderabad-Delhi	-do-	2 : 00
6.	10-1-1976 . .	TU 124	Palam-Bombay	Raksha Mantri	1 : 55
7.	12-1-1976 . .	TU 124	Bombay-Palam	Raksha Mantri	1 : 45
8.	26-1-1976 . .	TU 124	Delhi-Jorhat	Up Raksha Mantri	2 : 25
9.	26-1-1976 . .	HELI	Jorhat-Itanagar	-do-	0 : 35
10.	27-1-1976 . .	-do-	Itanagar-Chabua	-do-	0 : 30
11.	27-1-1976 . .	TU 124	Chabua-Lucknow	-do-	2 : 30
12.	27-1-1976 . .	-do-	Lucknow-Delhi	-do-	0 : 50
13.	5-2-1976 . .	-do-	Palam-Kanpur	Raksha Mantri	0 : 55
14.	7-2-1976 . .	-do-	Kanpur-Palam	-do-	0 : 55
15.	7-2-1976 . .	HELI	Safdarjung-Dig	Prime Minister	0 : 45
16.	8-2-1976 . .	-do-	Bharatpur-Safdarjung	-do-	0 : 45
17.	11-2-1976 . .	TU 124	Delhi-Bangalore	-do-	2 : 40
18.	11-2-1976 . .	HS 748	Bangalore-Cochin	-do-	1 : 15
19.	12-2-1976 . .	HS 748	Cochin-Bangalore	-do-	1 : 10
20.	13-2-1976 . .	TU 124	Bangalore-Madras	-do-	0 : 55
21.	15-2-1976 . .	TU 124	Madras-Delhi	-do-	2 : 40
22.	16-4-1976 . .	TU 124	Delhi-Chandigarh	-do-	0 : 45
23.	23-4-1976 . .	HELI	Chandigarh-Simla	-do-	0 : 30
24.	20-4-1976 . .	HELI	Simla-Chandigarh	-do-	0 : 30
25.	20-4-1976 . .	TU 124	Chandigarh-Palam	-do-	0 : 35
26.	1-5-1976 . .	HS 748	Palam-Bokaro	-do-	3 : 35
27.	1-5-1976 . .	-do-	Bokaro-Patna	-do-	1 : 00
28.	1-5-1976 . .	-do-	Patna-Palam	-do-	2 : 50
29.	29-10-1976 . .	TU 124	Palam-Bombay	Raksha Utpadan Mantri	1 : 50
30.	30-10-1976 . .	-do-	Bombay-Pune	-do-	0 : 30
31.	25-12-1976 . .	MI 8	Vijawada-Akividu	Chief Minister of Andhra Pradesh	Not yet known as SFR not yet received.
32.	25-12-1976 . .	MI 8	Akividu to Kottagudem	-do-	-do-
33.	26-12-1976 . .	HS 748	Hyderabad to Bidar	Chief Minister of Karnataka	0 : 45
34.	26-12-1976 . .	HS 748	Bidar to Hyderabad	-do-	0 : 45

प्रबन्धकों द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में भारी जल परियोजना कर्मचारी संघ तूतीकोरिन से ज्ञापन

405. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपतकाल के दौरान प्रबन्धकों द्वारा की गयी ज्यादतियों के बारे में भारी जल परियोजना संघ, तूतीकोरिन, तमिलनाडु से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 341 A/77]**

(ग) ज्ञापन में लगाये गये आरोप निराधार हैं। उन आरोपों की जांच की गई है और उन्हें असत्य पाया गया है।

समाचार को स्वायत्तशासी निगम बनाया जाना

406. **श्री पी० के० कोडियान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार को एक स्वायत्तशासी निगम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सरकार ने 'समाचार" के कार्य की जांच करने तथा उसके भावी ढांचे के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। इस बारे में समिति की जो सिफारिशें होंगी उन पर उसकी रिपोर्ट मिलने पर विचार किया जायेगा।

Roads Around Military Airport at Bihta in Bihar

407. **Shri Chandradeo Prasad Verma** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the roads around the military airport at Bihta in Bihar are in a very dilapidated condition;

(b) whether officers and employees of the airport and the general public are experiencing difficulty on this account ; and

(c) if so, the reasons for not metaling these roads ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) and (b) The roads around Bihta Military Airport are mostly State roads and these are not in good condition but the Defence road to Bihta Airport is in a good condition. Officers and employees of the Airport and the general public who are using the Defence road are not experiencing any difficulty on account of the condition of the Defence road.

(c) The question does not arise in the context of the reply given above to parts (a) and (b) of the Question.

जन योजना

408. **श्री आर० के० अमीन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिनेसांस इंस्टीट्यूट के कहने पर अर्थ शास्त्रियों के एक दल द्वारा तैयार की गई जन-योजना दो की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सरकार को भारतीय पुनर्जागरण संस्थान (इंडियन इंस्टीटयूट आफ रिनेसां) द्वारा तैयार की गई जन योजना दो की जानकारी है और निस्सन्देह वह अपनी वर्तमान योजना को संशोधित करते समय या आगामी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय उसमें व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखेगी।

Rules for Acceptance of Advertisements for Souvenirs

409. **Shri Jagdambi Prasad Yadav:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the rules and regulations, if any, for accepting advertisements from various departments, firms and persons for 'souvenirs' issued by a political party, social organization, educational institution and on the occasion of farewell to a government officer;

(b) whether Government propose to enquire into the value of advertisements procured by exerting pressure and by other means for the souvenir issued at the time of last plenary session of Congress; and

(c) whether Government propose to put a ban on procuring advertisements by exerting pressure or by mis-using official position for souvenir issued on the occasion of holding of a conference, a religious or social function or on the occasion of farewell to a government official ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) The criteria for release of advertisements to newspapers/periodicals apply also to advertisements released to Souvenirs. However, there is a ceiling rate of Rs. 750/- per page allowed to a Souvenir published by any political party, social organisation, religious or educational institution etc. During Emergency the previous Government, however, allowed rate as high as Rs. 5,000/- per page to the Souvenir published by All India Congress Committee.

(b) & (c) No, Sir. Efforts are made to ensure that advertisements are released to newspapers strictly on the basis of publicity requirements. A new Advertising Policy is being prepared with a view to avoid discrimination and to ensure uniform application of criteria in the matter of Government advertisements.

Suspended Employees of the Ordnance Clothing Factory, Shahjahanpur

410. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Defence be** pleased to state :

(a) the number of employees of the Ordnance Clothing Factory, Shahjahanpur suspended during the 1974 strike;

(b) the number among them still under suspension and the reasons for not reinstating them so far; and

(c) the demands of these employees?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) Twenty-four workmen were suspended owing to labour unrest in the Factory resulting in stoppage of work from 14-5-1974 to 16-5-1974 and again from 20-5-1974 to 3-6-1974.

(b) All the 24 workmen are still under suspension and are facing departmental proceedings for misconduct involving unruly behaviour, demonstrations and absenteeism. Recommendations of the Board of Enquiry are awaited.

(c) These workmen demanded reinstatement of three employees removed earlier from service.

लोक सभा तथा राज्य विधान मण्डलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

411. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अन्तर्गत जिन उद्देश्यों के लिए लोक-सभा द्वारा राज्य विधान मण्डलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, वे पूरे हुए हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की दशा निरन्तर खराब होती जा रही है और उनका जीवन गरीबी से भी नीचे के स्तर का बनाया जा रहा है; और

(ग) क्या उपरोक्त आरक्षणों को समाप्त करने की स्थिति आ गई है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : **(क) तथा (ग)** संविधान के अनुच्छेद 334 के वर्तमान प्रावधान के अनुसार लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण 25-1-1980 तक जारी रहना है। उपयुक्त समय पर सरकार इस मामले पर फिर विचार करेगी।

(ख) सरकार इस विचार से सहमत नहीं है।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यकरण में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

412. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण में भूतपूर्व सरकार के दौरान प्रचलित प्रक्रियाओं से भिन्न क्या परिवर्तन लाने का विचार है;

(ख) यदि ये स्वायत्तशासी हो जाते हैं तो क्या वित्तीय तथा अन्य प्रकार के भारों में ये आत्म-निर्भर हो जाएंगे; और

(ग) सरकार का विचार इन निकायों को कब तक और कितनी आवृत्ति और अनावृत्ति राशियों से पोषित करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) नई सरकार द्वारा सत्ता ग्रहण किए जाने के बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यकरण में जो नए मार्गदर्शी सिद्धांत लागू किए गए वे इस प्रकार हैं:—

(1) पहले कदम के रूप में, सभी मामलों में आपातस्थिति की घोषणा के पूर्व की स्थिथि की बहाली

(2) आकाशवाणी संहिता जो आपातस्थिति की अवधि के दौरान निलम्बित कर दी गई थी फिर से बहाल कर दी गई है।

(3) आकाशवाणी और दूरदर्शन के दिन प्रतिदिन के समाचार प्रसारण का लक्ष्य समाचार योग्य घटनाओं को निष्पक्ष और उचित ढंग से प्रस्तुत करना और आपातस्थिति की अवधि के दौरान समाचारों के एक तरफा प्रस्तुतीकरण के विपरीत विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करना।

(4) लोक सभा में विपक्षी नेता को राष्ट्र के नाम प्रसारण करने के लिए आमंत्रित करना।

(5) विधान सभाओं और दिल्ली महानगर परिषद् के चुनाव के अवसर पर भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रसारण।

(6) आकाशवाणी के कार्यक्रमों में राजनीतिक हस्तियों, पत्रकारों, विद्वानों और अन्य बुद्धिजीवियों आदि द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रस्तुतीकरण।

(ख) और (ग) सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करने के बारे में सिफारिशें सुझाने हेतु एक वर्किंग पेपर तैयार करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों का एक दल गठित करने का विचार कर रही है। सम्बन्धित मामलों पर निर्णय प्रस्तावित दल की रिपोर्ट सरकार को मिलने के बाद ही लिए जा सकते हैं।

Appointment of Committee to probe into the working of 'Samachar'

413. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government recently appointed a Committee to go into the working of 'Samachar' and submit its report to Government; and

(b) if so, its composition and mode of working ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the Notification appointing the Committee is placed on the Table of the House. The Committee has been taking evidence from persons concerned, examining papers and holding discussions.

[Placed in Library, See No. L. T. 342/77].

बदरपुर तापीय बिजलीघर को क्षति

414. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि यूनिटों की घटिया ढंग से मरम्मत करने और लोक सभा चुनाव से पहले राजनीतिक दबाव के कारण महत्वपूर्ण छोटी-मोटी मरम्मत के लिए बिजली उत्पादन को स्थगित करने के लिए अनिच्छा प्रकट करने के परिणामस्वरूप बदरपुर तापीय बिजली घर के तीनों 100 मैगावाट के यूनिट बन्द हो गये हैं;

(ख) इस बिजली घर की मरम्मत की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) क्या इस बीच किसी जांच का आदेश दिया गया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जनवरी 1977 में बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र की यूनिट संख्या 2 की खराबी के कारणों की जांच एक समिति कर रही है। अगस्त-अक्तूबर 1976 के महीनों में इस यूनिट का विस्तृत बृहत अनुरक्षण किया गया था।

अप्रैल, 1977 के महीने में यूनिट संख्या 3 की खराबी के सम्बन्ध में भी परियोजना प्राधिकारियों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इन रिपोर्टों की जांच की जा रही है। इनमें धातुकर्मीय अन्वेषण भी शामिल हैं।

प्रस्तुत पैडों की खराबी के कारण यूनिट संख्या 1 मई महीने में लगभग सात दिन के लिए जबरन बन्द रही। मरम्मत कार्य शीघ्रता से किया गया तथा तब से यह यूनिट लगातार कार्य कर रही है।

मरम्मतों की अनुमानित लागत की सूचना अभी तक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने नहीं दी है। तथापि यूनिट संख्या 2 और 3 संबंधी मरम्मत कार्य उन्होंने अपनी हरद्वार स्थित फैक्टरी में आरम्भ कर दिया है तथा दोनों पर कार्य प्रगति पर है।

भारतीय वायुसेना के वायुयानों का दुरुपयोग

415. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने 18 मई, 1977 को सलेम में यह कहा था कि भारतीय वायुसेना के वायुयानों के दुरुपयोग को रोकने के लिये संविधान में संशोधन किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या मंत्रियों सहित असैनिक कर्मचारियों द्वारा भारतीय वायुसेना के वायुयानों के उपयोग के नियमों के संशोधन द्वारा उक्त उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री का संकेत पार्टी प्रयोजनों के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आम प्रश्न की ओर था और केवल भारतीय वायु सेना के विमान के उपयोग के बारे में ही नहीं था।

(ग) उद्देश्य इस बात पर विचार करने का है कि क्या देश के बुनियादी कानून में कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जो स्थायी मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में हों, क्योंकि सरकार का कोई कार्यकारी आदेश किसी भी समय बदला जा सकता है।

पारादीप पत्तन में शिप बिल्डिंग यार्ड

416. **श्री सरत कुमार कार** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन में एक शिप बिल्डिंग यार्ड बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई जांच-पड़ताल की गयी थी और उसकी रिपोर्ट क्या थी; और

(ग) क्या मंत्री महोदय समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (ल) से (ग) पारादीप उन चार निर्माण स्थलों में से एक है जिसके लिए भारत सरकार ने शिपयार्ड के दो नमूनों के लिए प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट सौंपी थीं। सभी चार स्थलों की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। सरकार द्वारा अध्ययन पूरा करने और आवश्यक कार्यवाही करने के बाद उनको सभा के समक्ष रखने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

आई०ए०एस० और आई०पी०एस० के अधिकारियों को दिल्ली से बाहर भेजना

417. **श्री शिव सम्पत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल अवधि में प्रशासन में सुधार करने के नाम पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आई०ए०एस० और आई०पी०एस० के बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों को अपेक्षातया कनिष्ठ और महत्वहीन पदों पर दिल्ली से बाहर भेज दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) (क) : आपातस्थिति की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कुछेक अधिकारियों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया गया था। किन्तु उनमें से किसी को भी कनिष्ठ पद पर निम्न वेतन में नहीं भेजा गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण

418. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में धनराशि के उपलब्ध न होने के कारण अधिक प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी धन-राशि मंजूर की गई है;

(ग) गुजरात राज्य ने अब तक कितनी राशि खर्च की है; और

(घ) गुजरात राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण का समस्त कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) गुजरात राज्य में कुल 18,275 ग्राम है। 31 मार्च, 1974 तक 5,676 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका था। पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों में 1432 और ग्राम विद्युतीकरण किये गये। इन तीन वर्षों के दौरान राज्य में ग्राम विद्युतीकरण की प्रतिशता 31 से बढ़कर 38.9 हो गई। इसकी तुलना में अखिल भारतीय औसत इस समय 35.2 प्रतिशत है। राज्य में उचित पम्पसैटों/नलकूपों की संख्या में भी जो 31-3-1974 को 1,02,683 थी, बढ़कर 31-3-77 को, 1,37,916 हो गई।

(ख) गुजरात में ग्राम विद्युतीकरण के लिए दिया गया परिव्यय निम्नलिखित है :—

अवधि	परिव्यय (करोड़ रुपये)
1974-75	1.90
1975-76	3.00
1976-77	3.20
1977-78	3.50 (अंतरिम)

(ग) राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि राज्य में ग्राम विद्युतीकरण कार्यों पर 1974-75 के दौरान 5.84 करोड़ रुपये तथा 1975-76 के दौरान 5.40 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। 1976-77 के दौरान हुए व्यय की राशि की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा बनाई गई संभावी योजना के अनुसार राज्य में 1990-91 तक सभी ग्रामों को विद्युतीकरण किये जाने की आशा है। अपेक्षित धनराशि 93 करोड़ के लगभग होने का अनुमान लगाया गया है।

दिल्ली में बिजली संकट

419. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1977 में दिल्ली में बिजली संकट था;

(ख) क्या इसका कारण बदरपुर तापीय संयंत्र का पूरी तरह से बंद होना था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां, ।

(ख) और (ग) यह संकट मई में लगभग 7 दिन रहा जबकि बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के एक मात्र चालू यूनिट की खराबी के कारण इस केन्द्र से उत्पादन बिलकुल नहीं हो सका और जलाशयों में जल का स्तर कम हो जाने और बहुत कम अन्तर्वाह होने के कारण भाखड़ा प्रणाली में विद्युत उत्पादन में कमी हो गई थी। मशीन के थर्स्ट पैडों की खराबी के कारण यूनिट सं० 1 की 7 दिन के लिए जबरन बन्दी रही।

औद्योगिक विकास

420. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री निहार लास्कर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर क्या है और इसकी गत वर्षों की तुलना की विकास दर से स्थिति क्या है ;

(ख) किन-किन क्षेत्रों में विकास दर में विशेष वृद्धि हुई है और किन-किन क्षेत्रों में कमी हुई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया गया अप्रैल, 1976 से फरवरी, 1977 को औद्योगिक उत्पादन (अनन्तिम) का सामान्य सूचकांक उपलब्ध है। इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन की अनन्तिम दर 12.2 प्रतिशत अनुमानित है जबकि वर्ष 1975-76 की इसी अवधि के औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 5.1 प्रतिशत रही थी।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण अप्रैल-फरवरी, 1975-76 में विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास की दर को दर्शाता है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन मांग की स्थिति, उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में निवेशों की उपलब्धता और उत्पादक कार्य-कुशलता आदि पर निर्भर करता है।

विवरण

(आधार : 1970-100)
(अनन्तिम)

क्रम सं०	उद्योग ग्रुप	भार	अप्रैल, 1975—फरवरी, 1976	अप्रैल, 1976—फरवरी, 1977	प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4	5	6
1.	खाद्य-सामान बनाने वाले उद्योग शराब बनाने वाले उद्योगों को छोड़कर	7.74	105.3	111.1	+5.5
2.	शराब बनाने वाले उद्योग	0.69	156.6	311.6	+99.00
3.	तम्बाकू उद्योग	2.21	98.4	107.7	+9.5
4.	वस्त्र उद्योग .	17.43	103.8	104.3	+0.5
5.	जूते तथा अन्य परिधानों का उत्पादन	0.34	93.9	90.7	—3.4
6.	लकड़ी और कार्क का उत्पादन फर्नीचर के अतिरिक्त	0.49	106.5	119.7	+12.4
7.	कागज उत्पादों का उत्पादन	2.24	109.5	111.1	+1.5
8.	जूते आदि को छोड़कर बालों वाले चमड़े का उत्पादन	0.32	120.0	110.8	—7.7
9.	रबड़ उत्पादों का उत्पादन	2.22	120.9	126.9	+5.0
10.	रसायन और रसायन उत्पादों का उत्पादन	10.90	134.5	159.0	+18.2
11.	पेट्रोलियम और कोयला उत्पादों का उत्पादन	1.62	121.1	124.9	+3.1
12.	पैट्रोलियम और कोयला उत्पादों को छोड़कर अधात्विक खनिज उत्पादों का उत्पादन	3.33	125.8	141.3	+12.3
13.	आधारिक धातु उद्योग . .	8.84	119.4	140.8	+17.9

1	2	3	4	5	6
14.	मशीन और परिवहन उपकरणों को छोड़कर धातु उत्पादों का उत्पादन	2.77	128.0	132.9	+3.8
15.	विद्युतीय मशीनों को छोड़कर अन्य मशीनों का उत्पादन . .	5.55	153.1	164.6	+7.5
16.	विद्युती मशीनों एपरेटस उपकरण संभरण उत्पादन	5.30	117.7	129.7	+10.2
17.	परिवहन उपकरणों का उत्पादन	7.39	112.9	136.8	+21.2
18.	विविध उत्पादन उद्योग	1.70	70.9	84.4	+19.0
19.	डिवीजन 2-3 का उत्पादन	81.08	117.7	130.3	+10.7
20.	डिवीजन 1 खनन और उत्खनन .	9.69	129.4	136.0	+5.1
21.	डिवीजन 5 विद्युत .	9.23	142.9	160.7	+12.5
22.	सामान्य सूचकांक (क्रूड) . .	100.00	121.2	133.6	+10.2

बुलन्दशहर के श्री तेज सिंह एम० एल० ए० की गिरफ्तारी और रिहाई

421. **श्री नबाब सिंह चौहान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल के दौरान केन्द्रीय सरकार के आदेश पर बुलंदशहर के एम० एल० ए०, श्री तेज सिंह, को गिरफ्तार कर जयपुर ले जाया गया था और उन्हें तथा उत्तर प्रदेश के नेता श्री चन्द्र भान गुप्त को सुन्दर डाकू के माध्यम से किसी षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं और श्री तेज सिंह को किस प्रकार रिहा किया; और

(ग) इस बारे में की गई जांच का क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) श्री तेज सिंह, भूतपूर्व विधायक को, जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा, जयपुर में की गई पूछताछ के दौरान स्व० श्री सुन्दर सिंह डाकू के इस ब्यान के आधार पर मीसा के अधीन 17-9-1976 को नजरबन्द किया गया था कि श्री तेजसिंह और श्री चन्द्रभान गुप्त ने कुछ गुप्त बैठकों में यह सुझाव दिया था कि किसी सुन्दर सिंह भूतपूर्व प्रधान मंत्री की हत्या करें। आगे जांच पड़ताल से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी और सुन्दर सिंह ने इस संबंध में बाद में एक बयान दिया कि उसका पहला ब्यान गलत था।

(ग) यद्यपि नजरबन्दी के आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं दिये गये थे फिर भी इस मामले में जांच पड़ताल की रिपोर्ट की जांच करने पर केन्द्रीय सरकार ने 16-2-1977 को राज्य सरकार को सुझाव दिया कि श्री तेज सिंह के बारे में नजरबन्दी के आदेश रद्द कर दिये जायें।

अधिकारियों का विदेशी राजनयिकों को गुप्त दस्तावेज देने में सम्बद्ध होना

422. **श्री एस० सी० मुरूगय्यन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कुछ उच्च अधिकारियों तथा एक केन्द्रीय मंत्री के निजी सचिव को विदेशी राजनयिकों को गुप्त दस्तावेज देने के लिए गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) क्या इनमें से एक दोषी व्यक्ति ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें उसने मीसा के अन्तर्गत अपनी नजरबन्दी को चुनौती दी है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित जासूसी गतिविधियों की जांच की जा रही है। सुरक्षा के कारणों के लिए, इस अवस्था में और तथ्य बताना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

नक्सलवादियों तथा तस्करों की रिहाई के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति का खराब होना

423. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री प्रद्युम्न बाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी नक्सलवादियों तथा तस्करों को, जो गत वर्ष जेल में नजरबंद किये गये थे, छोड़ देने के परिणामस्वरूप देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्च, 1977 के बाद से सम्पत्ति को लूटने, चोरी तथा घातक हमलों के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या पुलिस विभाग ने भी सरकार द्वारा दंडित किये जाने के भय से इस स्थिति से निपटने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि नक्सलवादियों और तस्करों की रिहाई के परिणामस्वरूप अपराध में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। किन्तु कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अपराधों में कुछ वृद्धि के बारे में सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) राज्य सरकारें तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपराध रोकने और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

नार्थ आरकाट जिले में अलंकायम और पोलूर के बीच सड़क को सुधारने का प्रस्ताव

424. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ आरकाट जिले में अलंकायम और पोलूर के बीच सड़क की जावदी पर्वतीय आदिवासी विकास योजना के अन्तर्गत सुधारने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अब किस चरण में है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

जेलों में राजनीतिक बंदियों को यातना

425. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

डा० विजय मंडल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान, राज्यवार, विभिन्न जेलों में राजनीतिक बंदियों को यातना दिये जाने के कितने मामलों की सरकार को रिपोर्ट मिली है ;

(ख) उन्हें किस प्रकार की यातनायें दी गईं ;

(ग) इन यातनाओं के फलस्वरूप, राज्यवार कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(घ) इन यातनाओं के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (घ) आपात स्थिति की अवधि के दौरान जेलों में कथित यातना के मामले 28 मई, 1977 को नियुक्त शाह आयोग के विचारार्थ विषयों में आते हैं। आयोग के निष्कर्ष उपलब्ध हो जाने के बाद उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी । यातनाओं के परिणाम-स्वरूप मृत्यु होने की कुल संख्या के बारे में राज्यवार सूचना राज्यों से एकत्रित की जा रही है।

मारुति लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य रोडवेज परिवहन निगम की बसों की बाडियों का बनाया जाना

426. **श्री रेणुपद दास** : : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य रोडवेज परिवहन निगम की केन्द्रीय वर्कशाप ने बढ़ी हुई दर पर मारुति लिमिटेड से लगभग 450 बसों की बाडियों का निर्माण कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा मारुति लिमिटेड से बसों की बाडियां बनवाने के क्या कारण हैं जब कि वहां का स्थानीय कारखाना इस कार्य को करने के लिये पूरी तरह से सज्जित था ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) टेंडर मंगाने और समान स्तर की दरों पर बातचीत करने के बाद 1976-77 के दौरान उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम ने 497 बस-चेसिसों पर मैं० मारुति लि० द्वारा तथा 466 बस-चेसिसों पर बाहर की दूसरी एजेंसियों द्वारा बाडियां निर्मित करवाई ।

(ख) वर्ष के दौरान निगम को जनवरी, 1977 में इलाहाबाद में कुंभ मेले के लिये अतिरिक्त बसें देने तथा राज्य के पहाड़ी इलाकों में चलने वाली गैर-भरोसे मंद बसों के बदले नई बसें देने के काम का सामना करना पड़ा। इस स्थिति से निपटने के लिये 1321 चेसिसों पर बाडियां बनाने और 734 बसों की मरम्मत कर उन्हें नया रूप देने के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया। 358 बस-चेसिसों पर बाडियां बनाने व 734 बसों की मरम्मत करने का काम निगम की अपनी कार्यशालाओं ने कर लिया। अतः शेष 963 बस चेसिसों पर बाड़ियां बनाने का काम मारुति लि० सहित बाहरी एजेंसियों को देना पड़ा।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के विरुद्ध आरोपों की जांच

427. **श्री भगत राम** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला) के कर्मचारियों की तदर्थ कार्यवाही समिति ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें सी०एस०आई०ओ० में निरंकुश और तानाशाही शासन के आरोपों के बारे में पूरी जांच करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) आरोपों की जांच की जा रही है ।

Traffic on Ajmer-Khandwa Road

† 428. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether there is heavy traffic on the Ajmer-Khandwa road;

(b) whether, following the collapse of the Chambal bridge near Dholpur, almost the entire traffic of Bombay-Delhi road has been diverted to the Amjer-Khandwa road;

(c) whether there is also heavy traffic on the aforesaid road because C.R.P. and Army headquarters at Nasirabad, Neemuch and Mhow as also the cement factories at Chittor and Nimbaheda are located on this road;

(d) whether there is a demand for converting this road into a National Highway and there is also the need for this because of these factors; and

(e) if so, the steps taken by Government in this direction ?

Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c) No report about (a), (b) and (c) has so far been received from the States concerned in rsespect of the Amjer-Khandwa Road which is a State Highway lying partly in Rajasthan and partly in Madhy Pradesh.

(d) and (e) : The Rajasthan Government requested for the declaration of the Ajmer-Bhilwara-Chittorgarh-Piploda-Ratlam-Indore Road as a National Highway as part of the Fifth Five Year plan. A similar request was also received from the Government of Madhya Pradesh for the declaration of Amjer-Chittor-Neemuch-Mandsour-Ratlam-Mhow-Khandwa Road as a National Highway. However, in view of the current financial stringency, the Government of India have not been able to accede to these requests.

Use of Hindi in Ministries/Departments

429. **Shri Janeshwar Mishra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the percentage by which Hindi work in various Ministries/Departments and Secretariats has increased after the formation of the new Government;

(b) whether less work is being done now in Hindi as compared to the work that was being done during the rule of former Government; and

(c) if so, the reasons therefor ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a), (b) & (c) : According to the existing provisions the information regarding the progress made in the use of Hindi in the Ministris/Departments of the Government of India is called for at the end of quarters ending June, September, December and March. They are required to send the information to the Department of O.L. upto the last day of next month. The progress report regarding use of Hindi for the period from April to June is normally expected in July, 1977. However, in this matter, special information is being collected and will be laid on the table of the House on its receipt.

ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारना

430 **श्री कें० लकप्पा** :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण जनता की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लागू करने की कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य एवं श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) ग्राम विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी निवेशों के मुख्य लक्ष्य हैं:––ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक रोजगार के अवसरों की व्यवस्था करना, उत्पादकता में वृद्धि तथा आय का सृजन और रहन-सहन के पर्यावरण में सुधार । इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि सामाजिक-आर्थिक कार्यकलाप के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का तीव्र-सघनता से प्रयोग किया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में रहन-सहन में सुधार लाने के लिये जिन तकनीकी विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी उनका सम्बन्ध निम्नलिखित से है :––छोटे और सीमान्त किसानों की उत्पादन क्षमता को सुधारने के कार्यक्रमों पर विशेष बल देते हुए कृषि उत्पादन तथा सिंचाई, पोषक आहारों के सस्ते साधन स्रोत, ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत, कुटीर उद्योग, ग्राम आवास, सफाई एवं जल आपूर्ति, परिवहन अपशिष्ट उपयोग आदि । संतुलित विकास प्राप्त करने के लिये, एक एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया है ताकि ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में सुधार लाने के लिये, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों-प्राप्तियों को लोगों के घर-घर पहुंचाया जा सके।

नव पुनर्गठित योजना आयोग, इस प्रकार के विकास में तेजी लाने के लिये, विकास योजनाओं के सामान्य पुनर्विलोकन के रूप में, इस बारे में, समीक्षा कर रहा है ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उद्योग

431. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्रों से भारी तथा लघु उद्योगों को शुरू करने की प्राथमिकता देती है जिससे इन क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष इन क्षेत्रों में कौन से उद्योग शुरू किये जायेंगे।

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड द्वारा छटनी

433. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड ने अपने 5 अक्तूबर, 1976 के निर्णय द्वारा 3,756 श्रमिकों की उनकी सेवा से छंटनी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उस निर्णय को रद्द करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्मित योजनाओं के उपबन्धों के अनुसार अपने रजिस्टरों या रिकार्डों में उल्लिखित कामगारों की संख्या की समीक्षा करने के उपरान्त कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड ने, जो एक त्रिपक्षीय संस्था है, 5-10-1976 को हुई अपनी बैठक में संभावित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा बेहतर कार्य कुशलता एवं कार्यों में मितव्ययिता लाने के लिये 50 तथा इससे ऊपर की आयु वाले कामगारों के नाम हटा करके अपने रजिस्टरों अथवा रिकार्डों में रजिस्ट्रीकृत गोदी कर्मकारों की संख्या कम करने का निर्णय किया। उक्त संकल्प में बोर्ड ने उन कर्मकारों को दी जाने वाली राशि का भी निर्धारण किया जिनके नाम बोर्ड के रजिस्टरों से हटा दिये गये थे। इस निर्णय का अनुसरण करते हुए बोर्ड ने दिसम्बर 1976 में अपने रजिस्टरों से 3506 कामगारों के नाम हटा दिये।

(ख) अपने निर्णय को कार्यान्वित करने से पूर्व, गोदी श्रम बोर्ड ने संबंधित योजनाओं के अधीन अपेक्षित कामगारों की संख्या में समायोजन करने के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Licence for Motor Car

434. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number and names of applicants who have applied so far for grant of licence for the manufacture of motor car; and

(b) the number and names of applicants who have been granted licences ?

Minister of Industry (Shri Brijlal Verma) : (a) & (b) The policy of Government regarding grant of letters of intent for the manufacture of passenger cars was announced in both the Houses of Parliament on 10th August, 1970. On that date, applications from the following parties were pending with the Government :

(1) M/s. Mysore State Industrial Investment and Development Corporation Limited, Bangalore.

(2) Shri Som Prakash Rekhi, M/s. Zeta India, Delhi.

(3) Shri Manubhai H. Thakkar, Partner, Ashwin Industries, Distt : Baroda (Gujarat).

(4) M/s. R.R. Chokshi and Co., Ahmedabad-2.

(5) M/s. Ganesh Renault, Lucknow.

(6) M/s. Bhooviman Ltd., Jaipur.

(7) M/s. Arvind Automobiles, Trivandrum.

(8) Shri Sanjay Gandhi, Now M/s. Maruti Ltd., Gurgaon.

(9) M/s. Kerala State Industrial Development Corporation Limited, Trivandrum.

(10) Shri M. Madan Mohan Rao, Madras.

Out of these, Shri Sanjay Gandhi and Shri M. Madan Mohan Rao, Madras were granted letters of intent for manufacture of passenger cars. Subsequently, letters of intent were also granted to Shri Som Prakash Rekhi, Delhi and Shri Manubhai H. Thakkar, Baroda after they had revised their schemes for manufacture of passenger cars.

Applications for industrial licence for manufacture of passenger cars were also received from the following parties :

(1) Shri Sham Cherian, Quilon, Kerala.

(2) M/s. Allied Engineering Corpn., Salem.

(3) Shrimati Sulochana Singh, Kanpur.

(4) M/s. Amar Engg. Industries, Dharamshala.

(5) Shri G.P. Srivastava, Kanpur.

(6) Shri B.M. Shah, Bombay.

Shri Sham Cherain, M/s. Amar Engg. Industries and Shri G.P. Srivastava, were advised to apply for letter of intent for registration with DGTD. Letters of intent were issued to the remaining parties viz : M/s. Allied Engineering Corporation, and Shrimati Sulochana Singh.

Letters of intent granted to M/s. Maruti Ltd., and Shri Manubhai H. Thahkar have been converted into industrial licences. Letter of intent granted to Shrimati Sulochana Singh is still valid. Letters of intent granted to Shri M. Madan Mohan Rao, Shri Som Prakash Rekhi and M/s. Allied Engineering Corpoaration were cancelled.

Letters of intent for registration with DGTD were issued to the following for the manufacture of passenger cars :

(1) M/s. Speedcraft (P) Ltd., Patna.

(2) M/s. Air Tech(P) Ltd., New Delhi.

(3) M/s. Anandji Haridas Co. Pvt. Ltd. Bombay.

(4) Shri S. Chandra, New Delhi.

(5) M/s. New India Automobiles, Calcutta.

(6) M/s. Sona Automobiles Industries Ltd., Indore.

(7) M/s. Sunrise Auto Industries, Bangalore.

(8) Shri Ashok K. Rai, New Delhi.

Out of these : the letter of intent is still valid for M/s. Sona Automobiles Industries Ltd ; letters of intent were cancelled in respect of M/s. Sepeedcraft (P) Ltd., M/s. Air Tech (P) Ltd., M/s. Anandji Haridas Co. Pvt. Ltd., Shri S. Chandra, M/s. New India Automobiles and Shri Ashok K. Rai; letter of intent has been converted into a registration certificate by DGTD in respect of M/s. Sunrise Auto Industries, for the manufacture of 3-wheeled passenger cars.

आसनसोल, रानीगंज और अंदल में भूमि के मालिकों को मुआवजे का भुगतान

435. **श्री रोबिन सेन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा आसनसोल, रानीगंज और अंदल पुलिस स्टेशनों पर विस्तृत भूमि अर्जित की गई है और खम्भे उखाड़ने के कारण भूमि धंस गई है और इस भूमि के किसानों/मालिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भूमि के मालिकों/किसानों को उचित मुआवजा और उनके संबंधियों को रोजगार देने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Dismissals in Bihar Military Police

436. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Bihar about 200 Sepoys of Bihar Military Police Unit Nos. 9, 11, 12, 5, 7, 8, 2, 1, 4, 3, were dismissed from service during the emergency without assigning any reason;

(b) whether it is also a fact that these Sepoys were dimissed after levelling baseless charges against them;

(c) whether they were dismissed for instigating sepoys popularising and propagating the ideology of Lok Nayak Jayaprakash Narayan and Shri Ramanand Tiwari, strengthening the sepoy organisation, and raising a voice against the arbitrary acts of officers ; and

(d) if so, the time by which all these sepoys will be reinstated allowing them the entire arrears of pay and allowances; and if not, the reasons thereof ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) to (d) The required information is being collected from the Government of Bihar and will be laid on the Table of the Sabha after it is received from them.

दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

437. **श्री ब्रजभूषण तिवारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली परिवहन निगम द्वारा सरोजिनी नगर के निवासियों के लिये सरोजिनी नगर और केन्द्रीय सचिवालय रीगल के बीच चलाई जा रही रूट नंम्बर 50 की खराब बस सेवा की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को विशेषकर सरकारी कर्मचारियों तथा सामान्यत: आम जनता को इससे होने वाली कठिनाइयां दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां । इस रूट पर बस सेवाओं के अनियमत रूप से चलने की कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम के साथ एक समझौते के अधीन नई दिल्ली नगर पालिका अपनी बसों को इस रूट पर चला रही है ? निगम ने सेवा को नियमित करने के लिये तत्काल कदम उठाने के लिये नगरपालिका के परिवहन नियंत्रक से अनरोध किया है ।

दिल्ली परिवहन निगम भी अपनी बसें चला रहा है जो बरास्ता सरोजिनी नगर होकर गुजरती हैं और केन्द्रीय सचिवालय/प्लाजा/कनाट सर्कस तक चलती हैं ।

Constitution of One Member Committee on misuse of mass media during Emergency

438. **Shri Uggrasen** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the progress of the work done by one-Member Committee constituted by the Ministry to prepare a white paper on misuse of mass media during the emergency and inquiry thereon and the outlines of further action to be taken in this regard ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : A one-member Enquiry Committee was set up in this Ministry on 21st May, 1977 under the Chairmanship of Shri K.K. Dass, I.C.S. (Retd.), a former Secretary of the Ministry of Information & Broadcasting, to enquire into and collect facts for the preparation of a White Paper by the Government on the misuse of mass media during the emergency relating to :—

(a) misuse of censorship provisions;

(b) harassment of journalists;

(c) allegations in regard to certification of films;

(d) manipulation of mass media including News Agencies; and

(e) Other matters incidental thereto.

A Press Note was issued to the above effect on 21st May, 1977 and the members of the public and institutions were requested to send specific complaints, with full details, to the Director (Vigilance) in this Ministry by June 5, 1977. It was also indicated that adherence to this date was absolutely essential for the timely preparation of White Paper to be placed before Parliament in the Budget Session.

2. The Press Note was followed up with an advertisement which was released widely in the National Press as well as regional and language Press all over India. Wide and repeated publicity was also given through the network of All India Radio and Doordarshan Kendras. The Chief Secretaries of the State Governments were requested to send information on the various terms of reference of the Enquiry. The Ministry also addressed letters to the office bearers of Press and Film Associations requesting them to inform their constituents about this Enquiry and requesting them to forward complaints to the Ministry, if any.

3. The Das Committee is scrutinising the complaints received as also the records in the Ministry and Media Units, having a bearing on misuse of mass media. The Enquiry Committee is likely to complete its work by 30th June, 1977.

टूटीकोरिन बंदरगाह परियोजना में घाटों का निर्माण पूरा किया जाना

439. **श्री के० टी० कोसलराम : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टूटीकोरिन बंदरगाह परियोजना के अन्तर्गत दो ओर घाटों का निर्माण कार्य पूरा करने की क्या मूल तिथियां हैं ;

(ख) क्या इस योजना में कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इन दो घाटों का निर्माण कार्य किस तारीख तक पूरा हो जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मूल कार्यक्रम के अनुसार, सभी चार घाट फरवरी, 1973 तक पूरे किये जाने थे । दो घाट दिसम्बर, 1975 में चालू किए गए और शेष दो घाट दिसम्बर, 1976 तक चालू किए गए ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

आपात स्थिति की घोषणा के बाद फिल्मों के दर्शाये जाने पर प्रतिबन्ध

440. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की घोषणा के बाद सरकार ने कुछ फिल्मों के दर्शाये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था;

(ख) यदि हां, तो किन फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था; और

(ग) क्या वर्तमान सरकार का विचार उन फिल्मों के दिखाये जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां ।

(ख) आपातस्थिति की अवधि के दौरान निम्नलिखित फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन निलम्बित कर दिया गया था :—

1. आईना	(हिन्दी)
2. तातम्मा कला	(तेलुगु)
3. आंधी	(हिन्दी)
4. सलाखें	(हिन्दी)
5. दस नम्बरी	(हिन्दी)
6. काम शास्त्र	(हिन्दी)
7. गुप्त शास्त्र	(हिन्दी)
8. स्त्री पुरुष	(संशोधित) (हिन्दी)
9. गुप्त ज्ञान	(हिन्दी)
10. वाझ के रहस्यम	(तमिल)

11. मर्गकले (तमिल)
12. गुप्त ज्ञानमु (तेलुगु)
13. दाम्पत्य रहस्यम (मलयालम)

उक्त 13 फिल्मों में से निम्नलिखित फिल्में बाद में अप्रमाणीकृत की गई थीं :—

1. काम शास्त्र (हिन्दी)
2. गुप्त शास्त्र (हिन्दी
3. स्त्री पुरुष (संशोधित) (हिन्दी)
4. गुप्त ज्ञान (हिन्दी)
5. वाझ के रहस्यम (तमिल)
6. मर्मकले (तमिल)
7. गुप्त ज्ञानमु (तेलुगु)
8. दामपत्य रहस्यम (मलयालम)

आपातस्थिति के दौरान "ऐट फाईव पास्ट फाइव' नामक फिल्म भी अप्रमाणीकृत की गई थी।

(ग) उपरोक्त फिल्मों में से कुछ फिल्मों पर से प्रतिबन्ध हटाने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मामले के कानूनी पहलू की जांच की जा रही है।

पिछड़ी जातियों सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

441. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़ी जाति सम्बन्धी आयोग, जिसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में है, के प्रतिवेदन पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों को श्रेणीबद्ध किया है जो भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार "सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं" और यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की क्या श्रेणियां हैं; और

(ग) उपरोक्त लोगों की कठिनाइयों को, जिनका वे हर राज्य में सामना करते हैं, दूर करने के लिए सरकार प्रति वर्ष क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जनवरी, 1953 में भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340(1) के उपबन्ध के अधीन पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था। आयोग ने मार्च, 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अनुच्छेद 340(3) में निहित उपबन्ध के अनुसरण में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और उस पर की गई कार्यवाही के विवरण का ज्ञापन 3-9-1956 को संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किया गया था। संविधान में किसी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) तथा (ग) अगस्त, 1961 में भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों की कोई अखिल भारतीय सूची तैयार नहीं करेगी। जबकि पिछड़ेपन की परिभाषा करने के लिए अलग-अलग राज्य सरकारों

को स्वयं अपने मानदण्ड निर्धारित करने के लिए इस मामले को उनके विवेक पर छोड़ते हुए उन्हें सलाह दी गई थी कि भारत सरकार के विचार में जाति की अपेक्षा आर्थिक स्थिति पर विचार करना बेहतर होगा ।

बेपुर पत्तन

442. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेपुर पत्तन में सुधार और विस्तार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) बड़े पत्तनों से भिन्न अन्य पत्तनों के विकास का कार्यकारी उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का होता है । परन्तु, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन चुने हुए छोटे पत्तनों के विकास के लिए उन्हें ऋण देती रही है । केरल से इस योजना के अन्तर्गत जो पत्तन चुना गया है वह बेपुर है । बेपुर के विकास के लिए 111.96 लाख रु० की अनुमानित लागत की योजना स्वीकृत की गई जिसमें बाहरी और भीतरी जलमार्ग का निकर्षण, भूमि सुधार बांध का निर्माण, बन्दरगाह जलयानों की प्राप्ति, दिक्चालन साधनों आदि की व्यवस्था शामिल है । केन्द्रीय सरकार के पास सुधार अथवा विस्तार कार्य के वित्त पोषण के लिए इसके अलावा और कोई प्रस्ताव नहीं है जिसका इस स्वीकृत योजना में अनुमान लगाया गया है ।

जमनालाल बजाज अनुसंधान संस्थान, वर्धा

443. **श्री सन्तोष राव गोडे** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग वर्धा में जमनालाल बजाज अनुसंधान संस्थान चला रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान में किस प्रकार का अनुसंधान कार्य किया जा रहा है ; और

(ग) क्या इस संस्थान में कुछ उत्पादन एककों को बंद कर दिया गया है जिसके कारण इसके कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी है ?

उद्योग मंत्री (श्री ब्रजलाल वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) यह संस्थान तेलों, चीनी मिट्टी, चूना और सेल्यूलोज तत्वों का तकनीकी अनुसंधान करता है । संस्थान स्वीकृत परियोजनाओं के अनुसार उपकरणों प्रक्रियाओं और उत्पादों की गुणवत्ता, में सुधार कर रहा है ।

(ग) अक्तूबर, 1976 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने सेल्यूलोज आयल और सोपसिरेमिक सम्बन्धी अगुआकारी परीक्षणात्मक संयंत्रों को बन्द कर दिया है किसी भी कर्मचारी की जबरन छंटनी नहीं की गई थी । 109 व्यक्तियों को जो अर्हता प्राप्त नहीं हैं, उनकी पिछली सेवा की निरन्तरता का लाभ देते हुए अन्य एककों में स्थानान्तरित कर दिया गया था । किन्तु 42 कामगरों ने स्वेच्छा से छंटनी की जाने का विकल्प दिया है ।

जाति-प्रथा का उन्मूलन

444. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार जाति-प्रथा का अन्मूलन करने और इसके प्रचलन को दण्डनीय बनाने के लिये समुचित कदम उठाने का है ?

गृह मंत्री : (श्री चरण सिंह) : यद्यपि संविधान में व्यवस्था की गई है कि किसी भी नागरिक के साथ जाति के आधार पर भेद भाव नहीं किया जाएगा, और इस प्रथा के बारे में कानूनी प्रावधान है फिर भी दुर्भाग्यवश यह अभी तक बनी हुई है । देश में जाति तथा साम्प्रदाय भेदभाव सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक प्रगति के बिना नहीं मिट सकते । सरकार समस्या की जटिलता से अवगत है और आशा करती है कि सामाजिक परिवर्तन तथा अपनी नीतियों के उचित आर्थिक अभिमुखीकरण से जाति प्रभाव कमजोर हो जाएगा । सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार आयोग का गठन करने का प्रस्ताव है कि किसी अल्प संख्यक समुदाय का कोई सदस्य भेदभाव तथा असमानता से पीड़ित नहीं हो ।

सत्यवती कालेज, दिल्ली के प्रिंसिपल और स्टाफ पर हमला

445. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 11 मई, 1977 को सत्यवती कालेज, दिल्ली के प्रिंसिपल और स्टाफ पर किये गये हमले की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो हमला करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 11 मई, 1977 को ऐसी कोई घटना जिसका प्रश्न के भाग (क) में उल्लेख है, नहीं हुई थी । दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजे गये तथ्य इस प्रकार हैं:

प्रिंसिपल, सत्यवती कालेज दिल्ली ने सूचित किया कि 10-5-77 को जब वहां कालेज की प्रबन्धक समिति की बैठक हो रही थी तो अध्यापकों, कर्मचारियों तथा छात्रों ने प्रबन्धक समिति के कुछ मनोनीत सदस्यों के विरुद्ध उनसे त्यागपत्र मांगने के लिए एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया था । कुछ गुंडे कालेज में घुस गये और कालेज के अध्यापकों, कर्मचारियों तथा छात्रों को पीटना शुरू कर दिया । प्रिंसिपल ने बताया कि उन्हें भी पीटा गया था । इस सिलसिले में एक मामला भा० द० सं० की धारा 451 के अन्तर्गत थाना सिविल लाइन्स में दर्ज किया गया था, देखिये एफ०आई०आर० सं० 322, दिनांक 10-5-1977 ।

एक शिकायत कालेज की प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष ने भी दर्ज कराई थी कि 10-5-1977 को उन्हें तथा प्रबन्धक समिति के कुछ अन्य सदस्यों को कालेज के परिसर में गलत ढंग से रोक लिया था जब कि वे कालेज की प्रबन्धक समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए वहां गये हुए थे । इस मामले के बारे में एक मामला भा० द० सं० की धारा 342 के अधीन थाना सिविल लाइन्स में दर्ज किया गया था ।

उपरोक्त दोनों मामलों की जांच की जा रही है ।

Use of D.E.S.U. Vehicles by Some Political Party.

+446. **Shri Shiv Narain Sarsonia** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether the vehicles of the DESU were provided to some political party;

(b) if so, the officer with whose permission the vehicles were provided as also the number of vehicles provided, date-wise; and

(c) the amount earned by the DESU for providing these vehicles and in case no amount was earned, the reasons therefor ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Delhi Electric Supply Undertaking have reported that on certain occasions, however, some of the vehicle were allowed to be used by Delhi State Electricity Workers Union, the only recognised Union of the Undertaking on its request for which necessary bills were raised by the Undertaking.

Revision of Pay Scales of D.E.S.U. Employees

+447. **Shri Shiv Narain Sarsonia** : Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) whether a decision to revise the pay scales of the employees of DESU from 1971 has been taken;

(b) whether the arrears of pay have not been paid to them despite the revision of their pay scales; and

(c) reasons for delay in paying the arrears and the time by which these arrears are likely to be paid ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Decisions were taken during 1973 by Delhi Electric Supply Undertaking management to revise pay scales of (i) Engineers with effect from 1-4-1971, and (ii) Technical Supervisors and other staff including workmen with effect from 1-4-1972.

(b) Engineers have been paid salary in the revised scale from September, 1973 onward and the other staff from October, 1973 onwards. The arrears of salary etc. to Engineers from 1-4-1971 to August, 1973 and to other staff from 1-4-1972 to September, 1973 are yet to be paid.

(c) Since there was some dispute over certain matters arising out of revision of pay scales, the same was referred by Delhi Electric Supply Undertaking management to an Arbitrator who gave his award in March, 1977 and this is under consideration of the management.

औद्योगिक लाइसेंस नीति

448. **श्री के० ए० राजन :**

श्री एम० करुणासुन्दरम :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नई औद्योगिक लाइसेंस नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो ततत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है और उसके क्या उद्देश्य हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) नई सरकार की औद्योगिक नीति की मूलभूत विशेषताएं औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के यथासंभव अधिकतम अवसर पैदा करना, देश की विद्यमान परिस्थितियों में लोगों को अनुकूलतम सामाजकि–आर्थिक लाभ पहुंचाना तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित कुटीर और लघु उद्योगों को सुदृढ़ बना कर आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना है । नई औद्योगिक नीति का कार्य संचालन संबंधी ब्यौरा यथासमय तैयार किया जायगा ।

Instructions to States to Liberalise Jail Manuals

449. **Shri Krishna Kumar Goyal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the practice of treating detenus and undertrial prisioners with cruelty and in an inhuman manner in jails is continuing since independence ;

(b) whether the prominent politicians, political and social workers and intellectuals who were held in large number during Emergency were handcuffed and fettered;

(c) whether instructions are proposed to be issued by the Centre to the States to make changes in jail manuals to liberalise them; and

(d) whether Government propose to issue instructions to the concerned officers to the effect that civilised and responsible persons when taken to courts, jails and other places as under trial prisioners should not be handcuffed ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) to (d) Instructions were issued by the Govt. of India to all State Governments and Union Territories on 8-11-1974 to the effect that handcuffs are normally to be used by the police only where the prisioners are violent, disorderly, obstructive or are likely to attempt escape or to commit suicide or are charged with serious non-bailable offences. The State Governments and Union Territories have also been advised that indiscriminate handcuffing of prisioners is contrary to the modern concept of the treatment of offenders and that there should ordinarily be no occasion to handcuff prisioners such as Satyagrahis, persons occupying good position in public life, and professionals like journalists, jurists, doctors, writers, educationists,etc. Any specific complaint that is brought to the notice of Government will be taken up with the State Government.

Regarding specific instances of mal-treatment of detenus during the period of emergency, these will be covered by the terms of reference of the Shah Commission.

खनिज स्रोतों का पता लगाने के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग

450. **श्री ए० बाला पजनौर** : क्या अान्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खनिज स्रोतों का पता लगाने के लिए इस समय अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग की स्थिति क्या है;

(ख) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से अब तक क्या वास्तविक उपलब्धियां प्राप्त हुई और इन के परिणामस्वरूप किन क्षेत्रों में नये खनिज स्रोतों का पता लगा है; और

(ग) भविष्य में उक्त प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग करने के लिये योजनाओं के क्या-क्या चरण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) देश में खनिज स्रोतों का पता लगाने के लिए अन्तरिक्ष उपयोग संबंधी प्रौद्योगिकी इस समय प्रायोगिक अवस्था में है। भूमि की सतह पर खनिजों के प्रत्यक्ष अनावरण के अभाव में परोक्ष उपागम का प्रयोग किया जाता है, जैसे भू-विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान संबंधी अध्ययन जो खनिजों की संभावनाओं को निर्दिष्ट करते हैं। सतह पर अनावरित विशिष्ट खनिजों के लिए ऐसे विशेष संवेदकों का अभिकलन संभव है जो उनकी सुगम पहचान में सहायता करते हैं। अभी तक केवल वायुयान पर ही ऐसे संवेदकों की जांच की गई है। भारत में अध्ययन अभी प्रारम्भ किए जा रहे हैं और ये अधिकतर अन्य देशों से उपलब्ध उपग्रह संबंधी आंकड़ों पर तथा हमारे अपने वायुयान संबंधी आंकड़ों पर आधारित हैं, जो अब बहुबैंड और बहु-स्पेक्ट्रमी संवेदकों के माध्यम से एकत्र किए जा रहे हैं।

(ख) भारत में किए वायुयान सर्वेक्षण से लिए गए कुछ लैंडसैट बिम्बावलियां और आंकड़ें भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और अन्य संगठनों को प्रदान किए गए हैं और भू विज्ञान तथा खनिज विज्ञान संबंधी उपयोगों के लिए इनका विश्लेषण किया जा रहा है। इनमें से कुछ से रेखिक और अन्य संरचनात्मक स्वरूपों की पहचान करना संभव हुआ है।

(ग) 1978 में छोड़ा जाने वाला द्वितीय भारतीय उपग्रह संवेदकों को ले जायेगा जो भू-वैज्ञानिकों की रुचि की बिम्बावली प्रदान करेगा। इस प्रयोजन के लिए उपग्रह और वायुयान संबंधी आंकड़ों के प्रयोग के लिए भारत में संबंधित वैज्ञानिकों और संगठनों से प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

परमाणु ऊर्जा के माध्यम से विद्युत का उत्पादन

451. **श्री अरविन्द बाला पजनौर** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा के माध्यम से विद्युत का कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या तेल के संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार अन्य स्रोतों की अपेक्षा परमाणु ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन अधिक करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में जो योजनाएं हैं उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या विदेशी स्रोतों से अणु सामग्री उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान बिजलीघरों के कार्यकरण में बाधा आती है अथवा आने की सम्भावना है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) (क) वर्ष 1976-77 में 3,25,20,00,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करके किया गया है।

(ख) तथा (ग) देश की बिजली संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तापीय बिजलीघरों, पन बिजली-घरों तथा परमाणु बिजलीघरों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है तथा इस काम में परमाणु बिजलीघरों का योगदान बहुत मामूली है। तेल-संकट से पैदा हुई परिस्थिति का मुकाबला कोयले से चलने वाले तापीय बिजलीघरों पर और ज्यादा निर्भर रह कर किया जा सकता है। वर्तमान योजना के अनुसार, वित्तीय साधनों के उपलब्ध होने पर, सन् 1990 तक 6000 मैगावाट क्षमता के परमाणु बिजलीघर लगाने का प्रस्ताव है।

(घ) वर्तमान चालू परमाणु बिजलीघरों अर्थात् तारापुर परमाणु बिजलीघर तथा राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट, में से केवल तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिये अमरीका से मंगाये गये समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होती है। राजस्थान परमाणु बिजली घर के लिये विदेशी सप्लायरों से नाभिकीय सामग्री मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समृद्ध यूरेनियम प्राप्त होने में विलम्ब होने से तारापुर परमाणु बिजलीघर को भविष्य में चलाने में कठिनाई पैदा हो सकती है।

Development of Desert Area of Rajasthan

453. **Shri Chaturbhuj : Will the Minister of Planning** be pleased to state :

(a) the steps taken so far to develop the basic resources of development in the districts having predominantly Scheduled Tribes population in the desert areas of Rajasthan;

(b) an assessment of the work done so far; and

(c) action proposed to be taken to accelerate this work ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a), (b) & (c) The required information is being obtained from the Government of Rajasthan and will be placed on the Table of the House as soon as, it is received.

सेतु समुद्र को गहरा करना

454. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार सेतु समुद्र को गहरा करने का कार्य आरम्भ करने का है जिससे पश्चिम तट से तूतीकोरिन, मद्रास आदि से आने वाले जहाजों को श्री लंका महाद्वीप का चक्कर लगाकर आने की आवश्यकता न हो ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : प्रस्ताव पांचवीं योजना में शामिल नहीं किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योग

455. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारें में कोई सर्वेक्षण किया गया है और ऐसे उद्योगों का पता लगाया गया है ;

(ग) उक्त उद्योगों के विकास के लिये कब तक योजनाएं तैयार की जायेंगी तथा उनकी क्रियान्विति की जायेगी; और

(घ) क्या भूतपूर्व सरकार द्वारा पहले तैयार की गई योजनाएं और अधिक उद्देश्यपूर्ण विकास के लिये संतोषजनक आधार होंगी ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी, हां। नई सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लघु तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

(ख) जी, हां। देश में ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 111 जिले पहले से ही हैं तथा इन जिलों में परियोजना कर्मचारियों द्वारा तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है। तथा विकसित किए जाने वाले उद्योगों का पता लगा लिया गया है । विस्तार की गुंजाईश वाले उद्योगों का पता लगाने की दृष्टि से समय-समय पर सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को अद्यतन भी बनाया जाता है।

(ग) उद्योग मंत्रालय द्वारा जनता सरकार विचारधारा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक बहुल एककों पर विशेष जोर देकर ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने के लिए नयी कार्यनीति बनाई जा रही है। इस उद्देश्य के लिए उद्योग मंत्रालय का लघु उद्योग विकास संगठन तथा लघु क्षेत्र से संबंधित अन्य अभिकरण एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं । जसमें कार्य करने हेतु समय-सीमा का भी निर्देश होगा ।

(घ) पुरानी सरकार ने दस वर्षों में बेरोजगारी समाप्त करने हेतु योजना में व्यवस्था करने अथवा एक समय-सीमा के भीतर विशेष रोजगार के अवसर विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने की दिशा में विचार नहीं किया था अतएव रोजगार परक बनाने हेतु योजनाएं बदली जा रही है।

Monetary Aid to MISA Detenus who lost means of livelihood

456. **Shri Rameshwar Patidar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether Government propose to give monetary aid to those MISA detenus who lost the means of livelihood during the 1975 emergency as also to reinstate those detenus who were removed from service during the same period in order to enable them to carry on their avocation again and support their families ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : There is no proposal to give monetary aid to those MISA detenus who lost their means of livelihood during the emergency. However, the Government have finalised a scheme to grant monthly pension in deserving cases to dependents of those detenus held under MISA during the Internal Emergency who dies in custody or within three months of their release from custody.

Instructions have been issued on 10th May, 1977 that all Central Government employees who had been detained under MISA and who have since been released should be reinstated. A copy of the instructions has also been sent to all State Governments for consideration of similar action in respect of their employees.

Rural Electrification in M.P.

†457. **Shri Rameshwar Patidar** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether mini scheme of Rural Electrification Corporation for electrification of Pan ya village of Rajpur tehsil of Khargone district in Madhya Pradesh was approved by the Central Government in 1976; and

(b) if so, when the work will be completed ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) The Mini Farm Schemes of Thikri Block in Rajpur tehsil envisaging electrification in 29 villages including village Panya was approved by the Rural Electrification Corporation in July, 1976.

(b) The scheme is scheduled for completion in 1978-79. However, the State Electricity Board has intimated that village Panya has been electrified on 27th May, 1977.

Murder of Naxalties in Special Central Jail, Bhagalpur

458. **Dr. Ramji Singh : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :**

(a) whether Government are aware of the gruesome murder of some naxalites in special Central Jail, Bhagalpur in April, 1975;

(b) whether this incident was hushed up during the emergency;

(c) whether Government propose to appoint a Judicial Enquiry Commission to enquire into this mass murder; and

(d) whether compensation would be paid to the families of the youths murders ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) No, Sir.

(b), (c) & (d) Does not arise.

सरकारी फाइलों तक श्री संजय गांधी की पहुंच

459. **श्री कल्याण जैन : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मई, 1977 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित भूतपूर्व उद्योग मंत्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि श्री संजय गांधी की सरकारी फाइलों तक बेरोक-टोक पहुंच थी और अधिकारियों की पदोन्नति तथा नियुक्ति में भी वही निर्णय करते थे तथा ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों को प्रायः दंडित होना पड़ता था;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भविष्य में सरकार से असम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार अनुसूचित हस्तक्षेप किये जाने को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) तथा (ग) सरकार किसी अनधिकृत व्यक्ति को सरकारी कागजात देखने की अनुमति दिए जाने को अत्यन्त अनुचित तथा अवैध समझती है। सरकार यह आशा करती है कि जो व्यक्ति सरकारी काम-काज करने और सरकारी कागजात की देखभाल करने के लिये प्राधिकृत हैं वे इस प्रकार के मामलों में विधि तथा स्थापित प्रथा द्वारा यथापेक्षित उचित उत्तरदायित्व निभाएंगे।

महाराष्ट्र के स्वतन्त्रता सैनानियों को पेंशन

460. **श्री आर के० पहालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत सरकार के कार्यालय में महाराष्ट्र राज्य के स्वतंत्रता सैनिकों से कितनी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितनों पर निर्णय लिया गया;

(ग) उनमें से कितनों पर, जिलावार, निर्णय लिया जाना है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जायेगा;

(घ) अब तक कितने आवेदकों को पेंशन की अनुमति दे दी गई है; और

(ङ) कुछ आवेदनों को अस्वीकृत किये जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् 1-4-1974 से 31-3-1977 तक, 1818 आवेदन पत्र महाराष्ट्र राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त हुए हैं।

(ख) उन सभी पर निर्णय ले लिया गया है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) 15-8-1972 से 7-6-1977 तक महाराष्ट्र के 10,310 स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर की गयी है।

(ङ) आवेदन पत्र निम्नलिखित आधारों पर रद्द किए जाते हैं :—

(1) राजनीतिक पीड़ा के दावे के समर्थन में पर्याप्त लिखित सबूत न प्रस्तुत करने पर।

(2) कारावास/नजरबन्दी/भूमिगत/देश निकाला/फरार की अवधि 6 माह से कम होने पर।

(3) वार्षिक आय 4,999 रुपए से अधिक होने पर।

(4) स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कारावास न होने पर।

(5) क्षमा मांग कर मुक्त होने पर।

(6) विधवा के पुनर्विवाह पर।

(7) छूटे रोजगार के मामलों में पुनः बहाली अथवा पुनः रोजगार मिलने पर।

(8) स्वतंत्रता के बाद दोषसिद्ध होने पर।

25 और 26 जून, 1975 को नेताओं की गिरफ्तारी

461. **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 तथा 26 जून, 1975 को हुई प्रमुख नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी के बारे में तत्कालीन गृह मंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को 26 जून, 1975 को प्राप्त हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पता चला था; और

(ख) यदि हां, तो तत्कालीन गृह मंत्री की जानकारी के बिना किसने गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) सरकार को मालूम है कि 26 जून, 1975 को प्रातः हुई मंत्रिमण्डल की बैठक से पहले ही प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारियां हो गई थीं। किन्तु सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि क्या तत्कालीन गृह मंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को मंत्रिमण्डल की ऐसी बैठक से पहले इस प्रकार की गिरफ्तारियों की कोई व्यक्तिगत जानकारी थी।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भीड़ अथवा जलूसों के आयोजन अथवा किसी रूप में प्रदर्शन करने जिनसे हिंसा की सम्भावना हो, को रोकने के लिए जहां तक आवश्यक हो, निरोधात्मक गिरफ्तारियां करने के लिए उक्त मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद 26 जून, 1975 को प्रातः ही अनुदेश जारी किये गये थे। यह प्रश्न कि इन अनुदेशों के जारी होने से पहले गिरफ्तारी के आदेश कैसे किये गये थे, विचाराधीन है और यह न्यायाधीश जे० सी० शाह की अध्यक्षता में जांच आयोग के अधिकार क्षेत्र में भी आयेगा।

कोचीन शिपयार्ड में उपकरणों का लगाया जाना

462. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जहाज बनाने के लिये आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों को अभी तक कोचीन शिपयार्ड में नहीं लगाया गया, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार का क्या कार्यावाही करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) 105 टन की गांतरी क्रेन एक इस तरह का महत्वपूर्ण उपस्कर है। इस आकार प्रकार की क्रेन पश्चिम जर्मन की एक फर्म के सहयोग से भारत में पहली बार बनाई जा रही है। सभी कार्यशील नक्शों को तैयार करने और क्रेन का निर्माण और संस्थापन लाइड्स के कड़े निरीक्षण के अधीन हो रहा है। परन्तु विनिर्माताओं को अनुभव न होने के, विभिन्न प्रकार के बढ़िया किस्म के मदों और सामान की आवश्यकता के कारण इस क्रेन के चालू किये जाने में बिलम्ब हो गया है। अब प्रायः सभी संघटक निर्माण स्थल पर पहुंच चुके हैं और निर्माण कार्य के लिये निर्देशों और देख-रेख के कार्य को सुदृढ़ कर देने से कार्य की गति में तेजी आई है।

कोचीन शिपयार्ड के कर्मचारियों की मांगें

463. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड के कर्मचारियों ने प्रबन्धकों के सामने अपनी मांगे रखी हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) ये कर्मचारियों के वेतन ढांचे और अन्य सेवा शर्तों के पुनरीक्षण से संबंधित हैं। ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के विचाराधीन हैं।

Construction of Ekchati-Mehgama Road

464. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the amount given by Central Government as grant for the construction of Ekchati-Mehgama road (Santhal Parganna, Bihar), and the reasons for not completing the work for so many years;

(b) whether Government realize the utility of this road; and

(c) if so, the obstacles being faced by Government in completing the work ?

Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c) Presumably the Hon'ble Member is referring to Trimohan-Ekchatri-Dhansura-Mahajama road which is a State road. Realising the importance of this road the Govt. of India have agreed to provide from the Central Road Fund to the State Govt. a sum equal to Rs.17.355 lacs towards fifty percent

of the cost of the work, the balance being met by the State Government from their own resources. According to the material received from the State Government, who are executing the work on this State road, a total expenditure of Rs. 38.57 lacs has been incurred on the road so far and as a result the following physical progress has been achieved :—

(i) road works completed in a stretch of 21 kilometres out of 33.6 kilometres;

(ii) culverts and bridges completed except for 3 minor bridges and one battery (line) of Hume Pipe culverts.

Difficulties in land acquisition and financial stringency under the State Plan are reported to be the main reason for the delay in the execution of the work. Meanwhile, the cost of the work has also gone up and it now amounts to Rs. 82.33 lacs. The State Government are preparing a revised estimate and expect to complete the remaining works after they have accorded approval to the revised estimate.

Charges Against the Chief Minister of Karnataka

465. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some Legislators of Karnataka levelled certain charges against the Chief Minister of the State and the Central Government had asked for comments of the Chief Minister thereon; and

(b) whether the Chief Minister has appointed a Commission without intimating the Central Government and has not taken the Central Government into confidence ?

The Home Minister (Shri Charan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Central Government was informed only after the Government of Karnataka had appointed the Commission of Inquiry headed by Shri Mir Iqbal Hussain, Retired Judge of the Karnataka High Court.

दिल्ली पुलिस द्वारा मुक्त किये गये कैदियों से जबरन वसूली

466. **श्री माही लाल :**

श्री शिव सम्पत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अप्रैल, 1977 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आपात स्थिति के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा मुक्त किये गये कैदियों से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो जनता को अत्यधिक परेशान करने के लिये जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ; और

(ग) क्या मुख्य भ्रष्टाचार निरोध अधिकारी ने मारे गये छापों के बारे में प्रतिवेदन तैयार किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने सम्बन्धित समाचार देखा है। उसमें दिये गये आरोपों की जांच की जा रही है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन को सम्बोधित एक पत्र में, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक दिल्ली प्रशासन ने अवैध गिरफ्तारी तथा सेंट्रल जेल से रिहा किये गये व्यक्तियों की नजरबन्दी के बारे में उनकी शाखा द्वारा प्राप्त शिकायतों का उल्लेख किया था। अपने पत्र में दो विशिष्ट मामले भी बताये थे। दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

Reinstatement of Government employees retired during Emergency

467. **Shri Ishwar Chaudhry :**

Shri Nawab Singh Chauhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether several Government employees were retired compulsorily during Emergency;

(b) if so, the number of such employees;

(c) whether these employees have made representations to the Government that they should be taken in service again; and

(d) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Home Minister (Shri Charan Singh) : (a) and (b) Presumably, the reference is to premature retirement. If so, 5477 Central Government employees were retired prematurely during emergency.

(c) Representations from some of these employees seeking reinstatement have been received.

(d) Representations against premature retirements are being considered in accordance with the procedure prescribed therefor.

पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दशा सुधारना

468. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े घोषित किये गये क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दशा सुधारने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की है;

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई योजना विचाराधीन है?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) जिन क्षेत्रों का विशेष रूप से और तेजी से विकास करना जरूरी है, उनके निर्धारण और विकास के दृष्टिकोण तथा मानदण्डों में बहुरूपता न होने देने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा किये गये पिछड़े क्षेत्रों के वर्गीकरण को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं कर लिया है। तथापि केन्द्रीय सरकार विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर रही है, जिसकी रूपरेखा संलग्न विवरण में दी गई है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े घोषित किये गये क्षेत्रों में से अधिकांश आ जाते हैं

विवरण

पिछड़े क्षेत्रों के विकास को सामूहिक प्रयत्न के रूप में माना जाता है जिसमें मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है और उनके प्रयत्नों में केन्द्रीय सरकार, वित्तीय संस्थायें, अनुसंधान संस्थायें आदि सहायता करती हैं। राज्य सरकारों से इस बात के लिये आग्रह किया गया है कि वे उपयुक्त नीतियां बनायें और अपनी विकास योजनाओं में पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दें। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस दिशा में किये गये विशेष प्रयत्न इस प्रकार हैं :--

(1) सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (सू०प्र०क्षे०का०)

देश में सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र देश के क्षेत्रफल का लगभग 19 प्रतिशत है और जनसंख्या की दृष्टि से 12 प्रतिशत है, इसलिये उन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम 1970-71 में शुरू किया गया था। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को और अधिक व्यापक तथा एकीकृत बनाया गया है जिसमें सिचाई के संसाधनों के विकास और प्रबन्ध, भूमि और नमी के संरक्षण, वनरोपण, कृषि-कार्य पद्धतियों के पुनर्व्यवस्थापन, पशुधन विकास और छोटे किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के विकास का समावेश किया गया है। इस कार्यक्रम के लिये 56 जिलों (54 परियोजनाओं) और मटे हुए अन्य जिलों के 18 क्षेत्रों को चुना गया है। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों का अंशदान 50 : 50 होता है।

(2) पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र

चुने हुए पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिये एकीकृत उप-योजनाएं तैयार की जा रही हैं। और उनमें राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के लिये पांचवीं योजना में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की जा रही है।

(1) जनजातीय उप-योजनाएं

इन उप-योजनाओं के दीर्घकालिक उद्देश्य हैं--(1) जनजातीय क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों के विकास के स्तरों में अंतर को कम करना, और (2) जन-जाति के समुदायों के जीवन-स्तर में सुधार करना।

इस समय 16 राज्यों और दो संघ शासित क्षेत्रों में निर्धारित किये गये जनजातीय क्षेत्रों के लिये जनजातीय उप-योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

जनजातीय उपयोजनाओं के लिये संसाधन चार प्रमुख स्रोतों से प्राप्त होते हैं अर्थात् सामान्य राज्य योजनाओं, विशेष केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों और संस्थागत वित्त-व्यवस्था से। पांचवीं योजना की अवधि में इस प्रयोजन के लिये 190 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है।

(2) पहाड़ी क्षेत्र उप-योजनाएं

उपर्युक्त सुविचारित उप-योजना के अनुसार ही उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये विकास की परिकल्पना की गई है। इन उप-योजनाओं के लिये सामान्य राज्य योजनाओं के अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी घाटों के विकास के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता भी दी जा रही है। पांचवीं योजना में इन पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये 170 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों के लिये उप-योजनाओं के अतिरिक्त, चुने हुए जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में निम्नलिखित विशिष्ट विकास परियोजनायें भी शुरू की गई हैं ।

(3) जनजातीय विकास अभिकरण परियोजनाएं

चुने हुए महत्वपूर्ण पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में छोटे और मझौले किसानों के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में मार्गदर्शी आधार पर विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं । इस समय आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 8 जनजातीय अभिकरण परियोजनायें हैं । चौथी योजना की अवधि में इन परियोजनाओं पर केन्द्रीय क्षेत्र में 4.12 करोड़ रु० खर्च किये गये थे । इन परियोजनाओं के लिये पांचवीं योजना में 12.03 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

(4) पहाड़ी क्षेत्र विकास परियोजनाएं

भारत-जर्मन सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के चुने हुए पहाड़ी क्षेत्रों में "जल विभाजक" के आधार पर चार कृषि विकास परियोजनायें आरम्भ की गई हैं । इसी आधार पर मणिपुर और उत्तर प्रदेश में तीन परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 3.00 करोड़ रुपए का परिव्यय परिकल्पित किया गया है ।

(3) उत्तर-पूर्वी परिषद् को सहायता

पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश के उत्तर-पूर्वी अंचल के पिछड़े राज्यों को 90 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है । महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिये धनराशि देने के लिये इस केन्द्रीय सहायता का लेखा-जोखा उत्तर-पूर्वी परिषद् द्वारा रखा जाता है ।

(4) आन्ध्र प्रदेश को छः सूत्री सहायता

आंध्र प्रदेश के निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों का तीव्रगति से विकास करने की दृष्टि से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 90 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है।

(5) लघु कृषक विकास अभिकरण/मझौले किसान और खेतिहर मजदूर

आर्थिक विकास कार्यों का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के निर्बल वर्गों को प्राप्त हो सके और उनकी आर्थिक दशा सुधर सके, इस दृष्टि से लघु कृषक विकास अभिकरण/मझौले किसान और खेतिहर मजदूर परियोजनायें आरम्भ की गई हैं । वर्तमान विकास एवं विस्तार अभिकरणों के माध्यम से इन परियोजना अभिकरणों ने कृषि और सहायक धंधों में सुधार करने, ऋण की व्यवस्था करने और कार्यक्रमों को निष्पादित करने के लिये उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किये हैं । इस समय 155 लघु कृषक विकास अभिकरण/मझौले किसान खेतिहर मजदूर परियोजनायें हैं जो सभी राज्यों में फैली हुई हैं ।

(6) औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन स्कीमें

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निश्चित किये गये मानदण्डों के अनुसार निर्धारित किये गये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण और विनियोजन निगम जैसी सावधिक ऋण संस्थाओं द्वारा इन क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को रियायती दरों पर वित्तीय सहायता दी जा रही है । इन क्षेत्रों के उद्योग आय कर राहत के लिये भी पात्र हैं । इस स्कीम के अन्तर्गत अब तक 247 जिलों को सहायता के लिये चुना गया है ।

रियायती वित्त स्कीम के अलावा चुने हुए पिछड़े जिलों में उद्योगों की नई इकाइयों में निर्धारित पूंजीनिवेश की 15 प्रतिशत की दर से निवेश सहायता और अपना विस्तार करने वाली वर्तमान इकाइयों द्वारा अतिरिक्त निवेश पर (अधिकतम 15 लाख रु० तक) निवेश सहायता भी दी जा रही है । इस आर्थिक सहायता स्कीम के अन्तर्गत 101 जिले/क्षेत्र शामिल किये गये हैं ।

आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र लघु उद्योग इकाइयों को (क) कच्चा माल, मशीनें और मशीनों के संघटकों का आयात करने में तरजीह दी जाती है, और (ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किराया-खरीद के आधार पर मशीनों की पूर्ति को प्राथमिकता दी जाती है ।

परिवहन आर्थिक सहायता की केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत चुने हुए पहाड़ी क्षेत्रों में सभी नई औद्योगिक इकाइयों को उनके निकटतम रेलवे स्टेशन से और उन तक कच्चे माल और तैयार माल की ढुलाई के परिवहन-व्यय का 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है ।

(7) राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

समस्त देश के विभिन्न क्षेत्रों और समाज के वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति और उनके आधारभूत विकास के लिये यह कार्यक्रम बनाया गया है । राष्ट्र के संदर्भ में पिछड़े क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को दी गई प्राथमिकता और तरजीह इस बात से प्रकट होती है कि देश के विशिष्ट वर्गों के पिछड़े लोगों और देश के पिछड़े इलाकों के लिये लागू होने वाले कुछ मानदंडों में छूट दी गई है। उदाहरण के लिये ग्राम विद्युतीकरण निगम के पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तानी और जनजातीय क्षेत्रों के लिये आत्मनिर्भरता के मानदंडों में विभिन्न प्रकार की छूट दी है और ऋण की अदायगी की शर्तों में भी अधिक उदार शर्तें रखी हैं ।

Plan for Uplift of Villages

469. **Shri Yagya Datt Sharma :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government are preparing a plan giving priority for the uplift of villages; and

(b) if so, facts thereof ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) The measures for rural development taken so far and the strategy for the future are being studied by Government.

(b) The position will emerge in the light of the Study.

Power Shortage in the Country

†470. **Shri Yagya Datt Sharma :**
Shri Mrityanjay Prasad Verma :

Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether reports are being received from different parts of the country about the powerot;erhrgtofseneac

(b) if so, the parts of the country having the power crisis; and

(c) the effective steps taken by Government to meet this crisis and the results thereof ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) (a) : Yes, Sir.

(b) The following States are facing large powers shortages at present :—

(i) Uttar Pradesh, (ii) Andhra Pradesh, (iii) Tamil Nadu, (iv) Karnataka, (v) Maharashtra and (vi) West Bengal.

Earlier in May, 1977 Punjab, Haryana and Union Treritory of Delhi were also affected, but the situation has now improved.

(c) As short-term measures, steps taken include:—

(i) Bharat Heavy Electricals Limited and the concerned power stations are taking vigorous action to recommission the units which are either on forced outage or are under planned maintenance. Some of the units such as 120 MW at Santaldih, another 120 MW at Chandrapur of D.V.C., 100 MW unit at Badarpur have been re-commissioned recently. Another unit of 100 MW at Badarpur and 110 MW at Ennore are expected to be re-commissioned in the near future.

(ii) The generation from the existing power stations is being maximised to the extent possible.

(iii) Necessary steps are being taken by the Centre and the State Governments for transfer of power from surplus State to deficit States wherever such exchange of power is possible through inter-State and inter-regional transmission lines.

(iv) Rationing of electrical consumption has been introduced in accordance with graded priorities indicated by Government of India.

As a long-term measure :

(i) steps are being taken to expedite the commissioning of the units which have already been sanctioned.

(ii) Proposals are being finalised for additional generating capacity in the various States to meet the power demand.

दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों के कार्य घंटे

471. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों के कार्य घंटे क्या हैं;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को कार्य घंटों से अधिक काम करने को मजबूर किया जाता है;

(ग) कर्मचारियों को कार्य घंटों से अधिक काम करने को कहने पर उन्हें किन नियमों के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति दी जाती है ; और

(घ) क्या कार्य घंटों से अधिक काम करने पर कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया जाता है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों के कार्य घंटे निम्नलिखित हैं:—

(एक) क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी—प्रातः 8.00 बजे से सायं 4.30 बजे तक। इसमें ½ घंटा आराम का है।

(दो) पारियों में काम करने वाले कर्मचारी --8.00 घंटे।

(तीन) सचिवालय कर्मचारी--प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक। इसमें ½ घंटा अवकाश है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जहां तक विद्युत् केन्द्र के कर्मचारियों का प्रश्न है ड्यूटी के घंटों के बाद कार्य करने के लिये प्रतिपूर्ति फैक्टरी अधिनियम के उपाबन्धों के अनुसार की जाती है। सचिवालय कर्मचारियों को छोड़ कर जहां तक दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के अन्य कर्मचारियों का प्रश्न है यह प्रतिपूर्ति, विद्युत् (सप्लाई) अधिनियम, 1948 की धारा 79(ग) के अन्तर्गत बनाये गये सेवा विनियमों के विनियम 17 के अन्तर्गत की जाती है। किन्तु सचिवालयीन कर्मचारियों पर, इस हेतु भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये इस प्रकार आदेशों पर आधारित आदेश लागू होते हैं

(घ) जब कभी कर्मचारी ड्यूटी की निर्धारित अवधि से ज्यादा काम करते हैं तो उन्हें प्रतिपूरक अवकाश दिया जाता है।

Training Course for Senior Police Officers

472. **Shri Shiv Narain Sarsonia** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Central Government have introduced senior officers training course for imparting training to police officers; and

(b) the number of those I.P.S. officers employed by Delhi Administration, who have undergone this training so far ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) Yes, Sir. (b) Two Officers.

Inquiry into rearrest of D.I.S.I.R. Detenus on Release from Jails

473. **Shri Shiv Narain Sarsonia** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the D.I.S.I.R. detenus after being released from a jail on bail, used to be rearrested at the jail gates during emergency ;

(b) whether an inquiry was ordered into these incidents after those being objected to;

(c) whether high officials issued orders for suspending the inquiry; and

(d) in case an inquiry was made, the findings thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a), (b), (c) & (d) The States of Andhra Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Tamil Nadu, Tripura and Sikkim and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Goa, Daman and Diu, Nagar Haveli and Lakshadweep have intimated that no such re-arrest was effected. Information from the remaining States and Union Territories is awaited and will be submitted in due course.

दिल्ली में पता न लगाये गये हत्या के मामले

474. **श्री अरविन्द बाला पजनौर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली में हत्याओं के कितने मामलों का पता नहीं लगाया जा सका तथा उनका स्वरूप क्या था ;

(ख) क्या इन मामलों की जांच जारी रखने का विचार है ; और

(ग) इन मामलों में अब तक अपराधियों का पता न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) तक तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

"मैनी इनोसेंट्स टोरचर्ड इन केरल जेल्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

475. **श्री समर मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 16 अप्रैल, 1977 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "मैनी इनोसेंट्स टोरचर्ड इन केरल जेल्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में जेलों और पुलिस संरक्षण में दी गई यातनाओं और उनमें हुई मौतों के बारे में जांच करवाने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) केरल सरकार ने समाचार में उल्लिखित मामलों की जांच शुरू की है। शाह-जांच-आयोग अन्य बातों के साथ आपातस्थिति के दौरान गिरफ्तार किये गये अथवा नजरबन्द किये गये व्यक्तियों के साथ बुरे व्यवहार और/अथवा उन पर किये गये अत्याचारों के विशिष्ट मामलों की भी जांच करेगा।

15 जून 1977 को होने वाली सदन की बैठक के लिए गुजरात में परमाणु बिजली घर की स्थापना

476. **श्री एफ० पी० गायकवाड** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम क्षेत्र में परमाणु बिजली घर के स्थल की सिफारिश करने के लिए नियुक्त स्थल चयन समिति ने गुजरात में कुछ स्थानों का दौरा किया था और इस बारे में कुछ अनुकूल सिफारिशें की थीं ;

(ख) क्या गुजरात में बिजली के वास्तविक उत्पादन और मांग में भारी अन्तर है;

(ग) क्या गुजरात में बिजली की कमी और तापीय बिजली के उत्पादन की भारी लागत के परिणामस्वरूप औद्योगिकीकरण की प्रगति धीमी हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार गुजरात में परमाणु बिजली घर की स्थापना करने के बारे में शीघ्र निर्णय लेने पर विचार करेगी।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। पश्चिमी क्षेत्र में एक परमाणु बिजली घर की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल चुनने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई स्थल चयन समिति ने अपने प्रतिवेदन में गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित कुछ स्थलों की सिफारिश की है।

(ख) इस समय गुजरात में बिजली के उत्पादन और उसकी मांग में कोई अन्तर नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) स्थल चयन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

तेहरान को "वेली ब्रिजों" की बिक्री

477. **श्री एफ० पी० गायकवाड** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित 'वेली ब्रिज' की, जो रक्षा का महत्वपूर्ण उपकरण है, बिक्री तेहरान स्थित फर्म को इसके ईरान में प्रयोग के उद्देश्य से की गई थी लेकिन वे किसी उस पड़ोसी देश को पहुंच गय जिसके भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई;

(ग) 'वेली ब्रिज' का क्रयादेश कब प्राप्त हुआ था और किन स्रोतों से प्राप्त हुआ था ; और

(घ) क्या इन 'ब्रिजों' की खरीद के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये थे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं। जहां तक हमारी जानकारी है, ऐसी कोई बात नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में अगस्त 1974 म तेहरान में काम कर रही एक भारतीय फर्म ने पूछताछ की थी और इसके बाद रक्षा मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम और तेहरान में काम कर रही उपर्युक्त फर्म से संबंधित एक फर्म के बीच नवम्बर 1974 में ठेके को अंतिम रूप दिया गया था।

(घ) जी, नहीं।

हजीरा, गुजरात में जहाज़ निर्माण कार्य

478. **श्री एफ० पी० गायकवाड** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में हजीरा स्थान पर जहाज निर्माण यार्ड स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में कब घोषणा करने का इरादा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी नहीं। नये शिपयार्ड के स्थान के लिए उपयुक्त निर्माण स्थल के चुनाव की विषयवस्तु की जांच की जा रही है

(ग) इस जैस मामले में जिसमें भारी पूंजी लगानी होती है और अन्य जटिल समस्याओं के प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय करने से पहले सरकार को विस्तार से जांच करनी होती है।

दलबदल विरोधी विधेयक

479. श्री एफ० पी० गायकवाड :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार लोक सभा के चालू सत्र के दौरान दलबदल विरोधी विधेयक पेश करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : जी हां, श्रीमान् ।

आपातस्थिति के दौरान ज्यादतियों की शिकायतें

480. **श्री आर० के० महालगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत आपातस्थिति के दौरान सरकार की "ज्यादतियों" की अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ये शिकायतें इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किये गये आयोग के पास भेज दी गई हैं; यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) पिछली आपातस्थिति के दौरान ज्यादतियों की शिकायतों, जो केन्द्र और राज्यों के विभिन्न प्राधिकारियों को की गई हैं और की जा रही हैं, के व्यापक क्षेत्र और उनकी भारी संख्या पर विचार करते हुए ऐसी शिकायतों के सांख्यिकीय आंकड़े देना कठिन है।

(ग) जब भी व्यक्तिगत शिकायतें प्राप्त हुई है सरकार उनकी जांच करती रही है। न्यायाधीश शाह की अध्यक्षता में जांच आयोग हाल ही में नियुक्त किया गया है और राज्य सरकार को प्राप्त शिकायतों के बारे में आगे कार्यवाही आयोग की सलाह के अनुसार की जायेगी।

आपातस्थिति के दौरान 'मीसा' तथा भारत रक्षा नियमों के अधीन पत्रकारों की गिरफ्तारी

481. **श्री आर० के० महालगी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में आपातस्थिति के दौरान 'मीसा' तथा भारत रक्षा नियमों के अधीन कितने पत्रकार गिरफ्तार किये गये थे ; और

(ख) क्या उनकी रिहाई के पश्चात् सब को वापस काम पर ले लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) पिछली आपातस्थिति के दौरान "मीसा" के अन्तर्गत 110 पत्रकार नजरबन्द किये गये थे और भारतीय रक्षा नियमों के अंतर्गत 60 पत्रकार गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

Utilisation of Waste Products in vrious Industries

482. **Shri Mritunjay Prasad Varma** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme or some research work in progress to find out and ensure proper utilisation of waste products in various industries, check air and water pollutions and increase useful production in the country ; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of Industry (Shri Brij Lal Verma) : (a) Yes, Sir.

(b) A number of measures have been initiated in the direction of useful utilisation of waste products and anti-pollution, such as :—

(i) A national Committee on Environmental Planning & Coordination has been set up by the Government for identifying the problems and improving upon the environment through proper utilisation of waste products in various industries and other activities pertaining to pollution control.

(ii) Consequent upon the enactment of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, several State Governments have set up Pollution Boards to lay down standards and take preventive measures for controlling pollution.

(iii) Department of Science & Technology through its various Committees and the Indian Standards Institution are currently working on several projects and standards for pollution control.

(iv) It is a mandatory condition in industrial licensing that entrepreneurs who wish to set up industrial plants giving rise to effluents and industrial gases should satisfy the Government about their capacity and means to treat and dispose o such effluents and gases within the prescribed limits.

(v) Stress has been given to recycling and recoveries of waste which will lead to productive assets in the economy. Examples of this are slag from blast furnaces and fly ash from power plants etc. for production of cement; use of agricultural residues for manufacture of paper; use of coal gas for manufacture of chemicals, etc.

(vi) A number of Development Councils, Engineers India Limited and other organisations have been engaged in identification of problems in specific regions and industries.

(vii) Capacities are being set up for production of pollution control equipment and instruments.

जांच ग्रायोग की नियुक्ति

483. **श्रीमती मृणाल गोरे :**

डा० बापू कालदत्ते :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों की भंग विधान-सभाओं के मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध ग्रारोपों की जांच के लिए ग्रनेक जांच ग्रायोग नियुक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन ग्रायोगों के नाम क्या हैं ग्रौर उनके निदेश-पद क्या हैं ; ग्रौर

(ग) उन मुख्य मंत्रियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध ये ग्रायोग नियुक्त किये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। जिन राज्यों में विधान सभाओं को हाल ही में भंग किया गया था, उन राज्यों के अनेक भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के ज्ञापन प्राप्त हुए थे। इस प्रश्न की जांच करने के लिए कि क्या उन मामलों में जांच आयोगों का नियुक्त किया जाना प्रत्यक्षत: आवश्यक है, इन आरोपों को, तथ्यों का पता लगाने के लिए संबंधित राज्यपालों को भेजा गया था।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में राज्य मंत्रियों के द्वारा कथित हस्तक्षेप

484. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आरोप लगाया है कि राज्य के मंत्रियों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है ;

(ख) क्या मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में सरकार को राज्य के उन मंत्रियों के नाम बताये हैं ; और

(ग) राज्य मंत्रियों की इस कार्यवाही को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) किसी हस्तक्षेप से निपटने के लिये न्यायालयों के पास कानून के अन्तर्गत पर्याप्त अधिकार हैं जैसे न्यायालय मानहानि अधिनियम।

विद्रोही नागा नेता श्री ए० जैड० फिजो के साथ बातचीत

485. **श्रीमती मृणाल गोरे :**

श्री के० मालन्ना :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वनिर्वासित विद्रोही नागा नेता श्री ए० जैड० फिजो से बातचीत करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या श्री ए० जैड० फिजो से कोई बातचीत हुई है ; और

(ग) बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क), (ख) और (ग) श्री ए० जैड० फिजो द्वारा किये गये अनुरोध के उत्तर में, प्रधान मंत्री यू० के० के अपने हाल के दौरे में उनसे मिलने को सहमत हो गये हैं। भेंट लंदन में 14 जून, 1977 को सायंकाल होनी थी। अभी ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

आपात स्थिति लागू किए जाने के विरोध में वर्धा में एक व्यक्ति द्वारा आत्म-हत्या किया जाना

486. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक आपात स्थिति लागू किये जाने के विरोध में वर्धा में श्री प्रभाकर शर्मा ने आत्महत्या की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस घटना के बारे में तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) 66 वर्षीय प्रभाकर शर्मा ने जो एक कलाकार और समाज सेवक थे अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की और वे पहले से चली आ रही पेट की बीमारी से पीड़ित थे। स्वभावतः भावुक होने के कारण वे आपात स्थिति के आलोचक थे और कहा जाता है कि उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने 13/14 अक्तूबर, 1976 की रात्रि में अपना आप को जला कर आत्म हत्या की। यद्यपि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आपातस्थिति ने उन्हें आत्म हत्या करने के लिए प्रेरित किया था पर यह स्पष्ट है कि आपातस्थिनि के प्रति उनकी प्रतिक्रिया उनकी अप्रसन्नता का एक कारण थी जिससे यह दुखदः घटना हुई।

आपात स्थिति के दौरान सरकारी कर्मचारियों का बर्खास्त किया जाना

487. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपात स्थिति के दौरान संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया या सेवा से हटाया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया गया; और

(ग) उनमें से कितने कर्मचारियों का संबंध श्रमिक संघों की वैध गतिविधियों से था।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) माननीय सदस्य के मन में संविधान के अनुच्छेद 311(2) के परन्तुक (ग) की धारणा है, जिसके आधार पर संविधान के उपर्युक्त परन्तुक को लागू करके आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान 71 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था, या सेवा से हटाया गया था।

(ख) मूल नियम 56 (जे) के अनुसार उक्त अवधि के दौरान 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले 5477 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

(ग) संबंधित कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के अधीन श्रमिक संघों की वैध गतिविधियों पर प्रतिबन्ध नहीं है और इसलिए श्रमिक संघों की वैध गति-विधियों में भाग लेने के कारण विशेष रूप से किसी को भी दण्ड नहीं दिया जाता है।

नौ राज्यों की विधान सभाओं का भंग किया जाना

488. **श्री बी० सी० काम्बले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे तथ्य क्या हैं जिनके कारण राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति माननीय बी० डी० जत्ती को नौ राज्य विधान सभाओं को भंग करने तथा वहां चुनाव कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई उद्घोषणाओं पर हस्ताक्षर करने में कथित विलम्ब हुआ है; और

(ख) राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा यदि कोई स्पष्टीकरण अथवा जानकारी मांगी गई थी तो उसका व्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) 29 अप्रैल, 1977 की शाम को भारत सरकार ने बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में उत्पन्न स्थिति पर विचार किया। उसी दिन इन राज्यों में से प्रत्येक के बारे में राज्य विधान सभाओं को भंग करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन एक उद्घोषणा जारी करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उपराष्ट्रपति के समक्ष रखा गया था। उपराष्ट्रपति ने संवैधानिक उलझनों पर स्पष्टीकरण मांगा जो मैंने और विधि मंत्री ने व्यक्तिगत विचार विमर्श के दौरान प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उपराष्ट्रपति 30 अप्रैल, 1977 की शाम को उद्घोषणा और आदेश जारी करने के लिए राजी हुए।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भारतीय वायु सेना के विमानों का प्रयोग

489. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके परिवार के सदस्यों के लिये 25 जून, 1975 और 25 मार्च, 1977 के बीच भारतीय वायु सेवा के विमान और हेलिकोप्टरों ने कुल कितने मील और कितने घण्टे उड़ान की ;

(ख) इस पर कितना खर्च हुआ ; और

(ग) इसमें से कितना खर्च सरकार ने, उनकी पार्टी ने, और कितना उन्होंने स्वयं वहन किया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) उड़ान के कुल मील/घंटे निम्नांकित हैं :

(1) उड़ान मील

2,28,149 मील
(सरकारी यात्रा – 1,11,913 मील
गैर सरकारी यात्रा – 1,16,236 मील)

(2) उड़ान घन्टे

1487.10 घन्टे
(सरकारी यात्रा – 688.00 घन्टे
गैर सरकारी यात्रा : 799.10 घन्टे)

भारतीय वायु सेवा ने केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी के परिवार के सदस्यों के लिए कोई विमान अथवा हैलिकोप्टर नहीं दिया है। तथापि, श्रीमती गांधी के परिवार के सदस्यों ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों और कतिपय राज्यों के मुख्य मंत्रियों के विमान मांग पत्रों पर उनके साथ अवश्य यात्रा की।

(ख) (1) भारतीय वायु सेना के विमान के उपयोग के लिए नियमों के अनुसार, प्रधान मंत्री के सरकारी उड़ानों का खर्च नहीं लिया जाता।

(2) भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 25 जून, 1975 और 25 मार्च, 1977 के बीच गैर सरकारी उड़ानों के बारे में कुल उदग्राहय भाड़ा 14,12,875 रुपये हैं।

(ग) 36,113.35 रुपये के भेजे गये पहले बिलों के प्रति 18,501.16 रुपये का भुगतान किया गया था और रक्षा लेखा में जमा कर दिया गया था, उसमें से 14,040.14 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से वसूल किये गये थे। भूतपूर्व प्रधान मंत्री की गैर सरकारी यात्राओं के लिए 13,66,762.38 रुपये के शेष बिलों के भुगतान के लिए 3 जून, 1977 के प्रधान मंत्री के कार्यालय को भेजा गया है।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा सेना को उपयोग में लाना

490. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब यह महसूस किया कि वर्तमान लोक सभा चुनाव परिणाम उसके पक्ष में नहीं जा रहे थे, तब सेना का उपयोग करने के लिए रक्षा सेना के प्रमुखों से अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के महाप्रबंधक के विरुद्ध आरोप

492. **श्री के० ए० राजन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के महाप्रबंधक के विरुद्ध उसके भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा लगा गये आरोपों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

(ग) क्या इन आरोपों के बारे में कोई जांच-पड़ताल की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उससे क्या पता चला है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) जी नहां, श्रीमान्। सरकार ने दिल्ली विद्युत प्रदाय सस्थान के महाप्रबन्धक श्री एन० एस० बसन्त के विरुद्ध, दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री चरती लाल गोयल द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में 28 अप्रैल, 1977 को टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित प्रैस रिपोर्ट को देखा है। प्रैस रिपोर्टों के अनुसार श्री गोयल ने श्री बसंत पर, श्री संजय

गांधी ग्रौर कांग्रेस के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों को तंग करके, अपने अधिकार का दुरुपयोग करके, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को हानि पहुंचा करके ग्रौर पिछली लोक सभा निर्वाचनों ग्रादि के दौरान कांग्रेस के उम्मीदवारों की सहायता करके धन एकत्र करने का ग्रारोप लगाया है।

(ग) ग्रौर (घ) दिल्ली नगर निगम द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

493. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 100 करोड़ रुपये से ग्रधिक मूल्य की परिसम्पत्तियों वाले उद्योग गृहों के नाम क्या है ; ग्रौर

(ख) क्या इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

विवरण

100 करोड़ रुपये से ग्रधिक की परिसम्पत्तियों वाले ग्रौद्योगिक गृहों के नाम :

1. टाटा
2. बिड़ला
3. मफतलाल
4. जे० के० सिंहानियां
5. थापर
6. ग्राई०सी०ग्राई०
7. सिन्धिया
8. बांगुर
9. ए०सी०सी०
10. श्री राम
11. वालचन्द
12. लारसेन एण्ड टोउब्रो
13. किरलोसकर
14. खटाऊ
15. साराभाई
16. कस्तूरभाई लालभाई

आकाशवाणी, दूरदर्शन और फिल्म प्रभाग को स्वायत्तशासी संस्थानों में परिवर्तित किए जाने के लिए विशेषज्ञों द्वाराअध्ययन

494. **श्री के० मालन्ना :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, दूरदर्शन और फिल्म प्रभाग को स्वायत्तशासी संस्थाओं में परिवर्तित किए जाने के लिए सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और इसका प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सरकार, आकाशवाणी दूरदर्शन और फिल्म प्रभाग को स्वायत्ता प्रदान करने के बारे में सिफारिशें सुझाने हेतु एक वर्किंग पेपर तैयार करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों का एक दल गठित करने का विचार कर रही है ।

'नागालैंड की संघीय सरकार' के एक प्रतिनिधि मण्डल की प्रधानमंत्री से भेंट

495. **श्री के० मालन्ना :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नागालैण्ड की संघीय सरकार' का कोई प्रतिनिधिमंडल हाल में प्रधान मंत्री से मिला था, और

(ख) यदि हां, तो वे मुख्य मुद्दे क्या हैं जिन पर बातचीत हुई थी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) भूतपूर्व-भूमिगत नागाओं के पांच प्रतिनिधि 25 अप्रैल, 1977 को प्रधान मंत्री से मिले। उन्होंने अनुरोध किया कि प्रधान मंत्री श्री ए० जैड फिजो से मिलने के लिये सहमत हो जाएं । उन्होंने कहा कि ऐसी बैठक नागा समस्या का एक टिकाऊ तथा शांति-पूर्ण हल ढूंढ़ने में सहायक होगी । उनसे (भूतपूर्व भूमिगत नागाओं) कहा गया कि प्रधान मंत्री मिलने के लिये तैयार होंगे यदि ऐसा अनुरोध श्री फिजों स्वयं करें। यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि नागालैण्ड आन्तरिक मामला होने के कारण उनसे संबंधित प्रश्नों पर श्री फिजो के साथ तब तक विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता जब तक वे भारत के नागरिक बनने को तैयार न हों तथा भारत के एक अभिन्न भाग के रूप में नागालैण्ड की स्थिति स्वीकार न करें अर्थात् नागालैण्ड की स्वतंत्रता की अपनी मांग छोड़ दें और 11 नवम्बर, 1975 का शिलांग समझौता स्वीकार करें।

श्री संजय गांधी और उनकी कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें

496. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री संजय गांधी और उनकी कम्पनियों और उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध गत दो महीनों के दौरान सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ख) शिकायतें किस प्रकार की प्राप्त हुई हैं और उन अधिकारियों एवं सार्वजनिक व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनके बारे में उनमें अन्तर्ग्रस्त होने का आरोप लगाया गया है ;

(ग) ऐसे अधिकारियों और सार्वजनिक व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या जांच पड़ताल करने वाले किसी अधिकारी ने श्री संजय गांधी और उनके परिवार के किसी सदस्य से पूछताछ की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) : श्री संजय गांधी और उन कम्पनियों के विरुद्ध जिनसे उनका सम्बन्ध है, अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इनकी जांच यह पता लगाने के विचार से की जा रही है कि क्या कानून का कोई उल्लंघन हुआ है जिसके कारण सरकार को कार्यवाही करने की आवश्यकता है । कुछ शिकायतें सरकार द्वारा हाल में नियुक्त न्यायमूर्ति जे० सी० शाह तथा न्यायमूर्ति डी० एस० माथुर की अध्यक्षता में जांच आयोगों के कार्यक्षेत्र में आयेंगी । इस अवस्था में और सूचना देना लोक हित में नहीं होगा ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व रक्षा मंत्री के बारे में शिकायतें

497. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री बंसी लाल अथवा उनके व्यक्तिगत कर्मचारियों के विरुद्ध रक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्य के बारें में गत दो मास में कोई शिकायत मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन शिकायतों के बारें में सरकार द्वारा की गई जांच के अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या किसी जांच एजेन्सी ने अब तक उनसे पूछताछ की है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) शिकायतों का सम्बन्ध भ्रष्टाचार, पदीय स्थिति का दुरुपयोग आदि के आरोपों से है । इनकी जांच की जा रही है ।

(घ) किसी भी जाँच एजेन्सी द्वारा श्री बंसी लाल से पूछताछ नहीं की गई है ।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

498. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के जिन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार को गत दो मास में शिकायतें मिली हैं उनके नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध क्या शिकायत है और सरकार ने प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की ;

(ग) संजय-शुक्ल गुट से सम्बद्ध कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) जिन अधिकारियों को अब तक स्थानान्तरित किया जा चुका है उनके नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख), (ग) और (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव श्री के० के० दास की अध्यक्षता में जन सम्पर्क के माध्यमों के दुरुपयोग संबंधी समिति गठित की गई है। इस समय यह समिति प्राप्त शिकायतों और जन सम्पर्क के माध्यमों के दुरुपयोग से संबंधित इस मंत्रालय और इसके माध्यम एककों के सम्बन्धित रिकार्डों की भी जांच कर रही है। इनमें मंत्रालय के अधिकारियों के बारे में शिकायतें भी शामिल हैं। समिति से यह अपेक्षित है कि वह अपना काम इस मास के अंत तक पूरा करे। आगे की कार्रवाई समिति के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

अल्पसंख्यक आयोग

499. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के मन से असुरक्षा की शंका निकालने की दृष्टि से अल्पसंख्यक आयोग गठित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) यह आयोग कब तक गठित कर दिया जायेगा और इसकी रचना किस प्रकार होगी।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) यह बात सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग भेदभाव तथा असमानता के शिकार न हों सरकार ने एक नागरिक अधिकार आयोग गठित करने का निर्णय पहले ही ले लिया है।

(ख) और (ग) उसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

श्रेणी एक के अधिकारियों के सेवा काल को बढ़ाना

500. **श्री एस० डी० सोमासुन्दरम् :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सेवा निवृत्त की आयु प्राप्त करने के बाद केन्द्रीय सरकार के श्रेणी एक के कितने अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाया गया है ;

(ख) सेवा काल बढ़ाने के आधार क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का उन सभी मामलों की पुनरीक्षा करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और ज्योंही यह उपलब्ध हो जाएगी इसे सदन के समक्ष रख दिया जाएगा।

देश में कोकिंग कोयले के भंडारों का अनुमान

501. **श्री एस० डी० सोमासुन्दरम् :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोकिंग कोयले के भंडारों के बारे में अनुमान क्या है;

(ख) इस्पात उद्योग के विस्तार द्वारा कोकिंग कोयले की खपत का अनुमान क्या है,

(ग) खपत की अनुमानित दर पर यह भण्डार कब तक चल सकते हैं, और

(घ) ऊर्जा के विकल्पों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) देश में कोककर कोयले के भण्डारों का अनुमान निम्न-लिखित है :—

	मि० टन
प्राइम	5149
मीडियम	9656
अर्ध कोककर	1379

(ख) व (ग) 1983-84 में कोककर कोयले की अनुमानित खपत 35 मि० टन के आसपास होगी। खपत की प्रत्याशित दर तथा खनन और परिष्करण की वर्तमान प्रौद्योगिकी को देखते हुए ये भण्डार अभी 50 वर्षों तक और चल सकते हैं। किन्तु कोयला निकालने की प्रौद्योगिकी में सुधार तथा धातु सम्बन्धी उद्योग में इसके इष्टतम उपयोग से कोककर कोयला अधिक समय तक चल सकता है।

(घ) धातु सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में एक फार्म्ड कोक प्लांट स्थापित किया जा रहा है जिसमें अकोककर कोयला इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा धमन भट्ठियों में कोयले के चूरे के इस्तेमाल और स्टाक गैस के इस्तेमाल आदि की कुछ परियोजनाएं विचाराधीन हैं। अकोककर कोयले का इस्तेमाल करके स्पंज लोहे के उत्पादन की क्रिया का भी विकास किया जा रहा है।

कोयले की खानें

502. **श्री के० रामामूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने देश में सभी कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण को समाप्त करने का निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : जी नहीं।

केरल में मनथावाडी परियोजना

503. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पनबिजली योजना—मनथावाडी परियोजना की मंजूरी के लिए केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है,

(ख) इस परियोजना को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके क्षेत्र और व्यय सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित स्कीम कावेरी की सहायक नदी पर स्थित है जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच एक अन्तर्राज्यीय नदी है और सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के लिए कावेरी के जल का व्यपवर्तन पश्चिम की तरफ करने की परिकल्पना इसमें की गई है।

चूंकि प्रस्तावित स्कीम का प्रभाव कावेरी बेसिन में जल के प्रयोग पर पड़ेगा तथा इसमें अन्तर्राज्यीय विवक्षाएं हैं, अतः जब तक सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श द्वारा इस स्कीम के कार्य-क्षेत्र तथा साइज के सम्बन्ध में समझौता नहीं हो जाता तब तक इसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता।

(ग) परियोजना से प्रतिवर्ष 578 जी०डब्ल्यू०एच० (मिलियम यूनिट) ऊर्जा उत्पादन होने का अनुमान है। संभावित व्यय के विवरणों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथा कोई व्यय नहीं किया गया।

केरल में विदेशी स्वामित्व के बागानों का राष्ट्रीयकरण

504. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार केरल सरकार को विदेशी स्वामित्व वाले बागानों का राष्ट्रीयकरण करने का अध्यादेश जो गत 5 वर्ष से सरकार के विचाराधीन है, जारी करने की अनुमति देने का है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : जी नहीं, श्रीमान। राज्य सरकार को जून, 1976 में तद्नुसार सूचित कर दिया गया था और ऐसा कोई अध्यादेश अब भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

स्वतन्त्रता सैनानियों को पेन्शन

505. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 1946 के पन्नापरा—व्यालार आन्दोलन में भाग लेने वालों तथा हैदराबाद के भूतपूर्व निजाम के विरुद्ध तेलंगाना सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने वालों को स्वतन्त्रता सेनानी पेन्शन देने के प्रश्न पर निर्णय करने का है,

(ख) यदि हां, तो इसे अन्तिम रूप कब दिया जायेगा, और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इन आन्दोलनों में भाग लेने वाले बहुत से लोग बहुत बूढ़े हो गये हैं और बीमार हैं तथा उनमें से कुछ मर चुके हैं?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) मामला अभी तक विचाराधीन है।

छोटे कागज कारखाने

506. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कृषिजन्य अवशिष्ट और अपशिष्ट पदार्थों पर आधारित छोटे कागज कारखानों की स्थापना को बढ़ावा देने का विचार है,

(ख) क्या आस्थगित रुपये के भुगतान पर मशीनरी के आयात और छोटे कागज कारखानों द्वारा कागज के निर्यात की अनुमति दी जायेगी, और

(ग) श्रीकाकुलम जिले में जूट के डंठलों पर आधारित मीनी 10 टन संयंत्रों के लिये देय आशय पत्रों की क्या स्थिति है?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां। कृषि जन्य अवशिष्ट और अपशिष्ट पदार्थों पर आधारित छोटे कागज कारखानों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने ऐसी योजनाओं को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस देने वाले उपबन्धों से छूट दे दी है।

(ख) चूंकि देश में कागज मशीनों का निर्माण करने की पर्याप्त क्षमता मौजूद है, अतः इस प्रकार के उपकरणों का अस्थगित भुगतान के आधार पर आयात करने और कागज के निर्यात के बाद के लिये अनुमति नहीं दी जाती।

(ग) श्रीकाकुलम जिले में 3,000 मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता में कागज (जूट के डंठलों से) का निर्माण करने के लिए एक नए उपक्रम की स्थापना के लिये एक आशय पत्र 7-3-1975 को जारी किया गया था बाद में उद्यमी को इस बारे में सूचित कर दिया गया था कि बिना विदेशी सहयोग की आवश्यकता के देशी पूंजीगत वस्तुओं/कच्चे माल पर आधारित कृषिजन्य अवशिष्ट और अपशिष्ट पदार्थों से कागज निर्माण को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस देने के उपबन्धों से छूट दे दी गई है। परियोजना के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति क्या है इसका ठीक पता नहीं है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण

507. **श्री चित्त बसु :**

श्री आर० कोलनथाइवेलु :

श्री पी० जी० मावलंकर :

श्री दुर्गा चन्द :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पांचवीं पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावित संशोधनों के पीछे क्या सिद्धांत हैं,

(ग) वर्तमान योजना की अवधारणा में क्या-क्या प्रमुख परिवर्तन करने का विचार है, और

(घ) संशोधित योजना को कब तक संसद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) योजना आयोग को हाल ही में पुनर्गठित किया गया है, वह नई सरकार की नीतियों के अनुसार वर्तमान योजना में संशोधन करने और नई योजनाओं को तैयार करने से सम्बन्धित प्रश्नों पर ध्यान दे रहा है। निस्सन्देह इन विषयों को संसद् के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

आपातकाल के दौरान राजनैतिक आधार पर मान्यता खोने वाले पत्रकार

508. **श्री चित्त बसु :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपातकाल के दौरान बहुत से पत्रकारों की राजनैतिक आधार पर मान्यता वापस ले ली थी,

(ख) यदि हां, तो उन पत्रकारों के नाम क्या हैं, और

(ग) उन्हें राहत देने के लिए क्या उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) आपात स्थिति के दौरान सरकार ने कुल 51 पत्रकारों की मान्यता वापस ली थी। इनका ब्यौरा दर्शाने वाली सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। श्री के० के० दास, आई०सी०एस० (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में गठित जन सम्पर्क के माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी जांच समिति, अन्य बातों के साथ साथ, इस बात की भी जांच कर रही है कि उनकी मान्यता किन परिस्थितियों में वापस ली गई थी। इन पत्रकारों में से, 26 पत्रकारों को इस बीच फिर से मान्यता मिल चुकी है। उनका ब्यौरा दर्शाने वाली सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 343/77]

राजनैतिक बंदियों का रिहा किया जाना

509. श्री चित्त बसु :

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोक सभा में 5 अप्रैल, 1977 को अपने वक्तव्य के बाद से राज्य-वार और संगठन-वार कितने राजनैतिक बन्दियों को रिहा किया गया; और

(ख) राज्य-वार और संगठन-वार कितने राजनैतिक बन्दी अभी जेल में हैं?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) 5 अप्रैल को लोक सभा में गृह मंत्री के वक्तव्य का सम्बन्ध आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्दों तथा नक्सलवादियों से था। केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसरण में 25 मार्च, 1977 को मीसा के अधीन नजरबन्दों की संख्या 6851 से घटकर 4 जून, 1977 को 1796 रह गई है। नक्सलवादी नजरबन्दों की संख्या भी 25 मार्च 1977 को 645 से घटकर 4 जून, 1977 को 66 रह गई है। 4 जून, 1977 को नजरबन्दों की राज्यवार तथा श्रेणीवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में बन्दी बनाये गये व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या दर्शाने वाला वक्तव्य जैसी कि उनकी संख्या 4-6-1977 को थी

राज्य का नाम/ संघ राज्य	बन्दी बनाये गये नक्सलवादी	बन्दी बनाये गये जासूस	बन्दी बनाये गये राजनीतिक दलों के लोग	बन्दी बनाये गये वे व्यक्ति जिन्होंने उत्तर पूर्व क्षेत्र में विद्रोह किया	अन्य बन्दियों की संख्या	कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
गुजरात .	—	—	—	—	20	20
जम्मू तथा काश्मीर	—	139		—	—	145
केरल . .	4	—	—	—	—	4

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र .	—	—	—	—	6	6
मणिपुर	—	—	—	2	—	2
मेघालय .	—	—	—	—	1	1
पंजाब .	—	—	—	—	224	224
तमिलनाडु .	5	—	—	—	—	5
त्रिपुरा .	—	—	—	—	1	1
पश्चिम बंगाल .	57	—	34	—	1242	1333
दिल्ली	—	10	—	—	5	15
मिजोरम .	—	—	—	40	—	40
कुल .	66	149	40	42	1499	1796

सी०पी०आई० (एम०)	20	*पीपल्स पोलिटीकल लीग	5
कांग्रेस	11अ	नेशनल लिब्रेशन फ्रंट	1
सी०पी०आई०	3	कुल	6
कुल . . .	34		

अ अन्य राज्यों/संघ राज्यों के सम्बन्ध में जानकारी शून्य है।

आपात काल के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच

510. **श्री चित्त बसु :**

श्री सुशील कुमार धारा :

श्री कल्याण जैन :

क्या गृह मंत्री आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच के सरकार के प्रस्ताव के बारे में लोक सभा में दिनांक 7 अप्रैल, 1977 को दिये गये वक्तव्य के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांच आयोग के निर्देश-पद क्या हैं; और

(ख) जांच किस प्रकार से होगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) अधिसूचना का० आ० 374(अ) दिनांक 28 मई, 1977 की एक प्रतिलिपि जिसमें आयोग के निर्देश-पद हैं, सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) आयोग जांच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन जैसा उचित समझे, उसी प्रकार से जांच करने के लिए स्वतंत्र है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 344/77]

आपात स्थिति के दौरान भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के गिरफ्तार किये गये और मारे गये कार्यकर्त्ता

511. **श्री विजय कुमार मंडल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के 11,000 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और 40 व्यक्ति मारे गये थे जैसाकि उक्त दल के प्रवक्ता श्री ज्योति बसू ने 23 मई, 1977 या उसके आसपास कहा था;

(ख) क्या जिन व्यक्तियों को मारा गया बताया गया है उनकी जानें, यातनाएं, अमानवीय बर्ताव, कातिलाना हमले किये जाने अथवा बीमारी के कारण हुई; और

(ग) क्या उपलब्ध तथ्य सभा-पटल पर रखे जायेंगे ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की सरकारों को छोड़कर जिनकी रिपोर्टें प्रत्याशित हैं, अन्य राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने न तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी और न हिरासत के समय मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के किसी कार्यकर्त्ता की मृत्यु की सूचना दी है, जैसा कि दल के एक वक्ता द्वारा तथाकथित आरोप लगाया गया है। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से पूर्ण सूचना प्राप्त होने के बाद उसे यथा-समय सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली में चोरी और लूटमार की घटनायें

512. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान हिंसात्मक चोरी और लूटमार की कितनी शिकायतें दिल्ली पुलिस को दर्ज कराई गई;

(ख) क्या अपराधियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने कोई दल बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) इस वर्ष मार्च, अप्रैल और मई में दिल्ली पुलिस में हिंसात्मक चोरी के 8 मामले और हिसात्मक लूटमार के 11 मामले दर्ज किये गये।

(ख) दिल्ली पुलिस के प्रत्येक जिले में विशेष कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से अनुदेश दिये गये हैं। जटिल मामलों की जांच-पड़ताल भी दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के चोरी-विरोधी दस्ते द्वारा की जाती है।

(ग) हिंसात्मक चोरियों के सम्बन्ध में 15 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे जबकि हिंसात्मक लूटमार के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या 11 थी। हिंसात्मक चोरियों के सम्बन्ध में अप्रैल, 1977 में गिरफ्तार किये गये आठ व्यक्ति दक्षिण जिले में हिंसात्मक लूटमार के मामलों में भी अन्तर्ग्रस्त थे।

ग्रण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

513. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना के भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए ग्रण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह का 'गैम्बैल बौग' एक ग्रादर्श स्थान है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ग्रौर (ख) स्थापित की गई ग्रौर प्रस्तावित सुविधाग्रों के साथ यह क्षेत्र भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए एक उपयुक्त स्थान होगा । इस क्षेत्र में पहले ही एक भूतपूर्व सैनिक बस्ती है ग्रौर यहां 231 भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को बसाया जा चुका है । इस द्वीप में ग्रौर परिवारों को चरणवार बसाए जाने का इरादा है ।

ग्रमरीका द्वारा भाभा परमाणु ग्रनुसंधान केन्द्र ग्रौर तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए परमाणु ईंधन की सप्लाई

514. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** :

श्री दिनेश जोरदर :

श्री उग्रसेन :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु ग्रनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे ग्रौर तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिये ग्रमरीका से परमाणु ईंधन ग्रभी तक प्राप्त नहीं हुग्रा है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ग्रमरीका द्वारा दिया गया परमाणु ईंधन भाभा परमाणु ग्रनुसंधान केन्द्र में काम में नहीं लाया जाता है । ग्रमरीका से तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिये समृद्ध यूरेनियम का निर्यात करने की ग्रनुमति ग्रब तक नहीं दी गई है ।

(ख) सरकार ने इस प्रकार के विलंब के परिणामस्वरूप हमारे देश के पश्चिमी क्षेत्र में बिजली की सप्लाई पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से ग्रमरीकी ग्रधिकारियों को ग्रवगत करा दिया है ग्रौर उन्हें जोरदार शब्दों में यह भी बता दिया है कि इस प्रकार की देरी तारापुर परमाणु बिजलीघर के ईंधन की सप्लाई के बारे में दोनों सरकारों के मध्य हुए करार की शर्तों के ग्रनुरुप नहीं है । हमारी सरकार इस मामले में ग्रमरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रही है ।

योजना ग्रायोग द्वारा पहले तैयार की गई योजनाग्रों के स्थान पर नई योजनाएं बनाया जाना

515. **श्री मिहार लास्कर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बदल जाने के कारण योजना ग्रायोग का पहले तैयार की गई योजनाग्रों से संबंधित काम ठप्प पड़ा है;

(ख) क्या योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पहली सभी योजनाओं को रद्द कर दिया गया है और नई योजनाएं बनाई जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो नई योजनाएं कब तक तैयार हो जायेंगी;

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या योजनाएं तैयार करते समय राज्य सरकारों से परामर्श किया जायेगा?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ङ) योजना आयोग को हाल ही में पुनर्गठित किया गया है, वह आर्थिक विकास और योजना के अपने कार्य में बराबर लगा हुआ है। आयोग अपने कार्यों के दौरान नई सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकारों के साथ अच्छी तरह से परामर्श करके वर्तमान योजना में संशोधन करने तथा नई योजनाओं को तैयार करने से संबंधित प्रश्नों की ओर विशेष ध्यान देगा।

आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा विरोधी पक्ष के नेताओं को अपने विचार प्रकट करने के लिए आमन्त्रित किया जाना

516. **श्री निहार लास्कर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब आकाशवाणी से नई सरकार का गुणगान अधिक होने लगा है और विरोधी पक्ष के विचारों को उचित ढग से प्रसारित नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार पिछली सरकार पर दूरदर्शन और आकाशवाणी का दुरुपयोग करने का आरोप सदा लगाती रही है; और

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा अब तक विरोधी पक्ष के कितने नेताओं को कितने अवसरों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 24 मार्च, 1977 से 15 मई, 1977 तक की अवधि के दौरान विरोधी दलों के 130 सदस्यों ने 125 अवसरों पर आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारण किया। 23 मार्च, 1977 से 5 जून, 1977 तक की अवधि के दौरान विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा विपक्ष के 20 नेताओं को विभिन्न कार्यक्रमों में अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके अलावा, मान्यताप्राप्त विभिन्न राजनीतिक दलों को विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के हाल के चुनाव के संबंध में आकाशवाणी और दूरदर्शन से चुनाव प्रसारण करने की सुविधाएं प्रदान की गईं।

भारत-बंगलादेश सीमा पर मुठभेड़

517. **श्री निहार लास्कर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगलादेश सीमा पर मुठभेड़ों तथा सीमावर्ती घटनाओं की संख्या फिर तेजी से बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में इस सीमा पर कितनी मुठभेड़ें हुईं;

(ग) भारतीय सुरक्षा बलों को कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले पर बंगलादेश के साथ बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान् पिछले तीन महीनों में भारत-बंगला देश सीमा पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच कोई सीमावर्ती घटनायें अथवा मुठभेड़ें नहीं हुई हैं।

(ग), (घ) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा मंत्रालय की हवाई पट्टियों पर श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा विमान का उतारा जाना

518. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आपात स्थिति के दौरान रक्षा हवाई पट्टियों पर विमान उतारने के लिए कांग्रेस सरकार ने श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को अनुमति दी थी, जो आम जनता के उपयोग के लिए निषिद्ध है और जिनका उपयोग केवल सैन्य प्रयोजनों के लिए ही किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उन प्राधिकारियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने उन्हें अनुमति दी थी;

(ग) उन्हें किन परिस्थितियों में अनुमति दी गई थी; और

(घ) क्या सरकार का विचार उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है, जिसने अनुमति प्रदान की थी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को किसी रक्षा हवाई पट्टी पर विमान उतारने की अनुमति नहीं दी गई थी, जो आम जनता के उपयोग के लिए निषिद्ध है और जिनका उपयोग केवल सैनिक प्रयोजनों के लिए ही किया जा सकता है। उसे चन्डीगढ़, जम्मू और कश्मीर विमान क्षेत्रों में विमान उतारने की अनुमति दी गई थी जहां इण्डियन एयर लाइन्स को अपनी नियमित उड़ान करने की अनुमति दी जाती है। उन्हें कुम्भ मेले के दौरान वामरोली (इलाहाबाद) में भारतीय वायु सेना हवाई क्षेत्र में विमान उतारने की अनुमति भी दी गई थी, जहां इण्डियन एयर लाइन्स को भी अपनी गैर-अनुसूचित उड़ाने चलाने की आज्ञा दी गई थी। अन्य असैनिक प्रचालकों को भी उपर्युक्त चार भारतीय वायु सेना के विमान क्षेत्रों में विमान उतारने के लिए अवतरण अनुमति दी गई है। भारतीय वायु सेना के उपर्युक्त विमान क्षेत्रों में विमान अवतरण की अनुमति वायु सेना मुख्यालयों द्वारा दी गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कराची में टैंक बनाने का कारखाना

519. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 22 मई, 1977 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय का समाचार सरकार ने देखा है, जिसमें यह कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता और तकनीकी जानकारी से पाकिस्तान ने कराची के निकट टैंक बनाने का कारखाना स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं। तथापि, हमारे पास इस तरह की कोई दूसरी सूचना नहीं है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की सहायता एवं जानकारी से कराची के समीप टैंक निर्माण करने के लिए कोई फैक्टरी स्थापित कर ली है।

मै० मारुति लि० द्वारा बस बाडियों का निर्माण

520. **श्री मुख्तयार सिंह मलिक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली ने बस बाडियों के निर्माण के लिये मै० मारुति लि० को एक क्रयादेश दिया था;

(ख) क्या मारुति को क्रयादेश देने से पूर्व अन्य पार्टियों से भी टेंडर मांगे गये थे;

(ग) क्या मारुति का टेंडर सबसे अधिक राशि का था;

(घ) मारुति लि० के टेंडर को मंजूर करने के क्या कारण थे; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के लिये कितनी बस बाडियों का निर्माण कराया गया और मारुति लि० को अब तक कितनी धन राशि दी गई ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :(क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस फर्म और अन्य फर्म जिन्होंने दिल्ली परिवहन निगम द्वारा जारी किये गये टेन्डर नोटिस के जवाब में टेंडर दिए और दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड ने निगम के विशिष्टियों के अनुसार अपेक्षित समय के भीतर बस बाडी निर्माण करने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिये विभिन्न संबंधित फर्मों का दौरा किया बोर्ड के कुछ सदस्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर विचार करने के बाद मैसर्स मारुति लि० को आर्डर देने का निर्णय किया गया।

(ङ) 551 अभी तक फर्म को 24,97,089 रुपये की राशि दी गई।

मारुति कम्पनियों का बन्द होना

521 **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :

श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड और उससे सम्बद्ध अन्य कम्पनियां बन्द होने वाली हैं;

(ख) उनके बन्द हो जाने से कितने लोग प्रभावित होंगे; और

(ग) क्या सरकार का इन सभी मारुति कम्पनियों का प्रबंध अपने हाथ में लेने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 500 ।

(ग) मारुति कारखाने का प्रबंध अधिकार में लेने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री संजय गांधी पर कथित आक्रमण के बारे में जांच

522. **श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या गृह मंत्री 6 अप्रैल, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 150 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री संजय गांधी पर 14 मार्च, 1977 को कथित आक्रमण के संबंध में जांच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

बिना मुकदमा चलाये जेलों में नजरबन्द किये गये व्यक्ति

523. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की विभिन्न जेलों में अब भी बहुत से व्यक्ति बिना मुकदमे के नजर बन्द हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने;

(ग) ऐसे व्यक्तियों का राज्य-वार कुल आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन व्यक्तियों को किस आधार पर या किन कानूनों के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा भेजी सूचना के अनुसार 4 जून, 1977 को आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्ति 1796 थे ।

(ग) और (घ) नजरबन्दी के विस्तृत आधार तथा राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है ।

आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये व्यक्तियों को दर्शाने वाला विवरण जिसमें वे प्रमुख कारण भी बताये गये हैं जिनके आधार पर उन्हें बन्दी बनाया गया--जैसा कि उनकी संख्या 4-6-1977 को थी ।

राज्य का नाम/संघ राज्य का नाम	भारत सुरक्षा या भारत के विदेशी ताकतों के साथ या भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये व्यक्तियों की संख्या	जनशान्ति बनाये रखने या राज्यों की सुरक्षा बनाये रखने की दृष्टि से बन्दी बनाये गये व्यक्तियों की संख्या	समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई तथा सेवा बनाये रखने की दृष्टि से बन्दी बनाये गये व्यक्तियों की संख्या	किसी विदेशी के निरन्तर भारत में रहने को विनियमित करने या भारत से उसे निकालने सम्बन्धी व्यवस्था करने की दृष्टि से बन्दी बनाये गये व्यक्तियों की संख्या	कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
गुजरात .				20	20.
जम्मू तथा कश्मीर		52		93	145
केरल		4		..	4
महाराष्ट्र		3		3	6
मणि पुर		2		..	2
मेघालय				1	1
पंजाब				224	224
तमिलनाडु .		5			5
त्रिपुरा				1	1
पश्चिम बंगाल		1042	291		1333
दिल्ली	13	2			15
मिजोरम		40		..	40
कुल . . .	13	1150	291	342	1796

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बद्ध जानकारी शून्य है ।

श्री बंसी लाल द्वारा की गई ज्यादतियों की जांच

525. **डा० बापू कालदते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री बंसी लाल द्वारा की गई ज्यादतियों की जांच के आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो जांच के निर्देश-पद क्या हैं; और

(ग) जांच प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध होने की आशा है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) जांच आयुक्त नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 345/77]

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ना

526. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :

श्री के० लकप्पा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कानून और व्यवस्था तथा अपराध स्थिति आगे से बिगड़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या उपाय किये हैं; और

(ग) दिल्ली में मई, 1977 मास में हत्या तथा हत्या के प्रयास की कितनी घटनाएं हुई ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली में अपराध के आंकड़ों से प्रतीत होता है कि अपराधों में वृद्धि हुई है । स्थिति सुधारने के लिए अनेक उपाय किये गये । इनमें अन्य बातों के साथ शहर में गश्त बढ़ाना, महत्वपूर्ण स्थलों पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात करना, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन निरोधात्मक कार्यवाही सादे कपड़ों में गुप्तचरों को तैनात करना और जनता का समर्थन प्राप्त करना शामिल हैं । इसके परिणामस्वरूप अप्रैल, 1977 की तुलना में मई, 1977 के दौरान दिल्ली में लूट, चोरी और धोखादड़ी के मामलों की संख्या में पर्याप्त कमी हुई ।

(ग) तत्सम्बन्धी अवधि में दिल्ली में हत्या के 15 मामले और हत्या करने के प्रयत्न के 21 मामले सूचित किये गये ।

नक्सलपंथियों को रिहा करना

527. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :

श्री प्रद्युमन बाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने नक्सलवादियों को रिहा किया गया; और

(ख) 30 मई, 1977 को प्रत्येक राज्य में कितने नक्सलवादी अभी भी जेल में थे ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

Arrangements made by States during tours performed by Shri Sanjay Gandhi

528. **Shri Dhanna Singh Gulshan :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the State Governments used to make arrangements for security and for providing facilities to Shri Sanjay Gandhi during the tours performed by him as a Youth Congress leader during 1976-77; and

(b) If so, the expenditure incurred on the police and the security arrangements and on how many occasions each of the States was toured by him.

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Information in regard to the State of Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Haryana, Jammu & Kashmir, Kerala, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu and Tripura is enclosed in Annexure I. The information regarding rest of the States is being collected and will placed on the Table of the Sabha on receipt.

STATEMENT

The States of Gujarat, Kerala, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Sikkim and Tripura were not visited by Shri Sanjay Gandhi during 1976-77 as a Youth Congress Leader. Information regarding the following States visited by him is as follows :—

Sl. No.	Name of State	No. of visits of Shri Sanjay Gandhi during 1976-77	Expenditure on police security	Remarks
			Rs.	
1.	Andhra Pradesh	2	88,820.55	Shri Sanjay Gandhi accompanied the ex-Union Minister for Parliamentary Affairs & Civil Aviation and the Chief Minister, Andhra Pradesh. No separate figures for the security of Shri Gandhi are therefore available.
2.	Haryana	4	1,03,380.51	
3.	Himachal Pradesh	1	23,594.30	
4.	Jammu & Kashmir	1	Nil	No expenditure was incurred because Shri Sanjay Gandhi visited the State on 1-1-77 in private capacity only.
5.	Punjab	4	6,01,245.00	
6.	Tamil Nadu	1	Nil	No expenditure was incurred separately for the security of Shri Sanjay Gandhi because he accompanied Shri Om Mehta, ex-Union Minister.

केरल में पंडियार पुन्नापुजा जल विद्युत परियोजना

529. **श्री पी० के० कोधियान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंडियार पुन्नापुजा जल विद्युत परियोजना, केरल का परियोजना प्रतिवेदन केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने तकनीकी स्वीकृति के लिये बहुत समय पहिले केन्द्रीय जल तथा विद्युत ग्रायोग के पास भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर कोई निर्णय लिया गया है; ग्रौर

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय लिये जाने की ग्राशा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) फरवरी, 1973 में मूलतया प्रस्तुत की गई स्कीम रिपोर्ट में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल ग्रायोग ग्रौर वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखकर संशोधन करने के उपरांत यह रिपोर्ट जनवरी, 1976 में पुनः प्रस्तुत की गई थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ग्रौर केन्द्रीय जल ग्रायोग की टिप्पणियों के ग्राधार पर केरल राज्य बिजली बोर्ड ने स्कीम के लागत ग्रनुमानों का पुनः निर्धारण किया था ग्रौर ये ग्रनुमान फरवरी, 1977 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) क्योंकि इस परियोजना में तमिलनाडु पंडियार पुन्नपुजा परियोजना के टेल रेस से निकले जल का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रतः ग्रपवाह की तमिल नाडु पंडियार पुन्नापुजा परियोजना की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् ही निर्णय को ग्रन्तिम रूप दिया जा सकता है।

ग्रापातकाल के दौरान कथित मुठभेड़ों में मारे गये नक्सलवादी

530. **श्री ग्रार० के० ग्रमीन** :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रापातकाल के दौरान कथित मुठभेड़ों में कितने नक्सलवादी मारे गये;

(ख) क्या ग्रान्ध्र प्रदेश में पुलिस के साथ हुई कथित मुठभेड़ में मारे गये नक्सलवादियों के मामले की जांच करने के लिये श्री वी० एम० तारकुंडे कि ग्रध्यक्षता में बनाई गई जांच समिति के ग्रन्तरिम प्रतिवेदन की ग्रोर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) 31. इसमें ग्रान्ध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ग्रौर पश्चिम बंगाल राज्यों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं हैं इन राज्यों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही हैं ग्रौर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी हां।

(ग) इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में एक वक्तव्य ग्राज दिया जा रहा है।

Theft of Idols by Government Officers in Rajasthan

531. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of complaints received by him during the period from 1st May, 1977 to 30th May, 1977 about the theft of idols, etc. committed by many Government officers in Rajasthan and the action taken thereon ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : No such complaint has been received.

सेना अधिकारियों को अध्ययन छुट्टी

532. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के अधिकारी तथा अन्य प्रवर कर्मचारी देश में अथवा विदेश में अपनी अर्हताएं बढ़ाने व उनमें सुधार करने के लिए अध्ययन-छुट्टी का उपयोग नहीं कर सकते;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1976 में कितने अधिकारियों ने उक्त सुविधा का लाभ उठाया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) अध्ययन छुट्टियां आर्मी डेंटल कोर, आर्मी मैडिकल कोर के केवल स्थायी कमीशन प्राप्त अफसरों और रिमाउन्ट तथा वेटेरनेरी कोर के वेटेरनेरी अफसरों और सैनिक फार्मों के अधिकारियों को ग्राह्य हैं ।

सेना की अन्य कोरों के अफसर अथवा जूनियर कमीशन अफसर/एन सी ओज अथवा किसी कोर के अन्य रैंक अध्ययन छुट्टियों के पात्र नहीं हैं ।

अध्ययन छुट्टी, जहां ग्राह्य हैं, सारे सेवा काल में 24 मास से अधिक अवधि के लिए मंजूर नहीं की जाती हैं, तथापि, अध्ययन छुट्टियों की छः मास से कम अवधि के लिए अनुमति नहीं है । अध्ययन छुट्टी के दौरान मूल रैंक का पूरा वेतन दिया जाता है ।

1976 में आर्मी मैडिकल कोर के 33 अफसरों, रिमाउन्ट और वेटेरनेरी कोरों के 2 अफसरों और सैनिक फार्म के एक अफसर ने अध्ययन छुट्टी का लाभ उठाया; उनमें से आर्मी मैडिकल कोर के 4 अफसरों को ब्रिटेन में अध्ययन करने के लिए अध्ययन छुट्टियां दी गई ।

Advertisements by Government Departments and Public Undertakings During Parliamentary Elections

533. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the former Government had given advertisements to certain newspapers and magazines during the recent Parliamentary elections; and

(b) if so, the names of Government departments and public undertakings which gave the advertisements as also the names of newspapers and magazines thus given advertisements and at what rates ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) Yes, Sir. The Directorate of Advertising and Visual Publicity used 2,014 newspapers/periodicals for its various advertising campaigns including classified advertisements during the period commencing from 18th January, 1977 to 20th March, 1977.

(b) Directorate of Advertising and Visual Publicity is the centralised agency for issuing advertisements on behalf of various Ministries and Government Departments excepting Railways. Some autonomous bodies and Public Undertakings also route their advertisements through the Directorate of Advertising and Visual Publicity.

Names of Ministries, Government Departments, autonomous bodies and Public Undertakings on whose behalf advertisements were released by Directorate of Advertising and Visual Publicity are given in the Annexure I. Names of the newspapers/magazines thus given advertisements are given in the annexure II. They were given advertisements at the rates then in force.

[Placed in Library See No. L.T. 346/77]

दिल्ली के स्कूलों में श्री संजय गांधी के जन्म-दिवस का मनाया जाना

534. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली प्रशासन के अधीन सभी सरकारी स्कूलों को दिसम्बर, 1976 के दौरान श्री संजय गांधी का जन्म-दिवस मनाने हेतु समारोह आयोजित करने के आदेश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार से कोई स्वीकृति ली गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो उन सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने ऐसे आदेश जारी किये थे ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

सरकारी कर्मचारियों की बहाली

535. **श्री जी०एम० बनतवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकाल के दौरान भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय से कितने कितने कर्मचारियों को सेवा से निकाला गया ; और

(ख) क्या ऐसे सभी कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

आपातकाल की अवधि के दौरान केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के उपबन्धों के अधीन जिन सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा सकती थीं उनकी संख्या के बारे में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पास कोई सूचना नहीं है । किन्तु आन्तरिक आपातकाल की अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 311(2) के परन्तुक (ग) के उपबन्धों को लागू करके 71

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को या तो बरखास्त कर दिया गया था अथवा उन्हें सेवा से निकाल दिया गया था । मंत्रालय-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(1)	संचार मंत्रालय	21
(2)	वित्त मंत्रालय	18
(3)	रेल मंत्रालय	12
(4)	गृह मंत्रालय	6
(5)	रक्षा मंत्रालय	4
(6)	पूर्ति विभाग	2
(7)	विदेश मंत्रालय	2
(8)	विधि मंत्रालय	1
(9)	वाणिज्य मंत्रालय	1
(10)	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	1
(11)	राज भाषा विभाग	1
(12)	निर्माण तथा आवास मंत्रालय	1
(13)	कृषि विभाग	1
	जोड़	71

उपर्युक्त कर्मचारियों के मामलों की पुनरीक्षा की गई है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों को ऐसे कर्मचारियों को पुर्नानयुक्त करने की सलाह दी गई है, जिन्हें प्रतिबंधित संगठनों के कार्यकलापों में कथित भाग लेने के कारण सेवा से निकाल दिया गया था । ये अनुदेश उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते जिन्हें जासूसी करने और इसी प्रकार के आपत्तिजनक तथा अवैध कार्यकलापों में भाग लेने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया था ।

हरियाणा सरकार को हानि

536. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अप्रैल, 1977 के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें बताया गया है कि श्री बंसी लाल की अध्यक्षता वाले मंत्रालय के अन्तर्गत हरियाणा सरकार को 32 करोड़ रुपये की हानि हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस हानि के कारणों की जांच करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) ब्लिट्ज वीकली के 23 अप्रैल, 1977 के अंक में प्रकाशित वह रिपोर्ट सरकार की जानकारी में आयी है, जिसमें हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की खरीद संबन्धी लेनदेन के कुछ मामलों का उल्लेख है।

(ख) हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के खरीद संबंधी लेनदेन की विशेष लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट से उत्पन्न मामलों की, जिनमें प्रत्यक्षत: आगे जांच किए जाने का औचित्य प्रतीत हुआ था, श्री बंसी लाल के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए नियुक्त जांच आयोग को, अन्य मामलों के साथ जांच के लिए भेज दिया गया है।

जेल नियम पुस्तिकाओं का पुनरीक्षण

537. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री प्रद्युमन बाल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में जेलों में बन्दियों के साथ बुरा व्यवहार करने के बारे में सरकार को बहुत सी रिपोर्टें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जेल नियम पुस्तिकाओं के अद्यतन बनाने तथा उन्हें जेलों में मानवीय व्यवहार की आधुनिक विचारधारा के अनुरूप बनाने के लिए उनका पुनरीक्षण करने का सरकार का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जेलों में बन्दियों के साथ बुरा व्यवहार करने के आरोप सरकार के ध्यान में आये हैं । आपात स्थिति के दौरान किये गये ऐसे बुरे व्यवहार के मामले शाह आयोग के कार्य क्षेत्र में आयेंगे।

(ख) भारत सरकार ने एक आदर्श जेल नियम पुस्तिका तैयार की है तथा 1964 में इसे अपनाने के लिए राज्यों से सिफारिश की थी। इस नियम पुस्तिका में मानवीय व्यवहार के पहलू पर भी ध्यान दिया गया है। राज्यों से अपनी नियम पुस्तिकाओं को तदनुसार संशोधित करने के लिए कहा जा रहा है।

अणु शक्ति संयंत्रों द्वारा प्रदूषण

538. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अणु शक्ति संयंत्रों से प्रभावित प्रदूषण की आशंका पर पाश्चात्य देशों में हाल ही में हुई विचार-गोष्ठी को ध्यान में रखते हुए सरकार उनकी उपयोगिता के बारे में पुनः विचार करेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): जी नहीं । किसी भी संभावित प्रदूषण से वातावरण को बचाये रखने के लिये भरसक सावधानी बरती जाती है।

परादीप बन्दरगाह

539. **श्री शरत कुमार कार** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप बन्दरगाह के लिये कोई बृहत योजना है,

(ख) यदि हां, तो स्टेडियम के लिये अनुपयुक्त स्थान पर गोपबन्धु स्टेडियम का निर्माण करने के लिये बृहत योजना से अलग हटने की आवश्यकता क्या थी,

(ग) क्या इस स्टेडियम के निर्माण के लिये निविदा संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थी, और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) पत्तन न्यास ने मास्टर प्लान में खेल के मैदान के लिये निर्धारित स्थान की अपेक्षा पुस्तकालय तथा नाटकपंडाल जैसी अन्य मनोरंजनकारी सुविधाओं एवं अपेक्षित मिट्टी की कम भराई को देखते हुए वर्तमान स्थान में ही गोपबन्धु स्टेडियम स्थापित करने का निश्चय किया।

(ग) और (घ): पत्तन न्यास ने पुष्टि की है कि स्टेडियम के निर्माण के लिये टेंडर संबन्धी औपचारिकताओं का पालन किया गया था। इसलिए सरकार द्वारा कारवाई करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति के निदेशकों के विरुद्ध शिकायतें

540. **श्री शिव सम्पत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के निदेशक मंडल के अध्यक्ष को विभिन्न स्रोतों से समिति के चुने हुए निदेशकों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) आम सभा की आशाओं के विपरीत वर्तमान निदेशक मंडल को जारी रखने का क्या औचित्य है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान, चुने हुए निदेशकों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) इन पर प्रशासन मंडल द्वारा विचार किया गया था और जहां उचित समझा गया वहां उचित कार्यवाई की गई थी।

(ग) समिति के उप-नियमों के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल का पहले ही पुनर्गठन किया जा रहा है। इस प्रकार आम सभा की इच्छाओं के विपरीत इसके जारी रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

541. **श्री शिव सम्पत** : क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में टेलीविजन सेट बनाने वाले कारखानों के नाम तथा संख्या क्या हैं;

(ख) विभिन्न प्रकार के टेलीविजन सेटों की किस्में और ब्रांड-नाम क्या-क्या हैं तथा प्रत्येक की कीमत क्या है;

(ग) क्या इन टेलीविजन सेटों की किस्मों और मूल्यों पर सरकार का कोई नियंत्रण है; और

(घ) गत एक वर्ष में ई० सी० टेलीविजन सेटों के मूल्य में कितनी कमी की गई है और इलेक्ट्रानिकी निगम द्वारा आम आदमी के उपयोग हेतु 'जनता माडल' टेलीविजन बनाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) देश में दूरदर्शन सेटों के लाइसेंस प्राप्त/अनुमोदन प्राप्त निर्माताओं की कुल संख्या 63 है, जिनकी सूची अनुबंध 1 में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 347/77])

(ख) बाजार में 51 सेंटीमीटर साइज के ऐसे दूरदर्शन सेट उपलब्ध हैं जिनमें संकर अथवा ठोस अवस्था वाले परिपथ लगे होते हैं। ठोस अवस्था वाले परिपथों से युक्त 31/36 सेंटीमीटर के साइज के दूरदर्शन सेट भी बाजार में मिल रहे हैं। बाजार में लगभग 34 ब्रांड नामों वाले सेट मिलते हैं, किन्तु उनके माडलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। इन ब्रांड नामों की सूची अनुबंध 1 में दी जा रही है तथापि यह सूची पूरी नहीं है। 51 सेंटीमीटर साइज के दूरदर्शन सेटों का कोई माडल ग्राहक को किस मूल्य पर उपलब्ध है यह इस बात पर निर्भर है कि उस माडल में कितनी बढ़िया क्वालिटी का सामान लगाकर उसे कितना आकर्षक बनाया गया है। इसी आधार पर इनका मूल्य 1925 रु० से 3250 रु० के बीच रखा गया है।

(ग) दूरदर्शन सेटों के मूल्य को कम करने की दृष्टि से वर्ष 1976-77 के केन्द्रीय बजट में इन सेटों पर पृथक-पृथक उत्पादन शुल्क लगाया गया था जिसके अनुसार 1800 रु० अथवा इससे कम के कारखानागत मूल्य वाले सेटों पर केवल 5 प्रतिशत उत्पादन शुल्क अदा करना पड़ता था जबकि इस कीमत से ऊपर के सेटों पर 20 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगता था। इसके परिणामस्वरूप मार्च, 1976 से पहले जिस मूल्य पर ग्राहक को एक चैनल वाला सेट उपलब्ध होता था उसके मुकाबले में वर्ष 1976-77 में उसी सेट की कीमत 700 रु० घट गई। इसके अलावा वर्ष 1976 के मध्य में इलेक्ट्रानिकी विभाग ने तकनीकी और आर्थिक विशेषज्ञों के दो पैनल नियुक्त किये; इनमें एक पैनल दूरदर्शन सेट और दूसरा दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों से संबंधित था। इनका कार्य इन दोनों वस्तुओं पर आने वाली लागत और उनके मूल्य के ढांचे की समीक्षा करना था। इन दोनों पैनलों ने अपनी-अपनी रिपोर्टें पेश कर दी हैं और इस संबंध में सरकारी नीति निर्धारित करने की दृष्टि से इलेक्ट्रानिकी आयोग इन रिपोर्टों पर विचार कर रहा है। निर्माताओं को अपने दूरदर्शन सेटों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से, इलेक्ट्रानिकी विभाग विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परीक्षण एवं विकास केन्द्रों के गठन की प्रक्रिया को बढ़ावा तो दे ही रहा है; साथ ही यह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में एक परीक्षण एवं मूल्यांकन केन्द्र की स्थापना में भी सहयोग प्रदान कर रहा है। इन सेटों की गुणवत्ता पर सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।

(घ) वर्ष 1976-77 के दौरान ई० सी० ब्रांड के दूरदर्शन सेट के ग्राहक मूल्य में लगभग 200 रु० की कमी हुई है। इलेक्ट्रानिक्स कोरपोरेशन आफ इंडिया लि० ने संकर प्रौद्योगिकी पद्धति का सहारा लेकर 51 सेंटीमीटर के आकार का एक चैनल वाला एक ऐसा ही दूरदर्शन सेट तैयार किया है और निगम का विचार है कि इसे 1800 रु० के कारखाना गत मूल्य पर बाजार में ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाए।

बड़ौदा डाइनेमाइट मामले में प्रमुख सरकारी गवाह

542. **श्री प्रसन्नभाई मेहता**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्री शरद पटेल के बारे में की गई कार्यवाही में कितनी प्रगति हुई है जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो का एक मामला चल रहा था; और

(ख) क्या बड़ौदा डाइनेमाइट मामले में श्री शरद पटेल प्रमुख सरकारी गवाह था।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) 30-12-1975 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा श्री शरद पटेल तथा 3 अन्यों के विरुद्ध एक मामले में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, अलीपुर, कलकत्ता के समक्ष एक आरोप-पत्र दायर किया गया था। उक्त मामला न्यायालय में विचारण के लिए लम्बित है।

(ख) श्री शरद पटेल बड़ौदा डाइनेमाइट मामले में एक अभियोजन साक्षी थे।

पनबिजली परियोजनाओं की प्रगति

543. **श्री दुर्गाचन्द**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी पनबिजली परियोजनाएं कितनी और कौन-कौन सी हैं जिन पर इस समय काम हो रहा है;

(ख) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) प्रत्येक परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और चालू हो जायेगी; और

(घ) प्रत्येक परियोजना के पूरा हो जाने पर होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन): (क) से (घ) जिन जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है उनकी कुल संख्या 39 है। इन परियोजनाओं के नाम, इन में से प्रत्येक में अभी तक हुई कार्य प्रगति, उनके चालू होने की संभावित तारीख तथा उनके पूर्ण होने पर इन से प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 348/77]

फिल्मों को सैंसर किया जाना

544. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की वर्ष 1976 में कोई बैठक नहीं हुई थी;

(ख) क्या फिल्मों को दिल्ली में मंगाया गया था और उन्हें सेंसर किए जाने संबंधी निर्णय मंत्रालय स्तर पर लिये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो उस बारे में ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) 1976 के दौरान फिल्म सेंसर बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई।

(ख) और (ग) सेंसर के लिए प्रस्तुत की गई सभी फिल्मों की जांच, समितियों और कुछ मामलों में चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों और उनके अधीन बने नियमों के अनुसार गठित फिल्म सेंसर बोर्ड की पुनरीक्षण समितियों द्वारा उन्हें देखे जाने के बाद, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और उनके बारे में कार्रवाई की गई। तथापि, लिखित में या अन्यथा प्राप्त शिकायतों के आधार पर, कुछ फिल्मों को चलचित्र अधिनियम के उपबन्धों और उनके अधीन बने नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा मंगवाया गया और उन पर कार्यवाई की गई।

श्रौद्योगिक एककों की क्षमता

545. **श्री एस० आर० दामाणी**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में अस्तित्व में आने वाले नए श्रौद्योगिक एककों के नाम क्या हैं और प्रत्येक में किन-किन वस्तुओं का उत्पादन होगा और प्रत्येक की क्षमता क्या है ;

(ख) प्रत्येक के मामले में लाइसेंस किस तारीख को दिया गया और क्या ऐसे कारणों का पता लगा लिया गया है जिनसे क्रियान्विति में दो वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क), (ख) और (ग) वर्ष 1976-77 में उत्पादन शुरू करने वाले नए श्रौद्योगिक एककों तथा उनमें उत्पादन की जाने वाली वस्तुएं, उनकी लाइसेंसीकृत क्षमता और लाइसेंस जारी करने की तिथि से संबंधित ब्यौरों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है; विवरण में उन एककों के नाम बताए गए हैं जिन्होंने कार्यान्वियन के लिए 2 वर्ष से अधिक का समय लिया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 349/77]

साधारणतया श्रौद्योगिक लाइसेंस दो वर्ष की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए जारी किया जाता है तथा इस अवधि को सामान्यतः 2 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि को चार वर्षों के पश्चात् तभी बढ़ाया जाता है जब इसके लिए कोई दृढ़ आधार हो।

साधारणतया बड़ी योजनाओं के पनपने में अधिक समय लगता है। विवरण में दिए गए श्रौद्योगिक एककों के क्रियान्वयन में होने वाला असामान्य विलंब देसी मशीनों को तैयार करने में होने वाली देरी, पूंजीगत वस्तुओं के आयात में होने वाली देरी, विदेशी सहयोगियों की वजह से होने वाली देरी और मानक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वित्त की व्यवस्था में होने वाली देरी आदि के कारण से होता है।

पिछड़े क्षेत्रों में श्रौद्योगीकरण

546. **श्री एस० आर० दामाणी**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की कोई नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग खोलने के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करने हेतु क्या प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) कुछ क्षेत्रों में उद्योगों का केन्द्रीयकरण वहां तत्काल उपलब्ध बिजली (पावर) पानी का संभरण और विकसित परिवहन सुविधाओं की वजह से हो गया है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि ये अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं उन क्षेत्रों में तुरन्त उपलब्ध कराई जाएं जो श्रौद्योगिक दृष्टि से इस समय पिछड़े हुए हैं या जहां रोजगार के अवसर दिलाने की अत्यधिक जरूरत है बशर्ते कि अन्य दृष्टिकोणों से वे स्थान सर्वथा उपयुक्त हों। श्रौद्योगिक लाइसेंस नीति के क्रियान्वयन में सरकार इस बात का भी सुनिश्चय करती है कि लाइसेंस संबन्धी निर्णय योजना के विकास की रूपरेखा के तथा तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं जैसे मात्रा के अनुरूप बचत समुपयुक्त प्रौद्योगिकी संतुलित क्षेत्रीय विकास के अनुरूप हो तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास को पूर्ण रूप से दर्शाते हों।

(ग) सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करती है :—

(1) रियायती दर वित्त।
(2) विकास ऋणों को इक्विटी के रूप में देना।
(3) आयकर में छूट।
(4) निःशुल्क तकनीकी परामर्श सेवा।
(5) प्रतिबंधित उद्योगों की स्थापना में छूट।
(6) दीर्घ अवधि के लिए ब्याज हेतु राज सहायता।
(7) रियायती शर्तों पर मशीनों का संभरण।
(8) निश्चित पूंजी विनियोजन पर राज सहायता।
(9) कच्चे माल और उपकरणों के आयात के लिए विशेष सुविधाएं
(10) परिवहन राज सहायता।

Slapping of the Magistrate by Shri Bansi Lal while announcing the Poll Results

547. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to a report which appeared in the Pakistan newspaper, 'Dawn' dated the 23rd March, 1977 stating that at the time of declaration of recent poll results the former Defence Minister Shri Bansi Lal was arrested for having slapped the magistrate who was announcing the result; and

(b) if so, the facts of the incident and the action taken in this regard ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) A report to this effect appeared in the issue of Pakistan newspaper 'Dawn' dated 22-3-1977.

(b) According to the information received from the State Government there was no such incident.

Radio-Activity Test in Atmosphere and Oceans

548. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) whether Government conduct tests regarding the extent of radio-activity in the atmosphere and oceans in the country from time to time;

(b) if so, the areas where these tests were made during the last two years as also their number and the extent of radio-activity found; and

(c) the places where its extent was found to be injurious to human being and the remedial measures taken by Government in this regard?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir. Air borne radio-activity is being monitored in the country for the past several years. No routine monitoring is, however, being done over the ocean.

2 LSS/77—8

(b) Routine measurement of radio-activity in air is being carried out through a network of monitoring stations located at Gulmarg, Gangtok, New Delhi, Calcutta, Bombay, Nagpur, Bangalore, Hyderabad, Ootacmund, Madras and Thumba. Radio-activity in the environment resulting from nuclear operations is being monitored by a chain of environmental monitoring laboratories located at Bombay, Tarapur, Rana Pratap Sagar (Kota), Kalpakkam, Hyderabad, Jaduguda, Alwaye.

The levels of total atmospheric radio-activity have been found to be in the range of 0.1—0.5 dpm/cubic meter of air which is the normal level to be expected from natural sources. The levels of environmental radio-activity have also been found to be well within permissible limits prescribed by the International Commission on Radiation Protection for the members of the public from time to time.

(c) The measurements so far done have revealed that the levels of radio-activity are within permissible limits and not injurious to human beings. The question of taking remedial measures has not, therefore, arisen.

दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा विरोधी दलों को समय का आबंटन

549. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी का दुरुपयोग किया जा रहा है और समाचार बुलेटिनों में विरोधी दलों के विचारों को उचित समय नहीं दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो विरोधी दलों के विचारों को समाचार बुलेटिनों में कितना समय दिया जाता है

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिल नाडु में ग्रामीण विद्युतीकरण

550. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 1976-77 के दौरान राज्य विद्युत निगमों में 88.2 करोड़ रुपए वितरित किये ;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु राज्य विद्युत निगम को कुल कितनी राशि दी गई ;

(ग) उसके द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया ;

(घ) क्या राज्य में अभी तक बहुत बड़े क्षेत्र में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ; और

(ङ) राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण कब तक पूरा होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए निगम ने 1976-77 के दौरान विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों, ग्राम विद्युत सहकारी समितियों तथा राज्य सरकारों को 88.19 करोड़ रु० की राशि को ऋण की किस्तों के रूप में वितरित की ।

(ख) 1976-77 के दौरान वितरित की गई 88.19 करोड़ रु० की राशि में से 2.43 करोड़ रुपये तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड को दिए गए थे।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अपनी स्थापना से 31 मार्च से लेकर 1977 तक तमिलनाडु की ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए कुल 15.84 करोड़ रुपये की ऋण राशि वितरित की है। राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1977 तक लगभग 12 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

(घ) तमिलनाडु में 15,735 ग्राम हैं। 31 मार्च, 1977 तक 15,516 ग्राम विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। 219 गांवों का विद्युतीकरण बाकी है।

(ङ) राज्य बिजली बोर्ड ने यह सूचित किया है कि यदि अपेक्षित धनराशि उपलब्ध रही तो पांचवीं योजना के अंत तक राज्य के सभी ग्रामों को विद्युतीकृत करने का उनका प्रस्ताव है।

तमिलनाडु के उद्योगों पर विद्युत की कमी का प्रभाव

551. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के उद्योगों पर राज्य में विद्युत की कमी के कारण भारी प्रभाव पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो कितने उद्योगों को हानि हुई ;

(ग) क्या तमिलनाडु के सीमेंट उद्योग का मूल उत्पादन केन्द्रीय मंत्री के हस्तक्षेप करने पर ही बहाल किया गया ; और

(घ) कमियों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा): (क) जी हां।

(ख) उत्पादन में सामान्य रूप में गिरावट आई है विशेष रूप से एल्यूमीनियम, उर्वरक और कास्टिक सोडा आदि के उत्पादन में किन्तु केवल बिजली की कमी के कारण उत्पादन में कितनी हानि हुई है अथवा कितने उद्योगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इसका ठीक-ठीक आकलन करना कठिन है।

(ग) वाणिज्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने तमिलनाडु और केरल सरकारों को लिखा था। दोनों सरकारों के बीच हुए एक समझौते के अनुसार केरल राज्य बिजली बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ तमिलनाडु के सीमेंट एककों के लिए बिजली देने पर सहमत हो गया।

(घ) आगामी दो वर्षों में 345 मे० वाट अतिरिक्त बिजली प्रजनन करने अर्थात् 1977-78 में 110 मे० वाट और 1978-79 में 235 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए अभ्युपाय किए गए हैं। इसके अलावा कलपक्कम में एक न्यूक्लियर स्टेशन का भी निर्माण किया जा रहा है। इन अभ्युपायों के अलावा थर्मल जनित्रण को बढ़ाकर, केरल से जल विद्युत का आयात करके, राज्य के अपने विद्युत गृहों में जल विद्युत जनित्रण में वृद्धि करके तथा दक्षिणी अंचल में विद्युत स्रोतों की युक्तियुक्त प्रबंध व्यवस्था द्वारा तमिलनाडु की बिजली की आवश्यकता पूरा करने का प्रस्ताव है।

देश में हत्याएं तथा पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटनाएं

552. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों में, राज्यवार, कितने व्यक्तियों की हत्या हुई ;

(ख) उनमें से राजनैतिक हत्याओं की, राज्यवार, संख्या कितनी है ;

(ग) इस अवधि के दौरान पुलिस की गोली से मरने वाले राजनैतिक दलों के व्यक्तियों की राज्य-वार, संख्या कितनी है ;

(घ) भूतपूर्व केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पुलिस की गोली से मरने वाले कितने मामलों की जांच कराई गई ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त अवधि के दौरान पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों की पूरी जांच करने का है ।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (घ) तक सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) आपातस्थिति की अवधि के दौरान पुलिस ज्यादतियां शाह आयोग के विचारार्थ विषयों में आती हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करना

553. **श्री बसंत साठे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित परियोजनाओं का, इस आधार पर कि राष्ट्रीयकरण से अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई है तथा इस प्रकार सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा का गैर सरकारी क्षेत्र सुदृढ़ हुआ है, राष्ट्रीयकरण समाप्त करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उत्पादन की सहायता से जो अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में फला हुआ है उद्योगपति (गैर-सरकारी) क्षेत्र अपने अधिकारी क्षेत्र को बढ़ाते हैं और भारी मुनाफा कमाते है ; और

- (घ) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा सरकारी क्षेत्र का लूटे जाना बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी नहीं, जहां तक उद्योगों का संबंध है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा अपनायी गई नीति का उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से संतुलित औद्योगिक प्रगति करना है । यदि गैर सरकारी क्षेत्र के किसी उद्योगपति द्वारा सरकारी क्षेत्र को लूटने के कोई विशिष्ट मामले हों उन्हें सरकार की जानकारी में लाया जाना चाहिए ताकि उनकी जांच करके सुधारात्मक अभ्युपाय किए जा सकें ।

कोयले के मूल्यों का पुनरीक्षण

554. **श्री बसन्त साठे** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के मूल्यों का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है

(ख) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) व (ग) कोयले की कीमतों की जांच करने के लिए 8 जनवरी, 1975 को एक अन्तर मंत्रालय समिति का गठन किया गया था । विस्तृत अध्ययन तब तक पूरा न हो सकने के कारण समिति ने मार्च, 1975 में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 1975-76 के लिए नई कीमतों की अनुशंसा की गई थी । समिति की अन्तरिम रिपोर्ट की अनुशंसा में कुछ सुधार करके कोयले/कोक की खान मुहाना कीमतों में 1-7-75 से संशोधन किया गया था जो अभी तक लागू हैं ।

अब समिति ने 1977-78 तथा 1978-79 के लिए कोयले की कीमतों के संशोधन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उस पर सरकार विचार कर रही है ।

मध्यप्रदेश के मन्दसौर जिले में रेडियो स्टेशन

556. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले में, जोकि राजस्थान की सीमा पर है और जो इन्दौर से लगभग 250 कि० मी० है, एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं । मन्दसौर जिला पहले ही आकाशवाणी के इन्दौर केन्द्र के प्राथमिक सेवा क्षेत्र में आता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फिल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन

547. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फिल्म सेंसर बोर्ड के पुनर्गठन पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या विद्यमान बोर्ड के विरुद्ध अनियमितताओं और पक्षपात की शिकायतें हैं ; और

(ग) फिल्म सेंसर बोर्ड के गठन के लिए क्या आधार अथवा कसौटी अपनाई जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान बोर्ड के विरुद्ध अनियमितताओं और पक्षपात की कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, कुछ फिल्मों के विरुद्ध लिखित में शिकायतें प्राप्त होने पर या अन्यथा चलचित्र अधिनियम के उपबन्धों और उनके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको मंगवाया गया और उनके बारे में कार्रवाई की गई ।

(ग) बोर्ड के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार की राय में फिल्मों का लोगों पर प्रभाव आंकने में समर्थ व्यक्तियों में से उनकी वैयक्तिक योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर नियुक्त किया जाता है ।

Alleged Burning of Effigy of the Vice-President Acting as President in Supreme Court Premises

558. **Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether an effigy of the Vice-President acting as President was burnt and slogans were raised within the premises of Supreme Court by some undesirable elements after the Supreme Court's Judgement; and

(b) the action taken by Government in the matter ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh)

(a) No such incident has come to Government's notice.

(b) Does not arise.

इस्पात के लिये कोयले की सप्लाई

559. **श्री के० लकप्पा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के लिये कोयले की सप्लाई बनाये रखने हेतु कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) : जी हां । 'भारतीय इस्पात प्राधिकरण' तथा इस्पात विभाग की सलाह से 1977-78 के दौरान इस्पात संयंत्रों की कोयले की पूर्ति के लिए एक वार्षिक योजना बनाई गई है । 1978-79 तथा 1983-84 के दौरान लगभग 12 व 14.8 मि० टन हॉट मेटल का उत्पादन करने के लिए 1978-79 तथा 1983-84 में कोक्कर कोयले की प्रत्याशित मांग का अनुमान क्रमशः लगभग 17.4 व 20 मि० टन है । इस्पात संयंत्रों की कोयले की प्रत्याशित जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा चुके हैं ।

Price of Tractors

560. **Shri K. Lakkappa :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether there has been a considerable increase in the prices of tractors during last year;

(b) whether Government have been requested to reduce their price; and

(c) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

Minister of Industry (Shri Brijlal Verma) : (a) During the year 1976, out of 11 units manufacturing tractors, five units increased the price of their tractors due to increase in the cost of raw material, components, overheads, etc.

(b) & (c) Yes, Sir. Government have been making efforts to contain the prices at reasonable level. Price surveillance is being exercised in respect of preferred models of tractors in their respective horse power ranges.

सीमाओं की सुरक्षा

561. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाओं की सुरक्षा के लिये कोई पृथक सेना डिवीजन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिये हिमालय सेना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) इस प्रकार की कोई पृथक डिवीजन नहीं है और सीमाओं की रक्षा के लिये ना ही कोई हिमालय सेना है । हमारी डिवीजन पर्वतीय क्षेत्रों तथा मैदानों में हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिये पूरी तरह से प्रशिक्षित एवं सुसज्जित हैं ।

टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए अर्थ स्टेशनों (भू-केन्द्रों) का उपयोग

562. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून और लछीवाला फोरेस्ट स्थित भू-केन्द्रों को, जो नई दिल्ली केन्द्र से जुड़े हुए हैं, टेलिविजन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस सम्पर्क को दक्षिण में टेलिविजन कार्यक्रम रिले करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । देहरादून स्थित भू-केन्द्र अंतर्राष्ट्रीय दूर-संचार और दूरदर्शन विनिमय के लिए 'इन्टेलसेट' प्रणाली से जुड़ा हुआ है ।

सरकारी नौकरियों के लिये आवेदनों के साथ चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना

563 **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार सरकारी नौकरियों के लिये आवेदनों के साथ चरित्र प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता को समाप्त करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : जी नहीं, श्रीमान् ।

आसनसोल कोलफील्ड क्षेत्र में पानी की कमी

564. **श्री रोबिन सेन :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल कोलफील्ड क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में सूखा की स्थिति रहती है और

(ख) यदि हां, तो क्या ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड अधिकारियों को यह निदेश दिया जायेगा कि वे सूखे टेंकों को भर कर निकटवर्ती ग्रामों को पानी सप्लाई करें ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) यह सच है कि आसनसोल कोलफील्ड क्षेत्र में गर्मियों में पानी की बहुत तंगी हो जाती है ।

(ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स के कोलियरी क्षेत्र के निवासियों के लिए पानी का एकमात्र साधन तालाब का पानी है । प्राधिकारियों को पहले कोलियरी परिसर के निवासी अपने कामगारों को और उनके आश्रित लोगों को पानी की सप्लाई करनी होती है । इस दायित्व को पूरा करने के बाद जब उनके पास अधिक पानी बच जाता है तो वे कोलियरी क्षेत्र की सीमा के भीतर के गांवों के तालाबों में पानी भरने की अनुमति देते रहे हैं ।

Acquisition of Land by Maruti Ltd.

565. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the date on which small car manufacturing factory (Maruti) was set up and the names of the persons whose land was acquired for its construction indicating the acreage of land acquired;

(b) whether the landowners were not given due compensation for their land; and

(c) whether any objection was raised regarding the aforesaid land ; and if so, the names of the persons who raised the objections ?

Minister of Industry (Shri Brijlal Verma) : (a) M/s. Maruti Limited reported commencement of production with effect from 7th July, 1975. The requisite information about names of persons whose land was acquired, acreage of land acquired, payment of compensation and objections raised etc., concern the State Government of Haryana. Information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House.

(b) & (c) By notification dated 30th May, 1977 issued by Ministry of Home Affairs and published in the Gazette of India Extraordinary on 30th May, 1977, the Central Government have appointed a Commission of Inquiry regarding various matters concerning Maruti Limited and allied concerns. Among the terms of reference are all matters pertaining to the licensing of the Maruti car project and the propriety and the legality of acquisition or allotment of land in Gurgaon district in the State of Haryana including circumstances relating to dispossession of the erstwhile occupants/owners of the land and nature and adequacy of the compensation paid or payable to them.

Price of power tiller

566. **Shri Jagadambi Prasad Yadav :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number and the names of the companies which were manufacturing power tillers in the country in 1974-75, 1975-76 and 1976-77 and the number of power tillers manufactured by them in each of the aforesaid years;

(b) the prices of these power tillers and the amount of various taxes thereon;

(c) whether Government have examined the utility vis-a-vis the price of the power tiller and if so, the outcome thereof;

(d) whether the power tiller especially the air-cooler type (such as manufactured by Mitsubishi, Bangalore) is troubling the farmers; and

(e) whether Government propose to stop the production and sale of these power tillers and protect the interest of farmers ?

Minister of Industry (Shri Brijlal Verma) : (a) & (b) The requisite information is given in the Statement attached. [Placed in Library. See No. LT 350/77]

(c) The Government have recently commissioned NIDC to undertake a study of the power tiller industry with a view to suggest measures of cost reduction, generation of demand, improvement in the design of power tillers for its diverse use etc. The report is awaited.

(d) No such complaint has been received by the Government.

(e) Does not arise.

एसोसियेशन आफ इण्डियन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री की 10 वर्षीय योजना

567. **श्री पी० के० देव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसियेशन आफ इण्डियन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री ने प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किये गये पत्र में 10 वर्षीय योजना की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) प्रधान मंत्री को दिये गये प्रलेख में योजना प्रक्रिया, राजकोषीय नीति, मुद्रा नीति, आयात तथा निर्यात नीति, औद्योगिक संबंध आदि के बारे में एसोशियेशन आफ इण्डियन इजीनियरिंग इण्डस्ट्री के विचार समाविष्ट हैं। योजना प्रक्रिया के अध्याय में एसोशियेशन ने योजना नीति, औद्योगिक नीति, लाइसेंस नीति, मुद्रा नीति, राजकोषीय नीति तथा आयात एवं निर्यात नीति में सुसंगति की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस संदर्भ में सुझाव दिया गया है कि सरकार को दस वर्षीय मार्गदर्शी योजना बनानी चाहिये जिससे कि योजना एक क्रमिक प्रक्रिया बन सके। कहा गया है कि इससे उद्योग को दिशा निर्देश मिलेगा और इस प्रकार उनका जोखिम कम हो जायेगा। सरकार ने ये सुझाव नोट कर लिए हैं।

दिल्ली के भूतपूर्व निगम आयुक्त के निवास स्थान पर छापा

568. **श्री उग्रसेन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के भूतपूर्व निगम आयुक्त श्री बी०आर० टमटा के पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान) स्थित निवास पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा छापे के दौरान प्राप्त दस्तावेजों और अन्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित उस मामले की जांच पड़ताल के दौरान न्यायालय द्वारा जारी किये गये एक वारन्ट के आधार पर 26-5-1977 को पोर्ट ब्लेयर में श्री बी०आर० टमटा के निवास स्थान की तलाशी ली गई थी जिसमें श्री बी०आर० टमटा ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त के रूप में कार्य करते समय अपने सरकारी पद का तथाकथित दुरुपयोग किया था और दिल्ली जल प्रदाय तथा मल निकासी उपक्रम को "क्विक फ्लाक पोलिमिक्स' की सप्लाई में मैसर्स मारुति टेक्निकल सर्विसिज़ प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिये दिल्ली नगर निगम के आयुक्त के भूतपूर्व सलाहकार प्रोफेसर आर० सी० सिंह तथा मैसर्स मारुति टैक्निकल सर्विसिज़ प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव तथा अन्य के साथ समझौता किया था। तलाशी में आरोपों से सम्बद्ध कोई दस्तावेज़ अथवा अन्य वस्तुएं नहीं मिलीं।

सभा पटल पर रख गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत में भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त का 15वां तथा 16वां प्रतिवेदन तथा अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 350ख के खण्ड (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत में भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त का जुलाई, 1972 से जून, 1973 की अवधि का 15वां प्रतिवेदन ।

(दो) भारत में भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त का जुलाई, 1973 से जून 1974 की अवधि का 16 वां प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल०टी०304/77]

(2) उपर्युक्त मद (1) म उल्लखित प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 2 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 436 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 2 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 437 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 7 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 579 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी यात्रा रियायत) पहला संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 12 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 236(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) नौवां संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 12 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 237(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) आठवाँ संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 14 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 609 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 4 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 678 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 305/77]

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा तथा नौसैनिक औपचारिकता, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (पहला संशोधन) विनियम, 1977

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 306/77]

(दो) (क) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के 1 जनवरी, 1975 से 31 मार्च, 1976 की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का 1 जनवरी, 1975 से 31 मार्च, 1976 की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल०टी० 307/77]

(2) रिजर्व तथा सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 की धारा 34 की उपधारा (4) के अन्तर्गत रिजर्व तथा सहायक वायु सेना अधिनियम, (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 के (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०नि०आ० 295 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 308/77]

(3) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसैनिक औपचारिकता, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (पहला संशोधन) विनियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०नि०आ० 8(ङ) में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 309/77]

भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री एल० के० अडवानी) : मैं भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल० टी० 310/77]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 23 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 182 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 16 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 513 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 26 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 195(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल०टी० 311/77]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 24क के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 943(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें माल वाहक जहाजों से हुई आय के दोहरे कराधान के निर्वाणार्थ वाणिज्य पोत परिवहन के संबंध में भारत सरकार और सोवियत संघ सरकार के बीच हुआ करार दिया हुआ है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 312/77]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 24क के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 184 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें माल वाहक जहाजों से हुई आय के दोहरे कराधान के निर्वाणार्थ वाणिज्य पोत परिवहन के सम्बन्ध में भारत सरकार और बल्गेरिया जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच हुआ करार दिया हुआ है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 313/77]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां०नि० 864 (ङ) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०सां०नि० 512 जो दिनांक 16 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०सां०नि० 200(ङ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०सां०नि० 240(ङ) जो दिनांक 13 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०सां०नि० 245(ङ) जो दिनांक 20 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा०सां०नि० 246(ङ) जो दिनांक 20 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०सां०नि० 247(ङ) जो दिनांक 20 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०सां०नि० 248(ङ) जो दिनांक 20 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०सां०नि० 253 (ङ) जो दिनांक 25 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०सां०नि० 662 जो दिनांक 28 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०सां०नि० 254 (ङ) जो दिनांक 25 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखीं गई। देखिये संख्या एल० टी० 314/77]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयीं निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां०नि० 514 जो दिनांक 16 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०सां०नि० 196(ङ) जो दिनांक 28 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०सां०नि० 197(ङ) जो दिनांक 29 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०सां०नि० 574 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०सां०नि० 225(ङ) जो दिनांक 7 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छ) सा०सां०नि० 582 जो दिनांक 7 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०सां०नि० 231(ङ) जो दिनांक 9 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०सां०नि० 233(ङ) जो दिनांक 10 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०सां०नि० 244 (ङ) जो दिनांक 19 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०सां०नि० 227(ङ), 228(ङ), 229(ङ), 230(ङ) जो दिनांक 9 मई 1977, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं, सा०सां०नि० 239(ङ) जो दिनांक 12 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और सा०सां० नि० 250(ङ) जो दिनांक 21 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०सां०नि० 256(ङ) जो दिनांक 28 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०सां०नि० 266 (ङ) जो दिनांक 3 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखीं गईं। **देखिये** संख्या एल० टी० 315/77]

नारियल जटा उद्योग (दूसरा संशोधन) नियम 1976, उद्योग अधिनियम 1951 के अन्तर्गत समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नारियल जटा उद्योग (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 13 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1588 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी० 316/77]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारी विद्युत उद्योग विकास परिषद् का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 317/77]

(दो) कागज, लुगदी तथा सहायक उद्योग विकास परिषद् का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 318/77]

(तीन) मशीनी औजार विकास परिषद् का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** सं० एल० टी० 319/77]

(3) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड, एर्नाकुलम के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेख (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल०टी० 320/77]

(4) केन्द्रीय औजार डिजाइन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल०टी० 321/77]

(5) केन्द्रीय औजार डिजाइन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गयीं । **देखिये** संख्या एल०टी० 321/77]

(6) लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(7) लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गयीं । **देखिये** संख्या एल०टी० 322/77]

(8) विद्युत मापी उपकरण डिजाइन संस्थान, बम्बई के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(9) विद्युत मापी उपकरण डिजाइन संस्थान, बम्बई के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(10) उपर्युक्त मद (4) से (9) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 323/77]

(11) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गयीं । **देखिये** संख्या एल० टी० 324/77]

(दो) (क) भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रांची के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रांची का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल०टी० 325/77]

(तीन) (क) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष, 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिये** संख्या एल० टी० 326/77]

(चार) (क) राष्ट्रीय उपकरण लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) राष्ट्रीय उपकरण लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखीं गयी। **देखिये** संख्या एल०टी० 327/77]

(पांच) (क) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिये** संख्या एल० टी० 328/77]

(छः) (क) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड, जयपुर का 30 सितम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिये** संख्या एल० टी० 329/77]

(सात) (क) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का 30 सितम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिये** संख्या एल० टी० 330/77]

(12) (क) पेटेंट्स अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अन्तर्गत पेटेंट्स (संशोधन) नियम, 976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०आ० 2908 में प्रकाशित हुए थे।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 331/77]

(13) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 31 जनवरी, 1976 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की तमिलनाडु सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) (क) तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की तमिलनाडु सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त मद (13) में उल्लिखित पत्रों के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 332/77]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादियों की हत्या तथा उन पर अत्याचार

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं गृह मंत्री का ध्यान लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि इस पर एक वक्तव्य दें।

"कुछ वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादियों की बड़े पैमाने पर कथित हत्याएं तथा उन पर किये गये अत्याचार जैसाकि श्री वी० एम० तारकुण्डे के नेतृत्व में गठित नागरिक अधिकार समिति द्वारा रहस्योद्घाटन किया गया है।"

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ों के बारे में श्री वी० एम० तारकुण्डे की अध्यक्षता में प्रजातंत्र के लिए नागरिकों द्वारा नियुक्त की गई नागरिक अधिकार समिति की दो रिपोर्टों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। समिति के

निष्कर्षों से हमें गम्भीर चिन्ता हुई है । सदन को आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों में नक्सलवादियों की गतिविधियों से पैदा हुई कानून व व्यवस्था की गम्भीर स्थिति की जानकारी है । इन गतिविधियों में नृशंस हत्या और अन्य गम्भीर अपराध शामिल थे । इन परिस्थितियों में पुलिस को कठिन समस्या से निपटना पड़ा । किन्तु कानून प्रवर्तन ऐजेंसियां कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती चाहे वे नक्सलवादियों अथवा किन्ही अन्य व्यक्तियों या वर्गों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही हो । कानून के अनुसार पूरी तरह कार्य करने में उनकी असफलता को क्षमा नहीं किया जा सकता । समिति की दो रिपोर्टों से ये गंभीर शंका उत्पन्न होती है कि क्या पुलिस ने नक्सलवादियों से निपटते समय कानून के अनुसार कार्य किया था । इन शंकाओं को तुरन्त दूर किये जाने की आवश्यकता है । अतः मैंने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को गम्भीरता पूर्वक विचार करने के लिए अपने सुझाव भेजे हैं । मुझे विश्वास है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार मेरे सुझावों पर तुरन्त तथा उचित कार्यवाही करेगी ।

श्री समर मुखर्जी : इस बारे में मंत्री महोदय का वक्तव्य संतोषजनक नहीं है । नक्सलवादियों का नाम लेकर बहुत से निरापराध व्यक्तियों पर घोर जुल्म किये गये हैं ।

मुझे उम्मीद थी कि गृह मंत्री अपने वक्तव्य में घोषणा करेंगे कि वह सम्बद्ध समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इस मामले की जांच करायेंगे । माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि वह अपने सुझाव मुख्य मंत्री को भेज रहें हैं । रिपोर्ट में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार का इससे सम्बन्ध रहा है ।

आजकल जुल्म के विभिन्न मामले समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं । अच्छा है कि पिछली सरकार का आचरण लोगों को पता चल रहा है ।

समिति ने प्रेस के साथ बातचीत में जो तथ्य बतायें हैं उनसे लोगों के साथ किए गये जुल्मों की गम्भीरता का पता चलता है । पुलिस का दावा है कि नक्सलपंथियों ने उन पर आक्रमण किया तथा मुठभेड़ में नक्सलवादी मारे गये ।

उन लोगों को जंगल में ले जाकर पड़ों से बांध दिया गया और गोली मार दी गई तथा यह कह दिया गया कि वे मुठभेड़ में मारे गये । समिति के समक्ष यह बात साक्षियों से प्राप्त हुई ।

अध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद नहीं है । आप किसी एक बात पर मंत्री महोदय का ध्यान दिला सकते हैं ।

श्री समर मुखर्जी : इन निर्मम हत्याओं एवं आतंक फैलाये जाने के मामले पर समिति ने केन्द्र से मांग की है कि इन मामलों की व्यापक जांच कराई जाये । यदि आप मुख्य मंत्री को समय देते हैं तो दस्तावेज नष्ट कर दिये जायेंगे । श्री जे० बी० कृपलानी के लेख में कहा गया है ......

> "इस में और विलम्ब होने से जनता में रोष फैलेगा । नई सरकार और जनता पार्टी अपने कार्यों से आंकी जायेगी ।"

अध्यक्ष महोदय : आप ज्यादा पढ़ कर मत सुनायें ।

श्री समर मुखर्जी : मैं चाहता हूं कि सरकार तुरन्त कार्यवाही करे । प्रश्नकाल में बताया गया है कि 500 व्यक्तियों को मार दिया गया । गलियों और जेलों में उनकी हत्या करदी गई । अतः मैं चाहता हूं कि समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाये ।

Shri Charan Singh : I fully agree with the hon. Member that the Nexalites were murdered.

I am equally worried to find out the facts and punish the guilty persons. There has been some delay in the appointment of enquiry commissions as the terms of their references had to be decided. If today I am not in a position to reply to certain questions it does not mean that the government is not serious. We have advised the Chief Minister and the contents thereof need not be told.

Shrimati Ahilya P. Rangnekar (Bombay North-Central) : The statement of the hon. Minister included 'these activities included cold blooded murder and other serious offences'.

The Tarkunde Commission has listed the names of offences involved in the matter. It was not proper to refer to the report to the State Government. We insist that the Government should accept the recommendations of the commission and appoint a judicial commission that may find out the truth.

Shri Charan Singh : The suggestions made by Shri Tarkunde Committee are commendable. Whatever can be done in this matter would be done.

Shri Gangadhar Appa Burande (Bhir) : The Central Government should take up the matter in its own hand and at once appoint an Enquiry Commission.

Shri Charan Singh : I have noted the suggestion.

जम्मु तथा काश्मीर में हाल में हिंसा और अत्याचार की घटनाओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. RECENT INCIDENTS OF VIOLENCE AND ATTROCITIES IN JAMMU AND KASHMIR

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : केन्द्रीय सरकार पिछले कुछ दिनों में चुनाव अभियान के दौरान कश्मीर घाटी में हुई हिंसा को बड़ी चिन्ता की दृष्टि से देखती है। विरोधी राजनैतिक दलों के बीच कुछ मुठभेड़ हुई है।

2. एक घटना में हब्बाबादल का जनता पार्टी की उम्मीदवार डा० जगत मोहिनी तारीख 7-6-1977 को उनकी कार पर एक बड़ा पत्थर फेंके जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हुई जब वह एक शांति पूर्ण चुनाव सभा से लौट रही थी। उन्हें विशेष चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और बताया गया कि उनका स्वास्थ्य संतोषजनक रूप से सुधर रहा है। मामले की जांच अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। तीन संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

3. अनन्तनाग पर एक घटना में मौलवी मोहम्मद फारुख के दौरे के दौरान नेशनल कान्फ्रेंस तथा अवामी एकशन कमेटी के समर्थको के बीच 11-6-1977 को एक मुठभेड़ हुई। जब उनके समर्थको को लेकर बसे श्रीनगर को लौट रही थी तो दोनों दलों के समर्थकों के बीच ईंट रोड़े फेंके गए। कुछ बसें क्षतिग्रस्त हुई और 44 व्यक्ति घायल हुए जिनमें से 11 को हस्पताल में दाखिल किया गया। स्कूल के बच्चों तथा पर्यटकों को ले जाते हुए कुछ बसें तथा कारें राष्ट्रीय पथ पर एक दूसरे पर ईंट रोड़े फैंकने के बीच आ गई उसी दिन अवन्तीपुरा के एक कौने पर मामूली सी आग लग गई जब कस्बे के स्थानीय निवासियों और अनन्तनाग से लौटते हुए अवामी एकशन कमेटी के कार्यकर्त्ताओं के बीच ईंट रोड़े फैंके जा रहे थे। यह सूचित किया गया है कि 8 मकान, 4 दुकानें, 5 कोठे और 9 गोशालाये क्षतिग्रस्त हुए। आग लगने के कारण की जांच की जा रही है।

4. राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की है कि यद्यपि वैध चुनाव कार्य स्वतंत्र तथा शांतिपूर्ण ढंग से करने की अनुमति है पर डराया धमकाया नहीं जाए और समाज विरोधी तत्वों को वातावरण दूषित न करने दिया जाए। हिंसा से ग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस चौकियां स्थापित कर दी गई है। अन्यथा सामान्य जीवन तथा पर्यटक यातायात निर्बाध गति से चलते रहे।

5. हम इस बात के बहुत इच्छुक हैं कि कश्मीर में शांति और सद्भाव के वातावरण में स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष चुनाव हो। मैं इस कार्य में सभी राजनैतिक दलों का सहयोग चाहता हूं। साथ ही मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि डराने धमकाने अथवा साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने तथा हिंसा के प्रयोग को कानून के अन्तर्गत सख्ती से निपटा जायेगा। राज्य सरकार को शान्ति बनाये रखने में सहायता और साधन उपलब्ध कराये जायेंगे और स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष चुनाव की सम्भावनाओं में किसी को गड़-बड़ नहीं करने दी जायेगी।

रेल-बजट, 1977-78—सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET, 1977-78—GENERAL DISCUSSION

अध्यक्ष महोदय : शाम को 6 बजे नियम 193 के अधीन चर्चा होगी। इस बीच 3 घंटे रेल बजट पर चर्चा होगी। 5 बजे मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

Shri Durga Chand (Kangra) : Shri Qureshi has given a number of suggestions. But all the points made out by him are self criticizm. The newspapers have commended this Budget as "Janta Budget" and have appreciated its contents.

The hilly region of Himachal Pradesh is full of natural beauty and could very well become Switzerland of India. But the Government has not done anything for its development.

There is great need for laying new Railway lines in the State. The Pathankot Sundernagar railway line which was laid during the British regime could very well be extended upto Mandi. But that has not been done. The Kalka-Simla line could be extended to Narkunda. But that has also not been done. It is high time for the Railway Minister to pay attention to these things.

It is regrettable that there is no mention in the Railway Budget about laying of Railway lines in Himachal Pradesh. Even for the Nangal-Talware line, the foundation of which was laid by the then Railway Minister Sh. L. N. Mishra, no provision has been made in the budget. However, it is heartening to note that the Railway Minister is keen to start some new lines and the provision for the same would be made in the supplementary Budget. It is hoped that he would take care of Himachal Pradesh in this regrd.

The Railway Minister has stated that the Indian Railway Act, 1890 needs to be modified and he has assured that the draft Bill would be presented before the end of the current year. It is hoped that all the drawbacks in that Act would be removed thereby.

The hon. Minister has advocated for labour participation at every level. The provision for settlement of claims is also a welcome venture.

It is strange that while during the British regime return ticket was available for Simla, Dharamshala and Mandi the practice has now been discontinued. At present return tickets are available for Kashmir. The Railway Minister should see that return tickets for Simla, Dharamshala and Mandi are also made available.

In Himachal Pradesh foodgrains and fuel were very costly. This is because of high freight charges. This should not only be reduced but government should also subsidise it.

There is great need for providing gates at the level crossings because there are frequent accidents at places where there are no gates. The catering services should also be improved. The trains should run punctually.

श्री दारुर पुलय्या (अनन्तपुर) : भारतीय रेलें देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रतिष्ठान है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker in the chair]

पिछड़े क्षेत्रों के सर्वोमुखी विकास के लिए रेलवे ने अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । अतः पिछड़े इलाकों में नई रेल लाइने बिछाये जाने की महती आवश्यकता है ।

आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र की अनेक वर्षों से उपेक्षा की जाती रही है और यहां एक भी रेलवे लाइन बिछाने का कार्य आरम्भ नहीं किया गया है । नई रेलवे लाइने बिछाने के लिए अभ्यावेदन दिये जा चुके है । जिसमें एक गंटाकल से मैसूर उरावाकोंडा कल्याण दुर्ग तथा तुमकुर तक नई रेल लाइन बिछाने के बारे में भी है । बेल्लारी से राया दुर्ग तक वर्तमान रेल में सुधार किया जाना चाहिए और इसे लाभदायक बनाने के लिए चिताल दुर्ग तक बढ़ाई जानी चाहिए ।

जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है दोनों का पुनर्गठन करना अत्यावश्यक है । गुटाकल जोन को दक्षिण रेलवे में शामिल करने से उस क्षेत्र को अब लाभ नहीं होता । इसे तो दक्षिण मध्य रेलवे में मिलाया जाना चाहिए ।

प्रत्येक जोन के लिए एक ऐसा आयोग होना चाहिए। दक्षिण मध्य रेलवे के लिए पृथक आयोग होना चाहिए ।

Shri H.L. Patwari (Mangaldoi) : I want to draw the attention of the House to the recent accident to the 13 UP Tezpur Express in which a large number of passengers were killed. I have seen the place of accident. It is said that this accident was caused by a sudden flood in the stream at the site of bridge No. 141 resulting in its collapse. The cause of sudden flood was the closure of the sluice gate. Every body who visited the site said that the closure of the sluice gate was responsible for raising the water level at the bridge. But it is strange that there is no mention about it in the Minister's statement. It appears that this fact is sought to be suppressed by the officers concerned.

The maintenance of the sluice gates is governed by some rules. It appears that these rules have not been properly observed. All these facts will come to light if the matter is properly inquired. It is therefore necessary that a high powered commission is appointed in this regard.

Some statistics with regard to the operation of the railways have been given. While the passenger traffic has gone up by only 210 per cent, the consumption of diesel has gone up by 900 per cent which is quite disproportionate. It appears that there is some kind of leakage which must be stopped because we have to spend a good amount of foreign exchange on the purchase of diesel.

So far as eastern region is concerned, it has been much neglected. There is only one line from Rangia to Lakhimpur which was constructed in 1912. Since then 65 years have passed but nothing has been done. Almost all the district headquarters in that region are not connected with a railway line. It is high time that attention is paid to that region. If a line is provided from Puthimari to Rautabagan *via* Mangaldai it will greatly benefit the people there.

The Railway Department should be run on commercial basis. It should be completely re-organised and a Committee should be appointed for this purpose. I hope necessary attention will be paid towards the points raised by me.

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं रेल मंत्री को एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि वे इस मंत्रालय का कार्यभार अधिक से अधिक समय तक सम्भालें।

मैं इसी समय कह देना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को विभिन्न वर्गों तथा हमसे प्राप्त मांगों पर सावधानी तथा सतर्कता से ध्यान देना पड़ेगा।

मुझे उम्मीद है कि रेल मंत्री अपने को राजनीतिक प्रभावों से मुक्त रखेंगे।

यदि हम ध्यान से देखें तो पायेंगे कि रेल मंत्री का भाषण एकदम स्पष्ट है। निर्देश की दृष्टि से यह बहुत लाभकारी है क्योंकि इसके द्वारा समस्याओं का भली प्रकार पता लगाया गया है समस्याओं को परखा गया है। लेकिन जिस दिशा में वह जाना चाहते हैं उसकी ओर कारगर तरीके से काम आरम्भ नहीं किया गया है। इस देश में जनता पार्टी की सरकार का यह पहला बजट होने के नाते रेल मंत्री कुछ साहस और दूरदर्शिता प्रदर्शित करनी चाहिए थी अर्थात् नई सरकार वास्तव में क्या कार्य करना चाहती है। मुझे आशा है कि रेल मंत्री श्रीमती गांधी के शासन काल और आपात्त स्थिति का विरोध करने वालों में आगे रहने वालों तथा ऐसे व्यक्तियों के परिवारों के साथ न्याय करेंगे।

मुझे यह भी आशा है कि रेल कर्मचारी अपने संगठन बना कर रेलवे संचालन में लगन से कार्य करते हुए सद्भावना से कार्य करेंगे। उन्हें प्रशासन व्यवस्था में भागीदार बनाना चाहिए और जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए। यह अंशतः तभी हो सकता है जबकि उन्हें अधिकाधिक सुविधाएं और भत्ते दिये जायें और उनके दैनिक कार्य संचालन में अधिकाधिक लोकतांत्रिक औद्योगिक प्रथाएं स्थापित की जायें एवं अधिकार दिये जायें।

रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 का है जबकि इण्डिन रेलवेज अधिनियम उससे भी पुराना है। अतः मंत्री महोदय को उसे आज की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित का यत्न करना चाहिए मुझे उम्मीद है कि यह कार्य करते समय कम से कम भावी 25 वर्ष पर दृष्टि रखी जायेगी। और इन अधिनियमों में आवश्यक सुधार किये जायेंगे।

मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि क्या रेलवे बोर्ड को समाप्त किया जायेगा। रेलवे बोर्ड के विरुद्ध अनेक शिकायतें हैं क्योंकि यह उपनिवेशवाद का प्रतीक हो गया है और इसमें राजनीतिक शक्ति

संकेन्द्रित हो गई है जो कुछ ही हाथों में है और वे लोग ही सभी निर्णय लेने लगे हैं। इन निर्णय करने वालों को अनेक अधिकार प्राप्त हो गये थे और यह कुछ समय से स्वयं ही सत्ता में है। इस प्रकार यह लोग मंत्रियों को अपनी उंगलियों पर खिलाना आरम्भ कर देते है। इसलिए रेलवे में अफसरशाही की जांच की जानी चाहिए।

रेलवे में भ्रष्टाचार की समस्या बहुत गम्भीर है जिसे मंत्री महोदय को तेजी से समाप्त करना चाहिए। आरक्षण माल डिब्बों के आबंटन रेलवे स्टालों के दिये जाने जेसे कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। यदि इसे कारगर तरीके से दूर करना है तो इस संबन्ध में प्रशासन को सर्वोच्च स्तर पर कार्यवाही करनी होगी।

भूतपूर्व रेल मंत्री तृतीय श्रेणी समाप्त करके संतोष मानने लगे थे परन्तु उन्होंने यत्रियों की सुविधा के लिए कुछ नहीं किया। नये मंत्री ने कम से कम सुविधाएं देने का आश्वासन तो दिया है। यात्रियों को अधिक सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए, विशेषतः लम्बी यात्रा वाले यात्रियों को।

जहां तक नई रेलवे लाइनों का संबन्ध है मंत्री महोदय इस मामले को राजनीतिक दृष्टि से अधिक देखते हैं देश की वास्तविक आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर नहीं। उनके भाषण तथा अन्य कागज पत्रों में यह जानकारी नहीं है जिसके आधार पर हम रेलवे के आर्थिक पहलू का अन्दाजा लगा सकें। देश भर की परिवहन सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था की एक सामान्य जानकारी हमें दी जाये। तभी हम अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकते हैं।

दक्षिण गुजरात में नवसारी में एक सड़क का ऊपरी पुल बनाया जाना चाहिए। यह अत्यन्त आवश्यक है। नवसारी का पूरा शहर दो भागों में बंटा हुआ है। आधा रेलवे लाइन के एक ओर और आधा दूसरी ओर।

बम्बई और अहमदाबाद के बीच यातायात को दो तरह से सुधारा जाना आवश्यक है। बम्बई में अहमदाबाद के बीच तेज गति की तथा अधिक गाड़ियां चलाई जायें। विनार और साबरमती भाग का विद्युतीकरण होने तथा गांधीनगर तक बढाए जाने से बम्बई और अहमदाबाद के बीच गाड़ियों की गति बढ़ेगी तथा कम समय में अधिक लोग यात्रा कर सकेंगे।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : रेलवे बजट पर देश में मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त हुई है। रेल मंत्री को केवल एक बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने लाभ का बजट पेश किया है। जनता पार्टी के लिए यह आश्चर्य की बात हो सकती है परन्तु हमारे लिए कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि कांग्रेस सरकार 62 करोड़ रुपये बचत का बजट पेश कर चुकी है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्रालय रेलवे में विद्यमान वित्तीय संकट को गम्भीरता से देखती है। प्रो० मधु डण्डवते जब विरोधी पक्ष में थे तो वह रेलवे बोर्ड को सफेद हाथी बताते हुए उसको समाप्त करने का पक्ष लेते थे।

रेल व्यवस्था ही कन्याकुमारी से काश्मीर तक देश को जोड़ती है। निःसंदेह रेल मंत्री ने कुछ नई रेलवे लाइनों के बनाये जाने तथा प्रशासन में सुधार लाने की बात कही है परन्तु रेलवे सेवा आयोग भ्रष्ट कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए उत्तरदायी है। भर्ती के समय से ही भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। इस प्रकार ऐसे कर्मचारी उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार कर सकते हैं। इस समय रेलवे में अनुशासन-हीनता व्याप्त रही है। उनमें अनुशासन लाये बिना किसी प्रकार का भी सुधार संभव नहीं है।

रेल मंत्री ने नई लाइनों का उल्लेख तो किया है परन्तु उनके लिये बहुत कम धन आबंटित किया है। हसन-मंगलौर लाईन पर 20-40 लाख रुपए व्यय होंगे। यह लाइन अभी तैयार नहीं अतएव लगाये गये धन का उपयोग नहीं हो रहा।

रेलवे में न केवल राजस्व की चोरी होती है बल्कि 2,000 करोड़ रुपए की रेलवे भूमि पर भी विभिन्न संगठनों अथवा व्यक्तियों का कब्जा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं रेलवे सम्पत्ति के अनधिकृत प्रयोग के मामलों की व्यापक जांच करायें। इस बारे में कुछ भी कार्यवाही न किये जाने के कारण इन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है।

देश की समूची संचार व्यवस्था पर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

देश के समूचे दक्षिण भाग में स्टेशनों पर कोई सुविधा नहीं है और स्टेशनों की दशा बहुत खराब है। इन स्टेशनों के निर्माण करने अथवा उनकी वर्तमान दशा में सुधार करने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

निर्माणाधीन पुलों के कार्य में जिस प्रकार प्रगति हो रही है उससे वे कभी पूरे नहीं होंगे। निर्माणाधीन पुलों के कार्य को निश्चित समय में पूरा करने का कार्यक्रम बनाया जाये। अन्यथा यह कार्य अधूरा पड़ा रहेगा और धन का अनावश्यक व्यय होता रहेगा।

हुबली--कारवार, तालगुप्पा, हनोवर, रायदुर्ग--चित्रदुर्ग कोटूर; हरिहर और अप्टा मगलौर रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण हो चुका है। परन्तु बजट में इस के लिये राशि नहीं दी गई। हम रेल मत्री महोदय से यह आश्वासन चाहते हैं कि वे ये सभी लाइने पूरी करने के लिये धन देगें।

बंगलौर में पहिए और धुरे बनाने की फैक्टरी लगाये जाने का प्रस्ताव था। परन्तु अब सुना जा रहा है कि फैक्टरी को किसी अन्य राज्य में स्थानान्तरित करने का विचार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे बंगलौर के आस पास मेरे निर्वाचन क्षेत्र तुमकुर में स्थापित किया जाये।

रेल मंत्री प्रो० मधुदण्डवते : इस सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जानी थी तथा दूसरे सदन में रेलवे बजट पर चर्चा शुरु हो चुकी है। इस कारण मैं यह वाद-विवाद में हिस्सा नहीं ले सका। मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री से यहां उपस्थित रहने का अनुरोध किया था।

श्री नानू भाई एन० पटेल (बलसार) : मैं रेल मंत्री द्वारा जनता बजट पेश किये जाने पर बधाई देता हूं।

गुजरात में भावनगर और तारापुर के बीच निर्माण कार्य चल रहा है। इसकी गति बहुत धीमी है। इसे शीघ्र पूरा करने के लिये कदम उठाये जायें।

अहमदाबाद और दिल्ली के बीच एक मीटर गेज लाइन है। बहुत से यात्री बड़ी लाइन से चलने वाली गाड़ियों से वास्ता बड़ौदा जाते हैं जिससे उस लाइन पर भीड़ बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए उक्त मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाये।

पिछली वर्षा ऋतु में दामनगंगा नदी का पुल पूरी तरह बह गया था। रेलवे बोर्ड द्वारा वर्षा के बावजूद सात सप्ताह के बीच नये पुल का निर्माण किया गया। इसके लिये रेलवे बोर्ड बधाई का पात्र है।

श्री मावलंकर ने सुझाव दिया था कि पुराने पुलों पर कार्य शीघ्र शुरू किया जाये। बिहार और बम्बई के बीच बेसिन नदी पर दो पुल हैं। पता चला है कि बिरार और दीवा के बीच रेलवे लाइन

बनाने का विचार है। इसे शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाये, जिससे यदि इन पुलों को कुछ हानि होती है तो गाड़ियों को बिहार, दीवा और बम्बई सेंट्रल को बदल कर चलाया जा सके। नवसारी स्टेशन पर एक ऊपरी पुल की बड़ी मांग की गई है। बिलीमोरा और बुलसार में भी एक ऊपरी पुल की बड़ी मांग की है। उस क्षेत्र के लोगों की यह भी मांग है कि गुजरात एक्सप्रैस और जनता एक्सप्रैस, उम्बेरगांव, संजन और बिलहाड़ स्टेशनों पर रुकें। बिहार और बुलसर के बीच एक और शटल गाड़ी चलाई जाये।

इन स्टेशनों के बीच यात्रियों को पास नहीं जारी किये जाते जिससे उनको बड़ी परेशानी होती है।

अतुल रेलवे स्टेशन पर ऊंचा प्लेटफार्म बनाने की मांग है। बुलसर स्टेशन पर बैठने के लिए कोई प्रबंध किया जाना चाहिये।

नई जनता गाड़ियों का श्रेणीविहीन चलाना अच्छा है परन्तु इस समय जनता गाड़ियों में पंखे तथा पानी की व्यवस्था नहीं है।

श्री मधुदन्डवते : मैंने स्वंय इस गाड़ी में यात्रा की है।

श्री नानूभाई एन० पटेल : बुलसर में दक्षिणी किनारे पर केवल एक ही ऊपरी पुल है। प्लेटफार्म 2 और 3 के लिए कोई ऊपरी पुल नहीं है। यह पुल शीघ्र बनाया जाए।

नवसारी और बुलसर में कम से कम एक और टिकट खिड़की बनाई जाए। राजधानी एक्सप्रैस सूरत में रुकनी चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है।

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : किराया और भाड़ा न बढ़ाए जाने के लिए रेल मंत्री बधाई के पात्र हैं। परन्तु रेलों की अर्थ व्यवस्था में कुछ सुधार अवश्य ही किया जाए; यात्रियों से होने वाली कुल आय के अनुपात में कार्य-व्यय सन्तोषजनक नहीं है। प्रशासन इस बात पर ध्यान दे कि जो भी रुपया खर्च किया जाए वह समुचित रूप में खर्च किया जाए।

रेलवे पर होने वाली पूंजीगत हानि 9 से 13 प्रतिशत तक है। रेलवे प्रशासन ने लाभांश के भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं की है। इसलिए उसे सामान्य राजस्व से 470 करोड़ रुपया उधार लेना पड़ा इसे देखते हुए संभवतः रेल मंत्री के लिए नए विकास कार्य शुरू करना कठिन है। रेलवे सब से बड़ा सरकारी उपक्रम है। इसलिए इसे लाभ पर चलना चाहिए अन्यथा जनता का पैसा बेकार जाएगा।

गाड़ियों में पीने के पानी और सफाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।

श्रेणीहीन गाड़ियां शीघ्रातिशीघ्र चलाई जाएं।

रेल मंत्री ने कहा है कि पीड़ित किए गए कर्मचारियों के मामले पर विचार किया जाएगा तथा जहां तक आपात स्थिति का संबंध है उनके साथ न्याय किया जाएगा। परन्तु उसे आपात स्थिति तक सीमित क्यों रखा जाए? राजनीतिक उत्पीड़न ही नहीं वरन् सभी प्रकार के उत्पीड़न की ओर ध्यान दिया जाए।

बिना टिकट यात्रा, जो अब भी चालू है, से बड़ी हानि होती है। इसे शीघ्र बंद करने की व्यवस्था की जाये।

रेलवे में हर स्तर पर भ्रष्टाचार है जिसके परिणामस्वरूप उसे बड़ी आर्थिक हानि होती है। इस बुराई को नीचे के बजाए ऊपर से समाप्त किया जाए। इसे समाप्त होने से रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

रेलवे में होने वाली चोरियों में कर्मचारियों का हाथ होता है तथा ये चोरियां उनकी ही लापरवाही से होती हैं।

कोर्णाक रेलवे के निर्माण का कार्य शीघ्र हाथ में लिया जाए। वर्तमान बजट में उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

उपनगरीय गाड़ियों में हमेशा बड़ी भीड़ होती है तथा इसे शीघ्र समाप्त किया जाए।

डा० हेनरी ग्रास्टिन (एरणाकुलम) : विभिन्न दलों, वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने बजट प्रस्ताव का निष्पक्ष तथा आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। सत्तारूढ़ दल की उद्घोषणाओं से जनता में आशा की भावना पैदा हुई थी। जनता नई नीति के निर्माण के सन्दर्भ में बहुत कुछ अपेक्षा करती थी। लेकिन उनकी आशाएं फलीभूत नहीं हुईं क्योंकि नई आशाओं के सन्दर्भ में कुछ भी चर्चा करने लायक नहीं है। देश की परिवहन प्रणाली में रेलवे प्रशासन का प्रमुख स्थान है। परिवहन प्रणाली के बारे में रेलवे का समेकित दृष्टिकोण होना चाहिए तथा उन्हें स्टीमशिप सेवा तथा जल परिवहन के बीच समन्वय स्थापित करना चाहिए। यदि रेलवे ने स्टीमशिप कम्पनियों के साथ समन्वय स्थापित किया होता तो केरल या अन्य स्थानों को कोयला भेजा जा सकता था और इस प्रकार यातायात की कठिनाइयों से बचा जा सकता था। यदि राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित किया जाए तो यह अच्छी बात होगी।

स्थिति को सही परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। हम अपने पड़ौसी देशों के साथ रेल सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाते। हम सिंगापुर तथा पूर्व में थाईलैंड तक रेल सम्पर्क स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार भारत-यूरोप को रेल द्वारा जोड़ा जा सकता है। हमारा देश सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और इसलिए रेलवे का एशिया में दूसरा सबसे बड़ा स्थान होना चाहिए। यात्रियों की सुविधाओं तथा माल यातायात सुविधाओं के सन्दर्भ में हम काफी पिछड़े हुए हैं। दूसरे दर्जे के डिब्बों की हालत सर्वविदित है। इनमें न तो जल की और न ही अच्छी प्रसाधन सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि रेलवे को जन उपयोगी सेवा समझा जाना है तो ऐसी स्थिति के बचे रहने को सहन नहीं किया जा सकता।

समय आ गया है कि हमें बड़े पैमाने पर रेल विद्युतीकरण करना चाहिए। रेलवे बोर्ड ने हा है कि हमें सही रूप में योजना बनानी होगी और हो सकता है हमें पर्याप्त बिजली न मिले। लेकिन छोटे देश में जहां बिजली की उपलब्धता की कम संभावनाएं हैं, रेल विद्युतीकरण कर चुके हैं। अतः हमें पुराने विचारों को त्याग कर आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। विद्युत ऊर्जा के मामले में रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे रेलवे के पास अपना तापीय संयंत्र तथा पनबिजली उत्पादन संयंत्र हो। महानगरों में विशेषकर रेल विद्युतीकरण की अधिक आवश्यकता है। दिल्ली शहर में भी रेलवे व्यवस्था अच्छी नहीं है।

मदुरै-कोचीन रेलवे लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। यह न केवल केरल की आवश्यकता पूरी करेगी बल्कि तमिलनाडु के अन्तः क्षेत्रीय आवश्यकता भी पूरी करेगी। पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। अतएव कई कारणों से मदुरै-कोचीन रेल परियोजना को रेल प्रशासन द्वारा शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

कोंकण क्षेत्र परियोजना का स्वागत है। लेकिन अपेक्षित क्षेत्रों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमें खुशी है कि तिरुनेलवेलीन कन्याकुमारी लाइन को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया गया है ।

Shrimati Mrinal Gore (Bombay North) : I would first of all congratulate the hon. Minister for introducing a surplus budget without enhancing fares and freight. Also the assurances given by the hon. Minister to the second class passengers are commendable.

The hon. Minister has assured that more Janta trains would be introduced soon. I demand that gradually all trains be converted into Janta trains.

There has been a lot of discussion in this House on corruption. It is rampant at every level in the Railways. Effective steps should be taken to eradicate this evil so that the administration could be geared up.

Whenever Railway Board was discussed in this House it has been stated that Railway Board be abolished. The hon. Minister has stated that the suggestions given by the Administrative Reforms Commission in this regard would be considered. The Railway Department is vitally concerned with the common people. Whereas the Railway Board functions in such a manner that people at large are left aloof. The recommendations of Administrative Reforms Commission on Railway Board be implemented in order to bring about efficiency in the Administration.

Even today the Railway Administration is governed by the old and obsolete Acts of 80-90 years. These Acts and rules need wholesale modification in the light of the present conditions and requirements.

The hon. Minister has referred to the participation by workers in management. This is a good beginning. In the long run we would have to seek more and more participation by the workers. I also want that the legitimate demands of the workers should be considered sympathetically. That would satisfy the workers and increase productivity.

The Railway can play an effective role in removing regional imbalances. In order to open up backward and under-developed areas in our country new railway lines should be laid. It is regrettable that the proportion of expenditure as new railway lines to total expenditure on railways is steadily decreasing. It was 11 per cent to 13.5 per cent in 1948-49 but it had now come down to nearly 4 per cent. Unless the allocation on new lines is raised it is not possible to provide new railway lines in backward areas.

I find that no provision has been made for Konkon Railway in the Budget. If the Government want that the backward area may develop it should be willing to spend more on new railway lines. The Railway Ministry should convince the Planning Commission on this aspect.

Bombay is a metropolitan city where lakhs of people travel daily by trains. Most of these trains are overcrowded and the traffic problem in the city is becoming more and more complicated. A metropolitan transport organization was established in 1969 in order to solve the transport problems of metropolitan cities. It had made many a suggestions and drew certain schemes. These scheme could not be undertaken for want of funds. Now that the Government has allocated funds the work is likely to start.

In order to tackle the problem of huge rail traffic in Bombay area, the Fort Market Scheme involving Rs. 40 crores, Bandra-Goregaon scheme costing Rs. 28 crores and Kurla-Bhandup scheme costing Rs. 27 crores should be taken up immediately. Only then the transport problem of Bombay could be solved to some extent. The scheme to

join Western Railway and Central Railway by building a fly over at Bundra at a cost of Rs. 14 crores should be undertaken. But the purpose would not be solved by the fly over alone. I think the Bundra-Goregaon and Kurla Bandup schemes should also be undertaken.

Bombay is a big suburban city. A time table should be drawn for this city.

In view of the increasing number of women passengers the number of ladies compartments should be increased in suburban trains. I suggest that ladies specials be introduced from Bonivili to Churchgate. The Government plans to construct underground railway from Kurla to Bandra. I am of the view that such expensive plans need not be undertaken. The schemes involving lesser expenditure be undertaken soon. A well laid out and time-bound plan should be prepared to tackle the transport problem of Bombay.

An over bridge has been constructed at Palgarh station but it is at a distance of half a mile from the original gate. This causes great inconvinience to cyclists. Another over bridge should be constructed to overcome the difficulty.

A large number of commuters travel daily from Palgarh to Dhaman. They should be made entitled to seasonal tickets. A person holding a seasonal ticket should be allowed to carry 35 Kg. This would benefit a large number of hawkers who earn the daily bread by selling fruits and vegetables.

We should adhere to a policy providing for justice to labourers and the workers should try to minimize the hardships of the people at large. For that we should see that we get return of the money invested in Railways. It is important to end corruption and introduce re-organisation in the railways.

Shri R.D. Ram (Palamau) : The House would be surprised to know that a local representative has been elected to this house from hilly area for the first time. As yet no Railway Minister ever visited our area. I request the hon.Minister to pay a visit there and look into the problems of the people.

The Patna—Daltonganj line particularly needs the attention of the railway Administration. It takes 15 hours to reach Patna from Daltonganj which is hardly 185 Km., while a journey from Patna to Delhi takes only 16 to 20 hours which is 900 Km. This is the deplorable condition which ought to be remedied as early as possible.

I want to draw the attention of the hon. Minister towards the Patari region. A very important line in the area i.e., Barwadich to Chirmiri is lying incomplete since world war II. This line is hardly 103 Km. and if it is constructed it would give an opening to the backward area which is rich in natural resources and has immence potential development. It is very easy to complete this line. I am sorry to find out that this line is not included in the budget.

I welcome the reduction of cost of platform ticket from 50 paise to 30 paise. The reservation charges from 2nd class may also be reduced.

Ranchi—Lohordege railway line should be extended and linked with Daltonganj-Common line. Casual labourers at Daltonganj who have worked for 8 years are being retrenched on the plea that there is no work. The surplus casual labourers may be transferred to Surgaralli where there is good demand for casual labour. The hon. Minister may give due attention to Palamau District.

With these words I welcome the railway budget.

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : रेल मंत्री के भाषण से उनकी कर्मचारियों एवं यात्रियों के प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त होती है । उन्होंने 1 करोड़ से अधिक धन बहाल किये गये कर्मचारियों को दिया हैं । यात्रियों की सुविधा के लिए उन्होंने दो मंजली गाड़ियों, अधिक जनता गाड़ियों, पर्याप्त पेय जल आदि की व्यवस्था की है । उन्होंने अपनी नीति की घोषणा कर दी है । जिसे क्रियान्वित करने के लिये उन्हें काफी समय लग सकता है।

रेलवे कई अलाभप्रद लाइनों पर गाड़ियां चला रही है । रेलवे द्वारा 440 करोड़ रुपया देय है। इसके होते हुए वह सब बातों को कार्यान्वित कैसे कर पायेंगे ?

रेलवे कई सामाजिक दायित्व निभा रहा है क्योंकि यह केवल वाणिज्यक ही नहीं अपितु एक उपयोगी संस्था भी है । यह उपनगरीय यात्रियों को रियायत दे रही है। कोयला, खाद्यान्नों, उर्वरकों, लौह अयस्क इत्यादि का परिवहन सस्ती दरों पर करता है । अन्य देशों में सामाजिक दायित्व सरकार द्वारा निभाये जाते हैं । जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और अन्य देशों में रेलवे की क्षति सरकार द्वारा बट्टे-खाते में डाल दी जाती है । साथ ही यह कम ब्याज की दरों पर ऋण भी देती है । अतएव रेल मंत्री को बातचीत करके अपने कुछ सामाजिक दायित्व उसे सौंप देने चाहिए तभी मंत्री महोदय अपने बजट भाषण में दिये गये आश्वासनों को पूरा कर सकते हैं।

रेलों पर जब 440 करोड़ रुपए का ऋण है तब उन्होंने राज्य सड़क परिवहन निगमों को 10 करोड़ रुपए क्यों दिया है ।

गुंटकल डिवीजन के रेलवे कर्मचारियों की वर्ष 1973 से समयोपरि भत्ते तथा रात की ड्यूटी के भत्ते की कुछ राशि बकाया पड़ी है । उसका भुगतान शीघ्र किया जाना चाहिए ।

नाड़ीकूडी से बीबीनगर तक बड़ी लाइन के निर्माण के लिए इस वर्ष केवल 30 लाख रुपए दिये गये हैं । यह कार्य 4 करोड़ से कम लागत पर पूरा नहीं हो सकता ।

तिरूपति से कटपड़ी तक एक मीटर लाइन है जो दक्षिण रेलवे को दक्षिण मध्य रेलवे से जोड़ती है । इसे बड़ी लाइन में बदल दिया जाये । अतः यह आवश्यक है कि इस लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाये ।

हैदराबाद से बंगलौर तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है । धर्मवरम से पकाला तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना बहुत आवश्यक है । इससे सर्किल पूरा हो जायेगा । इसके बाद कोई लाइन बनाने की आवश्यकता नहीं होगी । मैसूर को उत्तर से जोड़ने के लिये कोलार गोल्डफील्डस् से चित्तूर तक एक लाइन बनाई जानी चाहिये। यह छोटा रास्ता होगा । जालारपेट्ट, मद्रास और वहां से गुडूर और फिर विजयवाड़ा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये ।

मेरा यह भी सुझाव है कि गुन्टाकल डिवीजन को दक्षिण-मध्य रेलवे और शोलापुर डिवीजन को मध्य रेलवे के साथ जोड़ा जाना चाहिये ।

पीछे बहुत रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। प्रतीत होता है कि हमारी रेल लाइनें तेज रफ्तार की गाड़ियों को चलाये जाने के लिये पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं। अतः पहले रेलपथ को मजबूत बनाना होगा। ऐसा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में कंक्रीट के स्लीपर बनाये जाने चाहिये।

बिना टिकट यात्रा को रोका जाना चाहिए। कुछ लाइनों पर बिना टिकट यात्रा बहुत है। जब तक इसे रोकने के लिये कुछ कार्यवाही नहीं की जाती तब तक धन की वसूली और राजस्व में वृद्धि नहीं की जा सकती।

पिलेरु में एक फ्लेग स्टेशन बनाया जाना चाहिये। तिरुपति के निकट मंगलीपट, जो कि एक मध्यवर्ती स्टेशन है, को स्थायी स्टेशन बनाया जाना चाहिये।

श्री दाजिबा देसाई (कोल्हापुर) : सर्वप्रथम मैं 1974 की रेल हड़ताल के दौरान उत्पीड़ित सभी कर्मचारियों को बहाल किये जाने के निर्णय के लिये रेल मंत्री को बधाई देता हूं। उन्होंने शुरूआत बहुत अच्छी की है और बिना किराया बढ़ाये बचत का बजट प्रस्तुत किया है।

लगभग 2000 करोड़ रुपये की आय में यात्री सुविधाओं के लिये 4.22 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की जा रही है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। इसमें वृद्धि की जानी चाहिये।

वर्ष 1977-79 के योजना परिव्यय के अनुसार नई रेलवे लाइनों के लिये 230 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। लेकिन इस वर्ष केवल 50 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। इस प्रकार के कार्यकरण से योजना परिव्यय पूरी तरह खर्च नहीं होगा। मैं मंत्री महोदय से योजना आयोग को आश्वस्त करने के लिये अनुरोध करता हूं ताकि अधिक नई लाइनें बिछाई जा सकें।

प्राथमिकताएं निर्धारित की जायें तथा नई रेल लाइनें बिछाये जाने के बारे में निश्चित सिद्धांत बनाये जायें। ऐसे निर्णय तदर्थ आधार पर नहीं किये जाने चाहिए।

छोटी और मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य तेजी से पूरा किया जाना चाहिये। इससे न केवल खर्च में बचत होगी अपितु यात्रियों की कठिनाइयां भी दूर होंगी।

रेलवे में बहुत व्यर्थ व्यय होता है। इस बरबादी को रोका जाना चाहिये। यह भ्रष्टाचार का भी एक स्रोत है। इसकी गम्भीरता से जांच की जानी चाहिये तथा स्थिति को सुधारा जाना चाहिये।

शिक्षित बेरोजगारों को रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टाल दिये जाने चाहियें। एक-दो कम्पनियों, जो कि देश में इन स्टालों को चला रही हैं, के एकाधिकार को समाप्त किया जाना चाहिये।

प्रो० आर० के० अमीन (सुरेन्द्रनगर) : मंत्री महोदय ने वीरमगाम और ओखा के बीच की लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की बात स्वीकार कर ली है और इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। लाइन बदलने का काम जल्दी पूरा किया जाना चाहिये क्योंकि यह किफायती होता है। अतः इस लाइन को बदलने का काम जल्दी पूरा किया जाना चाहिये।

यह भी प्रसन्नता की बात है कि भावनगर-तारापुर लाइन, जिसकी गत कई वर्षों से मांग की जा रही है, को भी स्वीकृति दे दी गई है। अतः इस बार इस लाइन पर काम शुरू करने के लिये कुछ आंशिक व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि रेलवे एक-दो वर्षों के भीतर गुजरात की इस लाइन को पूरा करने की स्थिति में हो जाये।

मंत्री महोदय ने अहमदाबाद-दिल्ली मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का संकेत दिया है इस कार्य को भी कम से कम समय में पूरा किया जाना चाहिये । देश में एक समान गेज प्रणाली होनी चाहिये । यदि इस काम को न्यूनतम समय में पूरा कर दिया जाता है तो इससे माल लाने-ले-जाने में बहुत सहायता मिलेगी । इससे देश के आर्थिक विकास में भी सहायता मिलेगी ।

कुडा और ध्रांगधरा के बीच 20 किलोमीटर का फासला है । यदि यहां पर एक रेल सम्पर्क बना दिया जाता है तो उस क्षेत्र में बनाये जाने वाले नमक का कम से कम 50 प्रतिशत कुडा से देश के अन्य भागों में बिना अधिक खर्च के भेजा जा सकता है । साथ ही खरखोदा और जिंजीवादा में बहुत कम फासला है । यदि इन दोनों स्थानों के बीच रेल लाइन बना दी जाती है तो नमक का परिवहन बहुत सुविधाजनक हो जायेगा।

सौराष्ट्र क्षेत्र में, विशेषकर गुजरात में मुख्य लाइन के साथ एक छोटी रेल लाइन है । रजवाड़ों के कारण हमारे देश के रेलवे का विकास समेकित ढंग से नहीं हुआ है । कई स्थान ऐसे हैं जहां पर 10 से 15 किलोमीटर की लाइनों की व्यवस्था की जा सकती है। यदि ऐसा किया जाता है तो सारे देश में माल का परिवहन सुविधाजनक हो जायेगा ।

हलवाड़ और ध्रांगधरा के बीच एक गाड़ी की व्यवस्था की गई है । इनके बीच केवल 30 किलोमीटर का फैसला है । यह गाड़ी सुबह अपने गन्तव्य स्थल पर पहुंचती है और सारा दिन वहां रह कर शाम को लौटती है । एक बार जब इन दोनों स्थानों के बीच रेलसेवा शुरू की गई है तो बेहतर होगा कि गाड़ी के चक्कर बढ़ा दिये जायें ।

1968 से मांग की जा रही है कि दिल्ली और अहमदाबाद के बीच मीटर लाइन पर एक बहुत तेज रफ्तार वाली गाड़ी चलाई जाये । इस संबन्ध में कई आश्वासन दिये गये पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई । यदि दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली 'डीलक्स' और 'राजधानी' गाड़ियों के समय इस प्रकार निर्धारित किये जायें कि अहमदाबाद जाने वाला व्यक्ति बड़ौदा से तेज रफ्तार की गाड़ी को गाड़ी से उतरने के कुछ देर बाद पकड़ सके तो इससे उक्त उद्देश्य हल हो जायेगा ।

दूसरे दर्जे के वातानुकूलित शयनयान आजकल अधिकाधिक लोकप्रिय हो रहे हैं । यह सुविधा बड़े पैमाने पर अधिक गाड़ियों में आरम्भ की जानी चाहिये । सम्भवतः यह प्रणाली रेलवे के लिये अधिक लाभप्रद है । अतः जितनी गाड़ियों में सम्भव हो यह सुविधा प्रदान की जाये और साथ ही एक डिब्बे के स्थान पर दो डिब्बों की व्यवस्था की जाये ।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम) : रेलवे बजट उत्साहजनक नहीं है । एक पूर्व अनुमान द्वारा 65 करोड़ रुपये के मुनाफे का अन्दाजा लगाया गया था, परन्तु अब यह मुनाफा घटकर केवल 32 करोड़ रुपये रह गया है । योजना परिव्यय भी 501 करोड़ रुपये से घटाकर 408 करोड़ रुपये कर दिया गया है और यात्रियों को कोई विशेष राहत नहीं दी गई है।

मंत्री महोदय नगर निवासियों की समस्याओं से अच्छी तरह परिचित हैं । यदि वह प्लेटफार्म टिकट की दर घटाने की बजाय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली जैसे बड़े शहरों के दैनिक यात्रियों के सीजन टिकट में कुछ कमी करते तो बेहतर होता ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि वह अलेप्पी-एरणाकुलम् लाइन के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। अनुमान लगाया गया है कि इस लाइन द्वारा 18.8 प्रतिशत का लाभ होगा। फिर भी उन्होंने कहा है कि हम इस लाइन के निर्माण के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। गुरुवयूर–त्रिचूर जैसी महत्वपूर्ण लाइन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पहली सरकार ने इस लाइन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। इसे उचित महत्व दिया जाये। मुझे आशा है कि अपने उत्तर में रेल मंत्री कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिनसे लम्बी दूरी वाले यात्रियों को काफी हद तक राहत मिलेगी ।

श्री चरण नरजरी (कोकराझार) : आसाम राज्य में रेल संचार के सुधार के लिये कुछ कार्यवाही नहीं की गई है। वहां केवल एक मीटर लाइन है। बड़ी लाइन जिसे बंगाल की सीमा से बढ़ाकर आसाम तक ले जाया गया है वह केवल 40-50 मील लम्बी है।

आसाम प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। इमारती लकड़ी, खनिज तेल, बास, पटसन और कई अन्य पदार्थ यहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। ये सभी संसाधन राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के आधारभूत अंग है, लेकिन आसाम में समुचित रेल सेवाओं के अभाव में इन वन उत्पादों, खनिज पदार्थों और अन्य वस्तुओं के परिवहन में बहुत कठिनाई होती है। रेलवे को आवश्यक परिवहन सुविधायें प्रदान करनी चाहियें।

जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र पर एक और पुल बनाये जाने की आवश्यकता है। यदि यह पुल बनाया जाता है तो इससे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को बहुत लाभ होगा।

दुबरी और गोहाटी के बीच एक स्थानीय गाड़ी चलती है और पूरे वर्ष यह गाड़ी बिना कंडक्टर के चलती रही है। इसके परिणामस्वरुप बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों की संख्या तो बढ़ी है ही साथ ही चोरियां और डकैतियां प्रायः पड़ती रही हैं। मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिये ।

कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर शेड नहीं बने हुए हैं। यात्रियों को तपती धूप के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई रेलवे स्टेशनों पर ऊपरी पुल नहीं है जिसके फलस्वरुप प्रायं कई भीषण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं रेल मंत्री से अपील करता हूं कि कोई ऐसा नया कदम उठाया जाये जिससे इस क्षेत्र के लोगों में अपनी सुरक्षा के प्रति भावना पैदा हो जाये।

श्री बी० के० नायर (मवेलीकारा) : इस बजट से कुछ राहत मिली है क्योंकि इससे कोई नया भार नहीं डाला गया है। इसके लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए।]

[Shri M. Satyanarayan Rao in the Chair]

केरल की जनता के लिये यह बजट बहुत असन्तोषजनक है। केरल में रेलों के विकास के लिये इसमें कोई योजना नहीं है। जहां अखिल भारतीय प्रति 10 लाख की जनसंख्या के लिये 110 किलोमीटर औसत आती है वहां केरल में यह 42 किलोमीटर से अधिक नहीं है। परन्तु हमें इस आश्वासन से सन्तोष मिल जायेगा कि अलेप्पी-एरणाकुलम लाइन उचित समय में ही पूरी हो जायेगी ।

एरणाकुलम को अलेप्की से मिलाने के लिये कोई रेलवे लाइन नहीं है। एरणाकुलम-अलेप्पी रेलवे लाइन हम लोगों के लिये बहुत जरूरी है। यह लाईन 35 मील लम्बी होगी।

न्याय की मांग तो यह है कि केरल में रेलों के विकास के लिए इसके साथ अलग से व्यवहार किया जाये। जब तक कोई क्षेत्र 100 किलोमीटर की औसत से कम रहता है उस क्षेत्र को न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

केरल सभी आर्थिक संसाधनों से सम्पन्न है और बिजली पानी तथा भूमि भी उपलब्ध है। केरल में रेल परिवहन का अभाव है। अतः भारत सरकार को इस क्षेत्र के विकास करने में विशेष रुचि लेनी चाहिये और इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये।

वहां शुरू की गयी दो रेलवे लाईनों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है जबकि इन परियोजनाओं पर 17 करोड़ रुपये से अधिक लागत नहीं आयेगी। इसमें से एक गुरुपयूर-कुट्टुपुरम रेल लाईन है जिस पर 11.5 करोड़ रुपए से अधिक लागत नहीं आएगी और दूसरी एलेप्पी-अरणाकुलम लाईन है जिस पर 5.5 करोड़ रुपए से अधिक लागत नहीं आएगी। केरल सरकार ने भेंट के रूप में इन पर लगने वाली लकड़ी और भूमि देने का वचन दिया है। युवक संगठनों के निर्माण कार्य में 'श्रमदान' करने का वचन दिया है। मंत्री महोदय को इन परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य आरम्भ करा देना चाहिए।

यह बात संतोष की है कि मंत्री महोदय ने एन० एफ० आई० आर० के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में अपने सहयोग का आश्वासन दिया है। हम भी उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देंगे। आशा है मंत्री महोदय कर्मचारियों की मांगें पूरी करने की अपनी जिम्मेदारी से यह कह कर पीछे नहीं हटेंगे कि वार्ता बाद में की जायेगी। भले नियोजकर्ता के रूप में मंत्री महोदय मंहगायी भत्ते में 12.5 प्रतिशत वृद्धि करेंगे क्योंकि पिछले वर्ष निर्वाह व्यय में 12.5 प्रतिशत वृद्धि हो गई थी। उन्हें 8.33 प्रतिशत बोनस देने की भी घोषणा करनी चाहिये तथा अनिवार्य जमा राशि का भी भुगतान कर देना चाहिये।

जहां तक प्रबन्ध-व्यवस्था में श्रमिकों को शामिल करने का सम्बन्ध है इसे केवल वार्ता या चर्चा तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि निर्णय लेने के मामलों में भी श्रमिकों से सलाह ली जानी चाहिये। जिन स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों तथा लोको कर्मचारियों ने नियम के अनुसार कार्य करना आरम्भ किया था, उन्हें अनेक प्रकार से दंड दिया जा रहा है। उनके सभी दंड माफ कर देने चाहियें तथा उन्हें जो आर्थिक, पदोन्नति आदि से हाथ धोने पड़े थे, वे सभी बहाल कर दिये जाने चाहिएं।

स्थानीय संघों, क्षेत्रीयवार बनाये गये संघों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। केवल केन्द्रीय संगठनों को ही मान्यता देना श्रमिकों तथा पुष्ट औद्योगिक सम्बन्धों के ही हित में रहेगा।

Shri Anant Dave (Kutch) : I support the budget presented by the Hon. Railway Minister.

Kutch is a backward area of Gujarat. New railway lines in this Distt., for which survey has already been made are not being proceeded with for fear of no return from those lines. This area has rich mineral deposits.

Secondly, this is a border district. We should think in the context of Defence. These should be taken up at the earliest.

Two trains start from Gandhidham. No catering facilities are available in these trains upto Viramgam where a dining car is added to the train. It will be better if the dining car is added at Gandhidham.

The work of the railway lines, in backward areas for which survey has been conducted, should be taken up even if there is no returns from those lines.

There are 199 backward Districts out of total 349 in the country. The work of laying new lines in the backward Districts with rich mineral deposits should be taken up on the basis of priority.

I hope Railway Minister will look into these demands.

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रतनागिरी) : मैं रेल मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट का स्वागत करता हूं। लेकिन मंत्री महोदय को बधायी देते हुये मुझे यह बताते हुये खेद होता है कि कोंकन की जनता इस बजट से निराश है। बजट में कोंकन की किसी भी रेलवे लाईन का जिक्र नहीं है। मैं समझता हूं की इनकी कई कठिनाईयां हैं।

यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा तथा गरीब है। इस क्षेत्र में संचार के कोई भी साधन नहीं हैं। कोंकन रेलवे लाईन के बारे में मेरे एक प्रश्न के उत्तर के बारे में मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि इस लाईन का काम शुरू करने के बारे में शीघ्र ही उचित कदम उठाये जायेंगे। कई वर्षों से इसी प्रकार के वायदे तथा आश्वासन दिये गये हैं। मंत्री महोदय हमें बतायें कि कोंकन रेलवे लाईन के बारे में उन्हें क्या कठिनाई है।

मंत्री महोदय के भाषण से प्रतीत होता है कि इस लाईन के लिये योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से साधन जुटाये जा रहे हैं।

नई रेलवे लाईनों तथा रेलवे पर होने वाले व्यय की स्थिति के अनुपात का उल्लेख किया गया है। इस वर्ष यह अनुपात केवल 4.6 प्रतिशत है जो कम हो गया है। रेल मंत्री को इस सम्बन्ध में प्रतिशतता में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिये।

महाराष्ट्र राज्य ने कोंकण रेलवे लाईन परियोजना के लिये निःशुल्क भूमि देने का वचन दिया था और मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि वह इस विशेष रेलवे लाईन के निर्माण के लिए ईंधन सप्लाई करने के प्रश्न पर विचार करेंगे। यदि इस पहलू पर विचार किया जाये तो इस परियोजना की अनुमानित लागत में से 30 करोड़ रुपये की राशि कम होकर 230 करोड़ रुपये रह जायेगी।

क्या मंत्री महोदय उक्त समिति के सुझावों एवं मुख्य मंत्री के वादों को ध्यान में रखते हुए इस लाईन के निर्माण पर विचार करेंगे? मंत्री महोदय को आश्वासन देने के स्थान पर निर्धारित समय बता देना चाहिए कि यह परियोजना तब प्रारम्भ की जायेगी।

श्री जी० एस० रेड्डी (मिरायलगुडा) : आंध्र प्रदेश के अनेक संसद सदस्यों ने बीबी नगर और नाडीकुडी रेलवे लाइन की आवश्यकता पर बल दिया है। पहले इसमें गुन्टूर-मायरला छोटी रेलव लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना भी शामिल है लेकिन बाद में गुन्टूर-मायरला रेलबे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने का कार्य इससे अलग कर दिया गया। बीबीनगर और नाडीकुडा के बीच रेलवे लाइन को दो चरणों में विभाजित कर दिया गया है। प्रथम चरण के लिए इस वर्ष केवल एक करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई हैं जब कि पहले वर्ष के खर्च का अनुमान 4 करोड़ रुपए तथा उसके बाद प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपए का है। मेरा निबेदन है कि इसके लिए पर्याप्त धन दिया जाये। या रेलबे लाइन नागार्जुन सागर क्षेत्र से मूल्यवानउत्पाद करने की दृष्टि से प्रारम्भ की गई थी, लेकिन बाद में रेलवे बोर्ड ने

इस परियोजना को उतनी प्राथमिकता नहीं दी। पता नहीं योजना आयोग अधिक राशि देने से क्यों झिझक रहा है।

इस चरण में केवल 30 किलोमिटर तक का ही कार्य हुआ है जबकि नालगुण्डा तक की दूरी 50-60 किलोमीटर है। नालगुण्डा के केवल किनारे वाले क्षेत्र को छोड़कर जिसमें केवल 10 मील तक ही लाइन है, उस समूचे जिले में कोई लाइन नहीं है। यह समूचा जिला, बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है तथा इसमें विकास कार्य आरम्भ करने की बहुत आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र के बहुमूल्य उत्पादों का सदुपयोग किया जा सके।

श्री यशवंत बोरोल (जलगांव) : यह सराहनीय बजट है क्योंकि यह परम्परागत बजटों से भिन्न है। इसकी पहली विशेषता प्रशासन का विकेन्द्रीकरण है। इसमें जनता रेल गाड़ी का भी प्रावधान है।

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में प्रतिवर्ष केले ढोने के लिए 12000 से 14000 मालडिब्बों की आवश्यकता होती है और हम रेल प्रशासन को प्रति वर्ष 4.5 करोड़ रुपए भाड़े के रूप में देते हैं। यह भाड़ा बहुत ही अधिक है। हमें 10000 रुपए प्रति माल डिब्बा मिलते हैं जिसमें से हम 3000 रुपए रेल भाड़े के रूप में देते हैं। यह सामान्य भाड़ा नहीं है। अपितु हमारे ऊपर लादा गया विशेष भाड़ा है। यह वातानुकूलित किराये से भी कहीं अधिक है। वहां कोई प्रति स्पर्धा मोटर परिवहन भी उपलब्ध नहीं है। रेलवे के विभिन्न सेक्शनों में वसूल किये जाने वाले भाड़े में इतनी असमानता नहीं होनी चाहिए। 1949 में भुसावल से भाड़ा 580 रुपए था जो 1970 में 1964 रुपए हो गया और अब 2840 रुपए हो गया है।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि भाड़ों में यथासम्भव एकरुपता लाने का प्रयत्न करें।

श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ आंकड़ों की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 1975-76 के दौरान रेलवे को किराये भाड़े में कुल 210.54 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी और 108.22 करोड़ रुपए व्यय हुआ था। लेकिन इस वर्ष सम्भावित आय और अनुमानित परिव्यय क्रमशः 122.69 करोड़ रुपए और 110.46 करोड़ रुपये होने की आशा है। समझ में नहीं आता कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष आय कम और व्यय अधिक क्यों हो रहा है।

दूसरी बात यात्रियों की सुविधाओं के बारे में हैं। रेल मंत्री ने सुविधाओं के लिए 4.34 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। कर्मचारियों के कल्याण के लिये 70.49 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इससे तो ऐसा लगता है कि यह बजट मुसाफिरों के कल्याण के लिए न होकर रेल कर्मचारियों के कल्याण के लिए है। हमारे देश में लगभग 5000 स्टेशन हैं और कई स्टेशनों में पेय जल तक ही की व्यवस्था नहीं है।

विभिन्न रेलवे जोनों की आय की तुलना से पता चलता है कि उत्तर पूर्वी तथा उत्तर सीमांत रेलवे क्रमशः 12.6 करोड़ तथा 11.8 करोड़ रुपए की हानि में चल रही हैं। इसके पीछे क्या राज़ है। क्या इन जोनों में बहुत अधिक मुसाफिर बिना टिकट सफर करते हैं?

कई सुविधाएं अधिक खर्चा किए बिना ही दी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए शयन यानों में स्थानों का वितरण अधिक युक्तिसंगत बनाने की गुंजाइश है।

मंत्री महोदय इन सब बातों पर विचार करें।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) सर्वप्रथम मैं दोनों पक्षों के सदस्यों का वाद-विवाद में भाग लेने के लिए धन्यवाद करता हूं ।

तेजपुर एक्सप्रेस के दुर्घटनास्थल, जोकि गोहाटी से 110 किलोमीटर है, मैं स्वयं गया था। दुर्घटना में 85 व्यक्ति मारे गये । इस संबंध में एक वक्तव्य मैंने सभा पटल पर रखा है । उस वक्तव्य के बारे में कुछ सदस्यों में गलतफहमी पैदा हो गई है । कुछ सदस्यों ने कहा है कि मैंने इस दुर्घटना को दैवी माना है । यदि उसमें इस बात का जिक्र है तो इसलिए कि रेल सुरक्षा आयुक्त ने अपनी प्रारम्भिक जांच में कहा है कि दुर्घटना के लिए कोई रेल कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है और यह दैवी घटना है।

कुछ सदस्यों ने सन्देह व्यक्त किया है कि सिंचाई विभाग जल निकासी कपाट न खोलने के कारण इसके लिए जिम्मेवार हैं । ऐसी स्थिति में, लोगों की इच्छा का मान करते हुए, मैंने यह निर्णय किया है कि हम अतिरिक्त रेल सुरक्षा आयुक्त के निष्कर्षों पर ही निर्भर नहीं रहेंगे परन्तु इस पूरे मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग नियुक्त करेंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि श्री कुरेशी ने रेलवे श्रमिकों का प्रबल समर्थन किया है। आपात स्थिति के समाप्त होने पर उनमें यह भावना पैदा हुई है ।श्रीमती पार्वती कृष्णन ने भी श्रमिकों के पक्ष का प्रबल समर्थन किया हैं । मैं इस ओर भरसक प्रयत्न करूंगा ।

श्री टी० ए० पाई को आर्थिक मामलों में व्यापक अनुभव है । उन्होंने कहा है कि बजट में 22 करोड़ टन माल की ढुलाई का अनुमान दिया गया है । जोकि उनकी राय में प्रगति नहीं है । और इस संबंध में उन्होंने 1969-70 के आंकड़ों का उल्लेख किया है । उनका कहना है कि 1969-70 में 20.7 करोड़ टन माल की ढुलाई हुई थी, अब मंत्री महोदय ने 22.0 करोड़ टन ढुलाई का उल्लेख किया है । प्रगतिशील मंत्री से उन्हें इतनी कम प्रगति की आशा नहीं थी। परन्तु वास्तविकता यह है कि 1969-70 की 20.7 करोड़ टन की ढुलाई में 3.4 करोड़ ऐसी ढुलाई भी सम्मिलित थी जिस पर कोई राजस्व नहीं लगता, जैसे हम अपनी पटरियां और फुटकर हिस्से ढोते हैं ।

श्री टी० ए० पाई : मैं रेलवे की क्षमता की तुलना कर रहा था । हमें देखना है कि हमने जो धन लगाया है उससे वास्तविक उत्पत्ति हो । मैं आपकी नीति की आलोचना नहीं कर रहा था।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अक्षमता का बचाव नहीं कर रहा, भले ही वह अक्षमता मेरी ही क्यों न हो । मैंने जो आंकड़े दिये हैं उसमें राजस्व अर्जित न करने वाली ढुलाई सम्मिलित नहीं है । मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि पांचवीं योजना के अंत तक हमने 25 करोड़ टन ढुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया था जबकि इस बजट के अनुमानों में हमने 24.3 करोड़ टन ढुलाई का अनुमान लगाया है। पांचवीं योजना में अभी एक वर्ष और शेष है ।

कर्मचारियों की बहाली के बाद मैं कई उत्पादन केन्द्रों में गया, मैंने देखा कि बहाल किये गये कर्मचारी नये उत्साह से कार्यरत हैं । हमने हिसाब लगाया है केवल अप्रैल के मास में पिछले वर्ष के अप्रैल मास की तुलना में 10 लाख टन अधिक ढुलाई हुयी। मैं समझता हूं रेल, सड़क तथा नौवहन में समन्वय होना चाहिये । समन्वय कुछ महीनों में नहीं लाया जा सकता ।

श्री टी० ए० पाई : आपने इस अप्रैल की गत वर्ष के अप्रैल से तुलना की है । पिछले मार्च में क्या स्थिति थी ?

श्री मधु दण्डवते : तुलना प्रायः वर्ष के उन्हीं मासों की की जाती है।

श्री टी० ए० पाई : मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि प्रति वर्ष फरवरी-मार्च में कार्य अधिक होता है तथा अप्रैल में कम।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री पाई के कथन से तो कर्मचारियों को और भी श्रेय मिलता है क्योंकि उनके परिश्रम से अप्रैल में फरवरी मार्च की अपेक्षा और भी अधिक कार्य हुआ है।

श्री पाई ने रचनात्मक सुझाव दिया है कि रेलवे को सामान्य राजस्व से धन नहीं लेना चाहिए। मैं आपकी सलाह से सहमत हूं। आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि हम सामान्य राजस्व से धन नहीं ले रहे हैं। 225.32 करोड़ रुपए लाभांश देने के पश्चात् हमारा बजट 32.5 करोड़ लाभ का है। पहले लाभांश सामान्य राजस्व से देकर 65 करोड़ का लाभ रहा था, जबकि अब लाभांश अपने स्रोतों से देकर 32.5 करोड़ रुपए का लाभ है। मुझे इतने पर सन्तोष नहीं है। मैं चाहता हूं कि रेलें और अधिक प्रगति करें। पिछली विकास दर में वृद्धि 56 लाख टन रही है जबकि 1977-78 के लिए 78 लाख टन वृद्धि का अनुमान है। 1976-77 में भूतपूर्व सरकार ने किराये भाड़े की दरों में वृद्धि करके आपात स्थिति में 87.5 करोड़ की बचत की थी।

एक माननीय सदस्य : कृपया राजनीतिक भाषण न दें।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा। यदि हमने लाभांश अपने स्रोतों से न दिये होते तो लाभ 225 करोड़ रुपए बढ़ जाता।

लोक सभा के 30 सदस्यों ने विभिन्न भागों में 75 नई रेल लाइनों के निर्माण करने का सुझाव दिया है। इन पर कुल खर्च 1,369 करोड़ रुपये बैठता है। वित्तीय कठिनाई के कारण ये सारी लाइनें एक साथ पूरी नहीं की जा सकतीं। हमें प्राथमिकता निर्धारित करनी होगी। किसी स्टेशन पर किसी गाड़ी को खड़े करने आदि के लिये हमें सिद्धांत बनाने होंगे और जो सुझाव इन सिद्धांतों के अनुरूप होगा उस पर अमल किया जायेगा।

कुछ सदस्यों ने मार्टिन बर्न रेलवे के कर्मचारियों का प्रश्न उठाया है। परिचालन हानि को पूरा करने के लिये रेलवे इस कंपनी को प्रति वर्ष 20 लाख रुपये दे रही है। तब भी वह इस लाइन को भली प्रकार नहीं चला पा रही है। यदि हमें यह महसूस हुआ कि वह इस लाइन को चलाने में असमर्थ है तो ऐसी अवस्था में उस रेलवे के सभी कर्मचारियों को खपाने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री टी० ए० पाई : क्या आप इसे बड़ी लाइन में नहीं बदल रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप जानते हैं कि इसमें कितना खर्चा होगा।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : सरकार इस लाइन को अपने हाथों में ले ले अन्यथा यात्रियों को नुकसान होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : इसे केवल अपने हाथों में ले लेने से काम नहीं चलेगा। मैं सभा में इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सरकार इस लाइन को अपने हाथों में लेगी।

जहां तक नई लाइनों का संबंध है, श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे ने कहा है कि जब कभी नई लाइनें बिछाई जाती हैं तो ये लाइनें औद्योगिक विकास के लिये आधारभूत ढांचा समझी जाती हैं क्योंकि

देश में सभी राजनीतिज्ञों का दृष्टिकोण औद्योगिक विकास होता है । सुझाव दिया गया है कि कृषि के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में नई लाइनें बिछाते समय उद्योगों के साथ कृषि को भी ध्यान में रखा जायेगा तथा इस बात को भी ध्यान में रखा जायेगा कि पिछड़े क्षेत्रों को अनाज भेजा जा सके। यह जनता पार्टी के सामान्यता ग्रामीण-प्रधान रवैये के अनुरूप होगा ।

मजदूर संघों के साथ किये जा रहे परामर्श का भी उल्लेख किया गया है । जहां तक भ्रष्टाचार या सदाचार को समाप्त करने या कुशलता बढ़ाने या रेलों की परिचालन कुशलता बढ़ाने का संबंध है मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि सभी मजदूर संघों ने अपना पूरा-पूरा सहयोग देने का वचन दिया है । मैंने संघों के अधिकारियों और मजदूर नेताओं से सीधे बात करके काम करने का नया तरीका अपनाया है । उनसे हुई पहली मुलाकात बड़ी दिलचस्प रही और सभी फेडरेशनों और संघों ने, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि केन्द्रीय स्तर पर जो निगमित उद्यमी दल काम कर रहा है, उसे निचले स्तर तक लाया जाये। अपने बजट भाषण में मैंने इस प्रयोग का उल्लेख किया था और मुझे विश्वास है कि इसके परिणाम अच्छे निकलेंगे।

यह खेद की बात है कि रेलवे मजदूर संघ अभी भी बंटे हुए हैं । रेलवे में केवल दो मान्यता प्राप्त संघ हैं । रेलवे में लोको संघ हैं तथा अन्य कई श्रेणियों ने भी अपने-अपने संघ बनाये हुए हैं । यदि वे इसी प्रकार अलग-अलग रहते हैं, तो उनकी सौदा करने की शक्ति कम होती है तथा रेलवे कर्मचारियों की क्षमता भी कम होती है । इससे रेल प्रशासन के लिये अनुशासन बनाये रखना कठिन हो जाता है । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मई, 1977 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन ने मान्यता देने के प्रश्न और एक उद्योग में एक संघ की स्थापना करने के औचित्य का अध्ययन करने के लिये एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया है । इस बीच हम रेलवे के सभी मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त संघों से इस संबंध में बात करेंगे ।

सैलूनों के दुरुपयोग किये जाने की आलोचना की गई है । यह निरीक्षण कोचों के लिये एक प्रचलित नाम है । सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सभी महाप्रबन्धकों को यह अनुदेश दिये गये हैं कि बैठकों अथवा समारोहों में भाग लेने के लिये सामान्यतः सैलूनों का उपयोग न किया जाये । जब कभी कोई अधिकारी ऐसे बाहरी क्षेत्रों या वन प्रदेश में जाये जहां लाइन का भली प्रकार निरीक्षण करना हो और जहां रहने तथा भोजन आदि का प्रबंध न हो, केवल तब ही निरीक्षण कोचों या सैलूनों का उपयोग किया जाये।

जलपान और बुक स्टालों के ठेके दिये जाने की भी कड़ी आलोचना की गई है । मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस क्षेत्र में कुछ लोगों के एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास करेंगे । परन्तु यह सब धीरे-धीरे होगा क्योंकि ठेके पहले ही दिये जा चुके हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को नया ठेका नहीं दिया जायेगा जिसके पास पहले ही एक ठेका है । हम ईमानदार और निष्ठावान सहकारी संस्थाओं को इस संबंध में प्राथमिकता देंगे ।

बुक स्टालों क संबंध में एक कठिनाई है । सुझाव दिया गया है कि ये स्टाल शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को दिये जायें परन्तु पता चला है कि जब कभी ये बुक स्टाल किसी शिक्षित बेरोजगगार व्यक्ति को दिये जाते हैं तो वे कहते हैं कि उनके पास आवश्यक संसाधन नहीं हैं। अतः वे आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। हमें इस समस्या पर विचार करना होगा।

दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये गये हैं । हम इनकी संख्या कम करना चाहते हैं । अतः हम लाइनों और पुलों का निरीक्षण और अधिक अच्छी तरह करने के प्रश्न पर ध्यान देंगे और निरीक्षण इंजीनियरिंग मशीनरी को सुदृढ़ बनायेंगे । पुलों का समय समय पर निरीक्षण किया जायेगा विशेषकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में । हम यह सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रयास कर रहे हैं कि बाढ़ प्राधिकारियों और रेल प्राधिकारियों के बीच कुछ तालमेल हो ताकि हमें बाढ़ का पूर्वाभ्यास हो सके और हानि को बचाया जा सके । पुलों के नवनिर्माण के लिये 1975-76 में 5.9 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जबकि 1977-78 में यह 8.19 करोड़ रुपये है ।

श्रीमती मृणाल गोरे ने बम्बई में विक्टोरिया टर्मिनस से चर्च गेट तक केवल महिलाओं के लिये एक विशेष गाड़ी चलाये जाने की मांग की है । हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।

कुछ विपक्षी सदस्यों ने प्लेट फार्म टिकट का मूल्य 50 पैसे से कम करके 30 पैसे किये जाने की आलोचना की है । परन्तु पिछली सरकार ने एक गड़बड़ी की थी । निकटतम स्टेशन की टिकट का मूल्य 30 पैसे था जबकि प्लेट फार्म टिकट का मूल्य 50 पैसे था। कोई भी अकलमंद व्यक्ति 50 पैसे का प्लेट फार्म टिकट न लेकर 30 पैसे का टिकट ले सकता था। इस गड़बड़ी को दूर करने के लिये इसका मूल्य कम करके 30 पैसे किया गया है।

जहां तक रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन का प्रश्न है, विपक्ष में रहते हुए मैंने जो कुछ कहा है, मैं अपने सभी वायदों का पूरा करने की प्रयत्न करूंगा । मैं रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन का गहराई से अध्ययन करूंगा । हमने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को व्यापक रूप से माना है और उन सिफारिशों के आधार पर हम रेलवे बोर्ड के कार्य को और कारगर बनाने का प्रयत्न करेंगे ।

आपात स्थिति के दौरान बहुत से रेल कर्मचारियों ने कष्ट भोगे हैं । अतः मैंने यह स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था, नौकरी से निकाला गया था या समय से पूर्व रिटायर किया गया उन सबको बहाल किया जायेगा । कतिपय रेल कर्मचारियों को दण्डित करने के लिये अनुशासनात्मक नियम 14(2) का दुरुपयोग किया गया । हम उन सभी मामलों की जांच करेंगे । जो लोग भ्रष्टाचार के कारण निलम्बित किये गये हैं उन्हें हम सहन नहीं करेंगे । लेकिन जिन्हें राजनीतिक कारणों से या कार्मिक संघ गतिविधियों अथवा राजनीतिक मान्यताओं के कारण नौकरी से निकाला गया है उन्हें छः सप्ताह के अन्दर बहाल कर दिया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों के लिए हमने चयन ग्रेड बनाने की योजना भी तैयार की है जिससे लगभग 50,000 कर्मचारियों को लाभ होगा ।

कई राज्यों में विधि और व्यवस्था की विगड़ती हुई स्तिथि के सम्बन्ध में चर्चा

DISCUSSION RE. DETERIORATION IN LAW AND ORDER SITUATION IN SEVERAL STATES

अध्यक्ष महोदय: अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे ।

Sh. B.P. Mandal (Madhopur) : Sir, it is a matter of great regret that in many states of India the law & order situation has deteriorated. In Bihar alone, on the 10th June which was the election day, 22 persons were killed and 2 persons were killed the following day. According to my information, many more persons have been killed.

Our hon'ble Home Minister is well known as an able administrator, a man of integrity and honesty. It is very strange that all this happened in his time.

The reason is not far to seek. There is no change in the administrative set up in Bihar. Same old faces who were loyal to the Congress Government continue to hold high positions. The officers are involved in Belchi incident in which 9 persons were burnt alive. These atrocities were committed even when armed police including high ranking officers were present. The Minister should order an enquiry by C.B.I. or some similar agency.

But one thing should be taken care of. We have to maintain peace without resorting to firing. Our police should be instructed to use riot guns. The corrupt officers should also be dealt with firmly.

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : महोदय, शांति और व्यवस्था का प्रश्न सबके लिए चिंतनीय विषय है । वैसे तो यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि अपने-अपने राज्यों में शांति और व्यवस्था कायम रखे । पर क्योंकि हिंसात्मक गतिविधियां देश के उत्तरी भाग में जहां राष्ट्रपति शासन है, हो रही हैं अतः केन्द्र सरकार पर बात आ जाती है ।

शायद चुनावों के कारण ऐसा हो रहा है । पर किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं । बिहार में मरने वालों की संख्या काफी अधिक है ।

बेलछी गांव में घटी घटना बहुत शर्मनाक है । पुलिस के अधिकारी उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं और घटनाओं को रोकने की चेष्टा नहीं करते । भय है कि कश्मीर में भी हिंसात्मक गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं । भवंतीपुर कस्बा आधा जला दिया गया और 100 आदमी जख्मी हुए तथा बहुत सी सम्पत्ति का नुकसान हुआ । वहां नेशनल कान्फ्रेंस के कार्यकर्त्ता गड़बड़ कर रहे हैं ।

दिल्ली और पंजाब में भी कुछ घटनाएं हुई हैं । पंजाब में एक कांग्रेसी का घर जला दिया गया । जनता पार्टी का भी एक आदमी मारा गया । श्री रघुनन्दन लाल भाटिया, भूतपूर्व संसद सदस्य ने बताया है कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है । घर पर छापा मारा गया । स्त्रियों को घर छोड़ कर भागना पड़ा । एक मंत्री श्री हंसराज शर्मा को उपवास रखना पड़ा । जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान जय इन्द्र सिंह का घर जला दिया गया । उन्हें आग बुझाने से भी रोका गया ।

इस तरह से वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जुल्म हो रहे हैं । राजनीतिक हिंसा का वातावरण जोरों पर है ।

दिल्ली में सुन्दर डाकू के साथी दिन-दहाड़े जेल तोड़कर भाग लिए । आपने जांच कराने का आदेश देकर बहुत अच्छा किया है पर दिल्ली में भी शांति और व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है ।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : क्या सदस्य महोदय को पता है कि कांग्रेस शासन के समय 12 कैदी तिहाड़ जेल से भाग निकले थे ।

श्री वयालार रवि : इस से आप हाल की घटनाओं को न्यायोचित नहीं ठहरा सकते । कैदियों का भाग निकलना प्रशासन की असफलता ही माना जायेगा । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पास शस्त्रास्त्र हैं । वे देश में राजनीतिक हिंसा के लिए उत्तरदायी हैं । मैं चाहता हूं कि आप सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करने दें और जो समानातंतर सैनिक संगठन हैं वे लोकतंत्र के लिए खतरा हैं । उन पर कड़ा नियंत्रण रखा जाये ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, in a Democracy every citizen should feel secure. His property should be safe. During Emergency even the high ups indulged in corruption and kidnapping. There was law of jungle.

But today there is total freedom. We have to meet the expectations of the public while maintaining the democratic traditions.

The Police Act has become obsolete. We should appoint a high power commission at the All India level in accordance with the changes that have occurred in economic, social and political fields. The police force needs to be moderanised. Although in our country the crime rate is much less as compared with that of other countries but this does not mean that we should not take preventive action.

There are certain history sheeters of youth congress who are responsible for deterioration of law and order. The Home Minister should take stern action against them.

There is urgent need of appointing a Commissioner of Police in Delhi to coordinate the work. The previous Government had not fully implemented the recommendations of the Khosla Commission. The recommendations regarding housing, schooling of Children and proper training etc. should be implemented immediately. The senior officers of police like S. Ps. should themselves go in the field to see the conditions. They should not waste time only on the table work.

Bad characters should be held under MISA. We must take stern action against those who are professionals in giving sureties etc.

Instead of Bombay Act, Rajasthan Act will be more effective to deal with the Goondas and and hooligans.

I suggest separate departments for investigation, Law and Order and Surveillance. We should seek public cooperation to maintain law and order.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : आजकल राज्यों में एवं केन्द्र में राजनीतिक हिंसा की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है । हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं भी बढ़ी हैं । इन्हीं के कारण वलगमादा गांव के जो गुजरात में है, 200 हरिजन गांव को छोड़कर चले गये । सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करे ।

हरिजनों के साथ किये जा रहे अत्याचारों की घटनाओं का पता लगाने के लिए गृह मंत्री को सभी दलों की एक निष्पक्ष संसदीय समिति का गठन करना चाहिये । देश के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष विभाग स्थापित किया जाये ।

निहित स्वार्थ तथा प्रतिक्रियावादी विभिन्न संगठनों में घुस गये हैं । देश में शांति और व्यवस्था की स्थिति को उससे खतरा उत्पन्न हो गया है । सरकार को उस से निपटने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री समरेन्द्र कुण्डु (बालासोर) : जनता सरकार ने लोगों को आजादी वापस दिलाई है । लेकिन जहां कहीं भी गुंडागर्दी, डकैती, चोरी, मार-धाड़ आदि की घटनाएं हों उन्हें निर्भयता से कुचला जाना चाहिये ।

गत 30 वर्षों के कांग्रेसी शासन में पुलिस पर खर्च लगातार बढ़ता रहा है । लेकिन राजनीतिक हिंसा और कत्ल की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं । हम इस समस्या को हल नहीं कर पाये हैं । यह

पता नहीं चल पाया कि क्या पुलिस की सहायता से, डंडा और गोली से हिंसा को रोका जा सकता है ।

इस मामले के सामाजिक पहलू पर भी विचार करना होगा । पुलिस दल को नया रूप देने और उसमें आवश्यक परिवर्तन करने का समय आ गया है ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के कई मामले सामने आये हैं । वहां के समाचार पत्रों ने सनसनीखेज घटनाएं छापी हैं । जेलों में दिन दहाड़े हजारों लोगों की हत्या की गई । यह सब एक विशेष दल के राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हुआ है । बेलियाघाटा, बड़ानगर और बारसार में बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई । यह सब कांग्रेसी मुख्य मंत्री की मिली भगत से हुआ । वे जनता के दिल में डर बिठाना चाहते थे ।

राजनीतिक हिंसा को राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक दलों द्वारा ही दूर किया जा सकता है । इन घटनाओं की जांच के लिए संसद् सदस्यों की एक समिति बनायी जानी चाहिये । देश में एक नया वातावरण बने और राजनीतिक हिंसा की घोर निन्दा की जाये ।

Sh. M. Ramgopal Reddy (Nizamabad) : Sir, you have released all goondas, hoodlums and bad characters. That is why law & order situation has deteriorated. They are openly indulging in crimes.

The Hon'ble Home Minister should take stern action against notorious element to maintain law & order so that our country could make progress.

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : Sir, there were two or three incidents of crime and some of the members have assured that there is lot of increase in the incidents of crime. The Goondas are now free. There is no doubt in that but they have been released not by us but by the previous Government. When MISA was withdrawn hoodlums were freed automatically. In fact, these elements are responsible for crimes.

The Goondas are posing a very serious problem. The problem is increased many fold when we do not get any witness.

There was some procedural mistake in the implementation of The Bombay Goonda Act. So I had sent two officers to Bombay to see its working and submit the report. I have just received that report and it is now with the Home Secretary who will discuss the matter with me.

There is another problem. Many murderers and dacoits are released on bail. They are released on bail so easily and Police do not get any witness against Goondas. A solution to this intricate problem is necessary.

It is said that setting up of Commissions of enquiry has led to demoralisation in the police. Commissions have been set up only against those who are responsible for excesses during emergency. These Commissions will find out excesses made at political level on orders from higher levels.

Some members made references regarding improvement in the police administration in Delhi. Delhi police cadre is a small cadre and transfers within the capital is no punishment. Also many officials in Delhi police suggested from a sense of guilt because of the excesses during the emergency.

It is said that no fire arms should be used. How could the police control crimes if they are not allowed to use these arms.

श्री के० लकप्पा : राजनैतिक हिंसा के बारे आपको क्या कहना है ?

Shri Charan Singh : It is difficult to define political or non-political voilence.

श्री के० लकप्पा : राजनैतिक हिंसा एक बड़े पैमाने पर हो रही है।

Shri Charan Singh : It is said that there had been unprecedented voilence in Bihar during the elections. Statistics show that the number of election incidents in Bihar have not been more than they were in the past.

Reference has also been made to the incident of murder in Belchi village in Bihar. Belchi is 22 Km. far away from the police station and Sub-Inspector Police had to go on foot there. It is said that murder at Belchi took place due to negligence of police. The Hon. Members should know that there was no negligence on the part of police.

It is also said that situation has worsened after the imposition of President's rule. This type of assessment is wrong. We issued some important instructions to the state Government after the imposition of President's rule.

Necessary steps will be taken to ensure free and fair elections in Jammu and Kashmir. A total of 421 persons have been taken into custody under MISA in that state.

It is not correct to say that law and order situation in states has worsened after imposition of President's rule. There are differences of opinion among administrators in regard to the question of appointment of police Commission in Delhi. I will look into this matter. Appointment of a Central Police Commission is under the consideration of the Government.

इसके बाद लोक सभा बृहस्पतिवार, 16 जून, 1977/26 ज्येष्ठ 1899 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, June 16, 1977/ Jyaistha 26, 1899 (Saka).

MGIPRRND–2 LSS/77—CR—II DS—1-8-77—200